अक्तूबर, 2020
I.S.S.N. : 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी, वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन, इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN 2457-0478

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

अक्तूबर, 2020 अंक - 10

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
अविनाश शुक्ला

(2020) 2 सि. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्च न्यायालयों द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो अधिवक्ताओं, विधि छात्रों, न्यायाधीशों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है । आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है । कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

इस अंक के माध्यम से मैं आपका ध्यान माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **राकेश महाजन** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** (2020) 2 सि. नि. प. 375 वाले मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कारपोरेट परदे की संकल्पना पर विस्तारपूर्वक विचार किया । इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि कारपोरेट अस्तित्व का प्रयोग कंपनी के लेनदारों के साथ कपट किए जाने, विद्यमान बाध्यताओं और कानून का अनदेखा किए जाने, एकाधिकार सृजित किए जाने और एकाधिकार को शाश्वतता प्रदान किए जाने के लिए किया जाता है, तो न्यायालय उस कंपनी के कारपोरेट परदे को हटाएगा और कंपनी को शेयर धारकों के संघ के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और वास्तविक रूप से व्यथित लोगों के साथ न्याय करेगा । माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कारपोरेट अस्तित्व का प्रयोग अवैधता कारित किए जाने या कंपनी के लेनदारों के साथ कपट कारित किए जाने के लिए किया जाता है, तो न्यायालय कारपोरेट प्रकृति का अनदेखा करेगा और कारपोरेट परदे के पीछे छुपी हुई वास्तविकता पर विचार करेगा और यदि परिस्थितियां अपेक्षा करती हैं, तो कंपनी का कारपोरेट परदा इस तथ्य पर विचार किए जाने के बाबत हटाएगा कि कारपोरेट परदे के पीछे किसका चेहरा है, जो कपटपूर्ण आचरण करने का प्रयास कर रहा है या कारपोरेट व्यक्तित्व का अनैतिक, अवैध या अन्य प्रयोजनों, जो लोक नीति के विरुद्ध हैं, के लिए लाभ लेने का प्रयास कर रहा है ।

पत्रिका में समायोजित सामग्री और गुणवत्ता के संबंध में सभी पाठकों के विचार अपेक्षित हैं । अगली पत्रिका के संपादन के समय उनके विचारों पर ध्यान दिया जाएगा ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

अक्तूबर, 2020

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनिल कुमार जामवाल **बनाम** रीना देवी	480
एस. एम. सेकर **बनाम** पी. अरुणाचलम और अन्य	470
डा. मोहम्मद अयूब **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	443
दिनेश कुमार जैन **बनाम** महाप्रबंधक, सिंडिकेट बैंक और एक अन्य	465
राकेश महाजन **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	375
रूप सिंह **बनाम** विनय कुमार जौहरी और अन्य	433
रोशन खान और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	448

संसद् के अधिनियम

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 30

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)

– धारा 2(20) – कंपनी, कंपनी के निदेशक और शेयरधारक – कारपोरेट परदे को हटाया जाना – यदि कारपोरेट अस्तित्व का प्रयोग लेनदारों के साथ कपट, विद्यमान बाध्यताओं और किसी कानून का अनदेखा किए जाने, एकाधिकार सृजित किए जाने और उसको शाश्वतता प्रदान किए जाने के लिए किया जाता है, तो न्यायालय उस कंपनी के कारपोरेट परदे को हटाएगा और कंपनी को शेयरधारकों के संघ के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और वास्तविक रूप से व्यथित लोगों के साथ न्याय करेगा ।

राकेश महाजन बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 375

– धारा 2(20) – कंपनी, कंपनी के निदेशक और शेयरधारक – कारपोरेट परदे को हटाया जाना – यदि कारपोरेट अस्तित्व का प्रयोग अवैधता कारित किए जाने या अन्य लोगों के साथ कपट कारित किए जाने के लिए किया जाता है, तो न्यायालय कारपोरेट प्रकृति का अनदेखा करेगा और कारपोरेट परदे के पीछे छुपी हुई वास्तविकता पर विचार करेगा ।

राकेश महाजन बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 375

– धारा 2(20) – कंपनी, कंपनी के निदेशक और शेयरधारक – कारपोरेट परदे को हटाया जाना – यदि परिस्थितियां अपेक्षा करती हैं तो कंपनी का कारपोरेट परदा इस तथ्य को देखे जाने के बाबत हटाया जा सकता है कि कारपोरेट परदे के पीछे किसका चेहरा है, जो कपटपूर्ण आचरण करने का प्रयास कर रहा है या

पृष्ठ संख्या

कारपोरेट व्यक्तित्व का अनैतिक, अवैध या अन्य प्रयोजनों, जो लोक नीति के विरुद्ध हैं, के लिए लाभ लेने का प्रयास कर रहा है ।

राकेश महाजन बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 375

– धारा 2(20) – कंपनी, कंपनी के निदेशक और शेयरधारक – कारपोरेट परदे को हटाया जाना – यदि किसी कंपनी के विरुद्ध कोई कानूनी दायित्व विद्यमान है, तो उसके निदेशकों की व्यक्तिगत आस्तियों से तब तक कोई वसूली नहीं की जा सकती, जब तक कि इस प्रयोजनार्थ कानून में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो या विधि द्वारा अपेक्षा न की गई हो ।

राकेश महाजन बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 375

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (1971 का 70)

– धारा 19 – उच्च न्यायालय के अवमान के लिए दंड अधिरोपित किए जाने के विरुद्ध विशेष अपील – धारा 19 के अधीन अपील केवल उच्च न्यायालय द्वारा अवमान के लिए दंडित किए जाने की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध पोषणीय होती है ।

रूप सिंह बनाम **विनय कुमार जौहरी और अन्य** 433

– धारा 19 – उच्च न्यायालय के अवमान के लिए दंड अधिरोपित किए जाने के विरुद्ध विशेष अपील – अवमान के लिए कार्यवाही आरंभ किए जाने से इनकार करने वाला आदेश, अवमान की कार्यवाही आरंभ करने के

पृष्ठ संख्या

लिए पारित आदेश, अवमान के लिए किसी कार्यवाही को अस्थायी रूप से समाप्त करने वाला आदेश और अवमानकर्ता को दोषमुक्त या निर्दोष ठहराने वाला आदेश अपील योग्य नहीं होता – इस प्रकार के आदेशों को विशेष परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन चुनौती दी जा सकती है ।

रूप सिंह बनाम **विनय कुमार जौहरी और अन्य** 433

महामारी अधिनियम, 1897 (1897 का 3)

– धारा 2 [सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 दिशानिर्देश] – महामारी का प्रसार रोके जाने के संबंध में विशेष उपाय – ईदुल-अधा के अवसर पर कुर्बानी के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों से दो दिनों के लिए शिथिलता प्रदान किए जाने की प्रार्थना – संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन प्रत्याभूत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हितों पर अध्यारोही प्रभाव नहीं रख सकता और यह अधिकार भाग 3 के अधीन समाविष्ठ अन्य उपबंधों के अध्यधीन है – धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जनता के स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता ।

डा. मोहम्मद अयूब बनाम **बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 443

– धारा 2 [सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 मार्गदर्शक सिद्धांत] – महामारी के प्रसार को रोके जाने के संबंध में विशेष उपाय - त्यौहारों जैसेकि जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मोहर्रम इत्यादि

पृष्ठ संख्या

के दौरान जुलूस और झांकी इत्यादि निकाले जाने पर प्रतिबंध – इन त्यौहारों पर जुलूस, झांकी इत्यादि निकाले जाने की दशा में भारी भीड़ एकत्रित हो जाने की संभावना है और ऐसी स्थिति में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित नहीं हो सकेगा – अतः प्रशासन द्वारा त्यौहारों के दौरान जुलूस और झांकियों के निकाले जाने पर प्रतिबंध उचित है ।

रोशन खान और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 448

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47)

– धारा 38 [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 और 2] – स्थायी व्यादेश – प्रतिवादियों को वादग्रस्त संपत्ति के ऊपर से आवागमन और नये मार्ग के सृजन से प्रतिषिद्ध किया जाना – वादियों का अभिवाक् कि सामान्य मार्ग पहले से अस्तित्व में है, किंतु प्रतिवादी उनके भाग में आवागमन के प्रयोजनार्थ नया मार्ग सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं – दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित विभाजन विलेख से यह दर्शित होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की भूमि पर स्थित मेड़ों का प्रयोग अपनी-अपनी भूमि पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ कर सकते हैं और यह मार्ग सुविधाजनक भी है – विभाजन विलेख में समाविष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादियों को पुराने मार्ग का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता – वादी स्थायी व्यादेश के अनुतोष का हकदार नहीं है ।

एस. एम. सेकर बनाम **पी. अरुणाचलम और अन्य** 470

पृष्ठ संख्या

संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)

– धारा 73 [संविधान, 1950 का अनुच्छेद 14] – संविदा की समाप्ति – नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत – उधार लेने वालों द्वारा याची/मूल्यांकक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट में मूल्यांकन के कारण स्पष्ट न किया जाना और मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कपट कारित किया जाना इस कारणवश बैंक द्वारा याची का नाम बैंक के अनुमोदित मूल्यांककों की सूची से हटाया जाना याची द्वारा सुनवाई के अवसर का लाभ न उठाया जाना – प्रत्यर्थी बैंक द्वारा मूल्यांकन संविदा समाप्त किया जाना उचित है ।

दिनेश कुमार जैन बनाम **महाप्रबंधक, सिंडिकेट बैंक और एक अन्य** 465

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 35)

– धारा 13(1)(1-क) – तलाक – पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका फाइल किया जाना – पत्नी द्वारा अपने बच्चों के साथ अपने सास-श्वसुर के साथ निवास करना, किंतु पति द्वारा अपने माता पिता के साथ निवास न करना पाया जाना – पत्नी और बच्चों का भरणपोषण उसके सास-श्वसुर द्वारा किया जाना और सास-श्वसुर द्वारा अपने पुत्र से संबंध विच्छेद कर लिया जाना – पति द्वारा दूसरे विवाह के लिए अन्य महिलाओं के संपर्क में रहना और पत्नी द्वारा क्रूरता का साबित न होना – पति विवाह-विच्छेद की डिक्री का हकदार नहीं है ।

अनिल कुमार जामवाल बनाम **रीना देवी** 480

राकेश महाजन

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 33100]

तारीख 4 दिसंबर, 2019

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) – धारा 2 (20) – कंपनी, कंपनी के निदेशक और शेयरधारक – कारपोरेट परदे को हटाया जाना – यदि कारपोरेट अस्तित्व का प्रयोग लेनदारों के साथ कपट, विद्यमान बाध्यताओं और किसी कानून का अनदेखा किए जाने, एकाधिकार सृजित किए जाने और उसको शाश्वतता प्रदान किए जाने के लिए किया जाता है, तो न्यायालय उस कंपनी के कारपोरेट परदे को हटाएगा और कंपनी को शेयरधारकों के संघ के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और वास्तविक रूप से व्यथित लोगों के साथ न्याय करेगा ।

कंपनी अधिनियम, 2013 – धारा 2 (20) – कंपनी, कंपनी के निदेशक और शेयरधारक – कारपोरेट परदे को हटाया जाना – यदि कारपोरेट अस्तित्व का प्रयोग अवैधता कारित किए जाने या अन्य लोगों के साथ कपट कारित किए जाने के लिए किया जाता है, तो न्यायालय कारपोरेट प्रकृति का अनदेखा करेगा और कारपोरेट परदे के पीछे छुपी हुई वास्तविकता पर विचार करेगा ।

कंपनी अधिनियम, 2013 – धारा 2 (20) – कंपनी, कंपनी के निदेशक और शेयरधारक – कारपोरेट परदे को हटाया जाना – यदि परिस्थितियां अपेक्षा करती हैं तो कंपनी का कारपोरेट परदा इस तथ्य को देखे जाने के बाबत हटाया जा सकता है कि कारपोरेट परदे के पीछे

किसका चेहरा है, जो कपटपूर्ण आचरण करने का प्रयास कर रहा है या कारपोरेट व्यक्तित्व का अनैतिक, अवैध या अन्य प्रयोजनों, जो लोक नीति के विरुद्ध हैं, के लिए लाभ लेने का प्रयास कर रहा है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 – धारा 2 (20) – कंपनी, कंपनी के निदेशक और शेयरधारक – कारपोरेट परदे को हटाया जाना – यदि किसी कंपनी के विरुद्ध कोई कानूनी दायित्व विद्यमान है, तो उसके निदेशकों की व्यक्तिगत आस्तियों से तब तक कोई वसूली नहीं की जा सकती, जब तक कि इस प्रयोजनार्थ कानून में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो या विधि द्वारा अपेक्षा न की गई हो ।

इन दोनों ही रिट याचिकाओं में अंतर्वलित विवाद्यक कारपोरेट परदे को हटाए जाने और कंपनी के अस्तित्व का अनुचित लाभ उठाकर अवैध कार्य करने वालों की पहचान किए जाने से संबंधित हैं । 2019 की रिट याचिका संख्या 33100 प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के उन कार्यों को चुनौती देते हुए फाइल की गई है, जिनके द्वारा मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चूक के कारण याची से मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की शेयरधारक है, का निदेशक होने के नाते रकम की वसूली का प्रयास कर रहे हैं । 2019 की रिट याचिका संख्या 32727 प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के उन कार्यों को चुनौती देते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा वे मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चूक के कारण याची कंपनी जो मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की सहायक समुत्थान है और मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की शेयरधारक है, से रकम की वसूली का प्रयास कर रहे हैं । उपरोक्त दोनों रिट याचिकाएं एक ही वसूली प्रमाणपत्र को चुनौती देते हुए सामान्य आधारों पर फाइल की गई हैं और इस प्रकार दोनों ही रिट याचिकाएं इस एक ही आदेश द्वारा निर्णीत की जा रही हैं ।

यदि कोई करों के देयों या अन्य लोक राजस्व या अन्य मामलों के संबंध में कारपोरेट व्यक्तित्व की अवहेलना करना चाहता है, तो उसके ऊपर कारपोरेट परदे को हटाए जाने के सिद्धांत के अवलंबन को

न्यायसंगत ठहराए जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेख पर सुसंगत सामग्री और तथ्यों को प्रस्तुत करने और यह अभिवाक् करने का भार होगा कि कारपोरेट परदे को प्रतिरक्षा का आधार न बनाया जाए । कानून द्वारा प्रदत्त कारपोरेट व्यक्तित्व की नैत्यिक तरीके में या केवल बातचीत की भाषा में उपेक्षा नहीं की जा सकती या उसका अनदेखा नहीं किया जा सकता । वास्तव में जब कभी भी कारपोरेट परदे को हटाया जाता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने कारपोरेट व्यक्तित्व का खोखा उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों के संव्यवहारों या आशय को आवरण प्रदान किए जाने के लिए बहाने या मुखौटे के रूप में अभिप्राप्त कर लिया है, जो न तो विधिक है और न ही अन्यथा रूप से जनहित में है । वास्तव में उन व्यक्तियों के प्रयास को कपट या दुर्व्यपदेशन के समान देखा जाना चाहिए । अतः, ऐसे मामलों में किसी कारपोरेट निकाय के विधिक व्यक्तित्व का अनदेखा नहीं किया जा सकता, चूंकि यह सुस्थापित है कि कपट प्रत्येक बात को दूषित कर देता और इसलिए विधिक व्यक्तित्व का लाभ, जो किसी के द्वारा उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अभिप्राप्त किया है, जो यद्यपि विधिसम्मत तो है किंतु अन्यथा रूप से अनुज्ञेय नहीं है, कारपोरेट व्यक्तित्व के ऐसे कपटपूर्ण क्रियाकलापों का अनदेखा किया जाएगा या नहीं, वे बाते हैं, जो निश्चायक और तथ्यात्मक सामग्री पर आधारित होती हैं और इनके बाबत समुचित अभिवचनों की अनुपस्थिति में और उस व्यक्ति, जो कारपोरेट परदे को हटाए जाने के सिद्धांत का अवलंब ले रहा है, द्वारा अभिलेख पर सामग्री प्रस्तुत न किए जाने और कारपोरेट निकाय के न्यायिक व्यक्तित्व का अनदेखा किए जाने के कारण विश्वास नहीं किया जा सकता । जब किसी संबद्ध व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किसी सुसंगत सामग्री को अभिलेख पर उपलब्ध कराया जाता है, तो यह अन्य पक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि वह पूर्वोक्त तथ्यों के प्रत्युत्तर में सामग्री प्रस्तुत करें, किंतु मात्र यह तथ्य कि कंपनी सरकारी देयों या लोक राजस्व के संदाय में विफल हो गई है, स्वयमेव ही कारपोरेट परदे को हटाए जाने के सिद्धांत को आमंत्रित नहीं करेगा और किसी कंपनी को प्रदत्त कानूनी कारपोरेट व्यक्तित्व का अनदेखा किए जाने और उसके

निदेशकों या शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । धारक कंपनियों को कारपोरेट और साथ ही कराधीन विधियों में मान्यता प्रदान की गई है । विशेष प्रयोजन के लिए बनाई गई कंपनियों और धारक कंपनी का भारत के विधिक क्षेत्र में स्थान है, चाहे वह कंपनी विधिक कंपनी हो या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अधीन कार्यभार संभालने की संहिता हो । जब किसी धारक संरचना के कराधान का मामला उपस्थित होता है, तो आरंभिकत: कर के सृजन और/या ऐसी ही अन्य संरचनाओं के प्रयोग के बाबत अभिकथन करने और दुरुपयोग को साबित करने का भार राजस्व विभाग पर होता है । किसी न्यायिक विरोधी परिहार नियम का उपयोग करते हुए राजस्व विभाग 'स्वरूप के ऊपर सार' के सिद्धांत या 'कारपोरेट परदे को हटाए जाने' के सिद्धांत का अवलंब केवल तब ले सकता है, जब वह संव्यवहार की प्रतिवेषी परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर यह साबित करने की स्थिति में हो कि आक्षेपित संव्यवहार धोखा है या कर से बचने का उपाय है । इस बाबत एक दृष्टांत पर विचार करते हैं, यदि किसी संरचना का प्रयोग किसी विशेष वर्ग के लोगों के मध्य व्यापार के लिए किया जाता है या रिश्वत का संदाय करने के लिए किया जाता है, तो यद्यपि इस प्रकार के संव्यवहारों का स्वरूप विधिक होगा, फिर भी इस प्रकार के संव्यवहारों की अनदेखी वित्तीय शून्यता का परीक्षण लागू करते हुए की जानी चाहिए । इसी प्रकार से, ऐसे मामले में, जहां राजस्व विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी धारक कंपनी में कोई अस्तित्व, जिसका वाणिज्यिक/कारबार क्षेत्र में कोई दखल नहीं है, का प्रयोग केवल कर से बचने के लिए किया गया है, तो ऐसे मामले में राजस्व विभाग को वित्तीय शून्यता का परीक्षण लागू करते हुए यह अधिकार होगा कि वह उस अस्तित्व की अंत:स्थितिकरण का अनदेखा करे । तथापि, ऐसा केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए । इस संबंध में **रामसे** [1982 ए. सी. 300 : (1981) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 449 : (1981) 1 आर. ई. आर. 865 (एच. एल.)] वाले मामले में प्रतिपादित 'देखा जाए' वाले सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राजस्व विभाग या

न्यायालय को किसी दस्तावेज या संव्यवहार पर ऐसे संदर्भ में विचार करना चाहिए, जिससे संपत्ति संबंधित हो । यह राजस्व विभाग/न्यायालय का कार्य है कि वे संव्यवहार की विधिक प्रकृति को अभिनिश्चित करें और उनको ऐसा करते हुए संपूर्ण संव्यवहार पर संपूर्णता में विचार करना चाहिए और एकांतवादी दृष्टिकोण अंगीकृत नहीं करना चाहिए । राजस्व विभाग जांच कार्रवाई का आरंभ इस प्रश्न से नहीं कर सकता कि क्या आक्षेपित संव्यवहार कर संदाय का टालमटोल करने वाली/कर बचाने वाली युक्ति है, किंतु उनको सत्य विधिक प्रकृति अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ 'देखा जाए' वाले सिद्धांत के परीक्षण को लागू करना चाहिए । देखें **क्रेवेन** बनाम **व्हाइट (स्टीफेन)** [1989 एस. सी. 398 : (1988) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 423 : (1988) 3 आल ई. आर. 495 (एच. एल.)] वाले मामले में पुन: मताभिव्यक्ति की गई कि वास्तविक रणनीतिक कर योजना पर इंग्लिश न्यायालयों के किसी भी विनिश्चय द्वारा आज तक रोक नहीं लगाई गई । हमारा उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए यह मत है कि भारत में निवेश स्थान के रूप में आने वाले प्रत्येक रणनीतिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए । ऐसा करते हुए राजस्व विभाग/न्यायालयों को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए ; वह समयावधि, जिसके दौरान धारक कंपनी विद्यमान होती है ; भारत में कारबार क्रियान्वयनों की अवधि ; भारत में कर योग्य राजस्व की उत्पत्ति ; निकास का समय ; ऐसे निकास पर कारबार की निरंतरता । संक्षेप में यह साबित करने का भार राजस्व विभाग पर होगा कि वे किसी योजना और उसके अभिभावी प्रयोजन की पहचान करे । किसी संव्यवहार का कारपोरेट कारबार प्रयोजन इस तथ्य का साक्ष्य होता है कि आक्षेपित संव्यवहार बनावटी या कृत्रिम उपाय के रूप में नहीं किया गया । किसी युक्ति का साक्ष्य जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही कारपोरेट कारबार का प्रयोजन, जिसे किसी युक्ति के साक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में विद्यमान होना चाहिए । रिट याचिकाएं मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अब हम पुन: श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह द्वारा उद्धृत निर्णय पर विचार करते हैं, जो 2019 की रिट याचिका संख्या 2554

(आशीष गुप्ता **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और पांच अन्य) में पारित तारीख 7 अगस्त, 2019 का अंतरिम आदेश है और जिसमें इस न्यायालय ने याची के पक्षकथन पर विचार करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम आदेश पारित किया : "विधि के उपरोक्त प्रश्न के न्यायनिर्णयन के लिए ग्रहण/अंतिम निस्तारण के लिए एक माह पश्चात् सूचीबद्ध किया जाए । इस दौरान याची, जो सिविल कारागार में निरुद्ध है, को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाएगा : (i) वह सिविल कारागार से निर्मुक्त होने के पश्चात् बिना न्यायालय की अनुज्ञा के देश के बाहर नहीं जाएगा ; (ii) वह अपने शेयरों, जिनका वह क्लाउड नाइन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में धारक है, के संबंध में और किसी अन्य कंपनी के शेयरों के संबंध में, जो संकाय की सदस्य है, कोई संव्यवहार नहीं करेगा ; (iii) उसके मेरठ स्थित दोनों रिहायशी घरों और पानीपत स्थित भूखंड, जिनके वह कब्जे में है (जिनके संपूर्ण विवरण याची के काउंसेल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे), कुर्की के अधीन रहेंगे ; और (iv) उसको उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार करने से निषिद्ध किया जाता है और वह उनका अंतरण नहीं करेगा । मेरठ और पानीपत के उप-रजिस्ट्रारों को निर्देशित किया जाता है कि वे याची की ऊपरनिर्दिष्ट संपत्तियों के संबंध में किसी अंतरण विलेख को रजिस्ट्रीकृत न करें । गौतमबुद्ध नगर/गाजियाबाद के उप-रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दी गई संपत्ति, जिसके संबंध में वर्तमान देयों का दावा किया गया है, पर प्रत्यर्थी संख्या 6 कंपनी द्वारा निर्मित किसी फ्लैट का कोई अंतरण विलेख रजिस्ट्रीकृत न करें । इस आदेश की एक प्रति उपरोक्त उप-रजिस्ट्रारों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध करते हुए भेजी जाए ।" हमको भय है कि उपरोक्त अंतरिम आदेश में विधि के किसी प्रश्न पर न तो विचार किया गया और न ही निर्णय दिया गया । यह सुस्थापित है कि कोई अंतरिम आदेश निर्णयज विधि नहीं हो सकता, चूंकि अंतरिम प्रक्रम पर विधि का प्रश्न या तथ्य निर्णीत नहीं किया जाता । पुनः, आदेश के परिशीलन से यह बात स्वयमेव ही प्रकट हो जाती है कि न्यायालय ने मामले को पक्षों द्वारा उठाए गए विधि के प्रश्न के

न्यायनिर्णयन के लिए सूचीबद्ध किया है । अब हम जगवीर सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में तारीख 20 सितंबर, 2017 को दिए गए द्वितीय निर्णय पर विचार करते हैं, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने कंपनी के निदेशक के विरुद्ध वसूली में मध्यक्षेप करने से इनकार कर दिया है, चूंकि न्यायालय का विचार था कि कंपनी के निदेशकों ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की शरण निधि के पुन: विनिवेश की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए ली थी और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड का प्रयोग करों के संदाय से बचने के लिए दांव-पेंच के रूप में किया गया था । हमको भय है कि उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी दो कारणोंवश लागू नहीं होता : प्रथम यह कि कंपनी के निदेशक से संबंधित उक्त मामला, जो कि वर्तमान मामला नहीं है और द्वितीय यह कि मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड से उद्भूत कार्यवाहियों से उत्पन्न हुआ और करों के संदाय में चूक से संबंधित है, जो पुन: वर्तमान मामले का पक्षकथन नहीं है । अत:, विधिक स्थिति जो उपरोक्त निर्णयों से व्यापक तौर पर उत्पन्न होती है, यह है कि : (क) कंपनी अपने शेयरधारकों और निदेशकों से पृथक् और सुभिन्न अस्तित्व होती है । (ख) कारपोरेट परदा हटाया जा सकता है : (i) केवल न्यायालयों द्वारा बताई गई अपवादिक परिस्थितियों में और भी सावधानी और सतर्कता के साथ । (ii) कारपोरेट परदा हटाए जाने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि मामला उन अपवादों के अंतर्गत आता हो, जैसाकि बेन हाशेम **बनाम** अली शाइफ वाले मामले में न्यायाधीश मुनबी द्वारा विस्तारपूर्वक बताया गया है और स्पष्ट किया गया है और बलवंत राय सलूजा और आरसेलर मित्तल वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदन किया गया है । (iii) जहां कानून स्वयमेव ही कारपोरेट परदे को हटाए जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है । वर्तमान मामले के तथ्यों से यह प्रदर्शित होता है कि याची राकेश महाजन मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक कभी नहीं था और वह पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का शेयरधारक भी नहीं था । पुन: अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैसर्स पैन रियल्टर्स लिमिटेड 'धोखा' या 'छदम' कंपनी के रूप में प्रश्नगत पट्टे के निष्पादन के लिए निगमित थी, वास्तव में यह कंपनी नोएडा

प्राधिकरण के आग्रह पर निगमित की गई थी, जो आबंटन पत्र से स्पष्ट हो जाता है । नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख अभी भी विद्यमान है और इस पट्टा विलेख का विनिर्धारण भी नहीं किया गया है । पुनः, अभिलेख पर यह स्पष्ट किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है कि इस मामले के याची राकेश महाजन या निराला बिल्डकॉन ने मैसर्स पैन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप किसी व्यापक नियंत्रण का प्रयोग किया था । प्रश्नगत कानून, जो 1973 का उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम है, में ऐसा कोई भी उपबंध समाविष्ट नहीं है, जो कारपोरेट परदे को हटाए जाने के लिए उपबंधित करता हो । याची प्रश्नगत पट्टा विलेख के हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है और इसलिए याचियों से मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अभिकथित देयों की वसूली के लिए कारपोरेट परदे को हटाए जाने का कोई मामला नहीं बनता । यह सुस्थापित है कि 'राज्य' या 'राज्य के किसी अभिकरण' की किसी कार्रवाई को विधि के पुष्टिकरण में होना चाहिए और उसको 'विधि की सारभूत सम्यक् प्रक्रिया' और 'विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्यक्' के दोहरे परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए और इन दोनों परीक्षणों में से किसी भी परीक्षण में विफल रहने पर संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा । हमको यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दोनों ही याचियों के विरुद्ध प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई उपरोक्त दोनों परीक्षणों को संतुष्ट कर पाने में दैयनीय रूप से विफल रही है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 की अतिक्रमणकारी है । तद्नुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया तारीख 26 अगस्त, 2019 का वसूली प्रमाणपत्र और प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा जारी किया गया तारीख 12 सितंबर, 2019 का उद्धरण, जहां तक वे याचियों से संबंधित हैं, तद्नुसार अभिखंडित किए जाते हैं । हम स्पष्ट करते हैं कि वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान न किए जाने का प्रश्न पर वर्तमान मामले में विचार नहीं किया गया है, चूंकि हम इस बाबत संतुष्ट हैं कि याचियों के विरुद्ध मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अभिकथित देयों की वसूली पूर्णतया अवैध है । (पैरा 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 2 एस. सी. सी. 1 : **आरसेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **सतीश कुमार गुप्ता और अन्य** ;	23
[2019]	260 (2019) डी. एल. टी. 416 : **जिलेट इंडिया लिमिटेड** बनाम **दिल्ली विकास प्राधिकरण** ;	23
[2014]	(2014) 9 एस. सी. सी. 407 : **बलवंत राय सलूजा और एक अन्य** बनाम **एयर इंडिया लिमिटेड और एक अन्य** ;	23
[2014]	(2014) 8 एस. सी. सी. 470 : **डा. सुब्रतो राय** बनाम **भारत संघ और अन्य** ;	20
[2012]	(2012) 6 एस. सी. सी. 613 : **वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी. वी.** बनाम **भारत संघ** ;	23
[2008]	2008 (4) ए. एल. जे. 789 (डी. बी.) : **मीकिन ट्रांसमिशन लिमिटेड** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	23
[1996]	(1996) 4 एस. सी. सी. 622 : **दिल्ली विकास प्राधिकरण** बनाम **स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड** ;	33
[1976]	(1976) 3 ऑल ई. आर. 462 : **डी. एच. एन. फूड डिस्ट्रिब्यूटर लिमिटेड** बनाम **लंदन बोरा आफ टावर हैमलेट्स** ;	37
[1965]	ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 40 : **टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ;	23
[1964]	(1964) 6 एस. सी. आर. 885 : **टेल्को** बनाम **बिहार राज्य** ;	36

[1855] ए. आई. आर. 1855 एस. सी. 74 : **बच्चा एफ. गौजदार** बनाम **आयकर आयुक्त, मुंबई** । 23

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 33100 (साथ में 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 3227.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री रोहन गुप्ता, काली आजाद, गगन मेहता, राहुल अग्रवाल और रविकांत (वरिष्ठ अधिवक्ता)

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह मुख्य स्थायी काउंसेल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने दिया ।

न्या. भाटिया और न्या. उपाध्याय – 2019 की रिट याचिका संख्या 33100 में याची के विद्वान् काउंसेल श्री रोहन गुप्ता और 2019 की रिट याचिका संख्या 32727 में याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री गगन मेहता और साथ ही राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थायी काउंसेल और नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह को सुना ।

2. उपरोक्त दोनों रिट याचिकाएं एक ही वसूली प्रमाणपत्र को चुनौती देते हुए सामान्य आधारों पर फाइल की गई हैं और इस प्रकार दोनों ही रिट याचिकाएं इस एक ही आदेश द्वारा निर्णीत की जा रही हैं ।

3. 2019 की रिट याचिका संख्या 33100 प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के उन कार्यों को चुनौती देते हुए फाइल की गई है, जिनके द्वारा मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चूक के कारण याची से मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की

शेयरधारक है, का निदेशक होने के नाते रकम की वसूली का प्रयास कर रहे हैं ।

4. 2019 की रिट याचिका संख्या 32727 प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के उन कार्यों को चुनौती देते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा वे मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चूक के कारण याची कंपनी जो मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की सहायक समुत्थान है और मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की शेयरधारक है, से रकम की वसूली का प्रयास कर रहे हैं ।

5. संक्षेप में वर्तमान याचिकाओं के तथ्य इस प्रकार हैं :–

"प्रत्यर्थी संख्या 2 मैसर्स नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जिसको इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहकर निर्दिष्ट किया गया है) ने नोएडा में हितबद्ध भवन निर्माताओं को ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड आबंटित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक योजना की घोषणा की । प्रत्यर्थी-प्राधिकारी द्वारा इस योजना/उद्घोषणा के मतावलंबन में पैन वेन्चर्स नामक कंपनियों के एक समूह ने नोएडा में ग्रुप हाउसिंग के लिए भूमि के आबंटन में अपनी रुचि दर्शित करते हुए आवेदन फाइल किया । उक्त आवेदन के मतावलंबन में प्रत्यर्थी संख्या 2 प्राधिकारी द्वारा तारीख 21 जुलाई, 2007 का आबंटन पत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा ग्रुप हाउसिंग योजना जी.एच. 2009 (II) के अधीन नोएडा के सेक्टर 70 में ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जी. एच.-01 आबंटित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया । उक्त आबंटन पत्र अभिलेख पर संलग्नक-। के रूप में उपलब्ध है और यह आबंटन पत्र समूह के नाम में जारी किया गया था जिसे पैन वेन्चर के नाम से जाना जाता है । तारीख 21 जुलाई, 2009 के उक्त आबंटन पत्र के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि उक्त आबंटन पत्र मैसर्स पैन वेन्चर, जो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (अग्रणी सदस्य), एडवांस कंस्ट्रक्शन कंपनी (सुसंगत सदस्य), निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सुसंगत सदस्य) को सम्मिलित करते हुए एक समूह है, उनके दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित विजय चौक में मकान संख्या एच.-13, प्रथम

खंड, मुख्य बाजार स्थित कार्यालय के पते पर जारी किया गया था । उक्त आबंटन पत्र के द्वारा भूमि का आबंटन ग्रुप हाउसिंग अधिकारों के साथ परिकल्पित था और इसी आबंटन पत्र में संदाय का तरीका भी विनिर्दिष्ट किया गया था । उक्त आबंटन पत्र के विलक्षण लक्षण निम्नलिखित हैं –

> 'आपसे भी कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत विशेष प्रयोजन कंपनी सृजित किए जाने और उस विशेष प्रयोजन कंपनी का संगम अनुच्छेद, निदेशकों और शेयरधारकों की सूची, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो और निदेशक मंडल के संकल्प प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया जाता है ।'"

6. उक्त आबंटन पत्र में आगे यह भी विनिर्दिष्ट किया गया था कि वह विशेष प्रयोजन कंपनी, जिसको सृजित किया जाना है, में निम्नलिखित कंपनी समाविष्ट होगी :-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	अंशधारिता का %	हैसियत
1.	पटेल इंजीनियरिंग	51	अग्रणीय सदस्य
2.	एडवांस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	24	सुसंगत सदस्य
3.	निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	25	सुसंगत सदस्य

7. उक्त आबंटन पत्र में आगे यह भी उपबंधित किया गया था कि संदाय में चूक की स्थिति में आबंटन प्रस्ताव निरस्त माना जाएगा और पंजीकरण की राशि का प्रतिसंहरण कर लिया जाएगा और प्रस्तावित आबंटी को किसी ब्याज की रकम का संदाय नहीं किया जाएगा । आगे यह भी विनिर्दिष्ट किया गया कि प्रस्तावित आबंटी प्राधिकरण को परियोजना के पूर्ण न होने के कारण उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों से, निर्माण की गुणवत्ता और अंतिम क्रेता और आबंटी/पट्टेदार के मध्य

उद्भूत होने वाले किसी विवाद के संबंध में क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ क्षतिपूर्ति बंधपत्र भी जारी करेगा । वर्तमान मामले के प्रयोजनार्थ अन्य सुसंगत शर्तें, जो आबंटन पत्र में समाविष्ट हैं, इस प्रकार हैं :-

"यदि पट्टेदार उपबंधित समयावधि के भीतर, समयावधि में विस्तार प्रदान किए जाने को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई विस्तार प्रदान किया गया हो, के भीतर भवन का निर्माण नहीं करता, तो आबंटन/पट्टा विलेख जैसा भी मामला हो, रद्द किए जाने योग्य होगा । पट्टेदार आबंटित भूमि और उसके साथ संलग्न हुए भवनों के संबंध में समस्त अधिकार खो देगा ।

अनुपार्जित बढ़ोतरी की वसूली और संपत्ति क्रय करने का अग्रक्रयाधिकार का प्राधिकरण का अधिकार, जैसाकि इसमें इसके ऊपर उल्लेख किया गया है, अस्वैच्छिक विक्रय या अंतरण पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह बोली द्वारा हो या शोधन न्यायालय की डिक्री के निष्पादन द्वारा ।

पट्टेदार उक्त भवन में किसी प्रकार का नया निर्माण या परिवर्तन नहीं करेगा या प्रस्तावित परिसर पर तत्समय कोई अन्य निर्माण नहीं करेगा, प्रस्तावित परिसर पर पट्टेदार की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी नए भवन का निर्माण नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा भी प्रदान नहीं करेगा और योजना की शर्तों में कोई परिवर्तन होने पर पट्टादाता से सूचना प्राप्त होने पर, जिसके द्वारा उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, यथापूर्वोक्त परिवर्तन का पालन करेगा ।

यदि पट्टेदार इस प्रकार की किसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् उसमें विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर ऐसे किसी परिवर्तन को दुरुस्त करने में विफल रहता है, तो पट्टादाता के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसे किसी भी परिवर्तन को पट्टेदार के खर्चे पर दुरुस्त कराए और पट्टेदार ऐसी किसी भी रकम को, जो इस निमित्त निर्धारित की जाएगी, का पट्टादाता को संदाय करने के लिए सहमत होता है ।

प्राधिकरण को अपनी शर्तों और निर्देशों के अननुपालन की दशा में वह शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार होगा, जैसाकि उनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी उचित और समीचीन प्रतीत करे ।

पट्टा विलेख का रद्दकरण

प्राधिकरण/पट्टादाता रद्दकरण के संबंध में अन्य विनिर्दिष्ट खंडों के अतिरिक्त, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित मामलों में पट्टा/आबंटन के रद्दकरण के अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा –

(1) दुर्व्यपदेशन/तात्विक तथ्यों को छुपाए जाने, गलत कथन और/या कपट द्वारा प्राप्त किया गया आबंटन ।

(2) किसी प्राधिकारी या किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा जारी निर्देशों या विरचित नियमों या विनियमों का अतिक्रमण ।

(3) पंजीकरण/आबंटन/पट्टा के नियमों और शर्तों के भंग और अतिक्रमण और/या आबंटन की रकम के जमा न किए जाने के लिए आबंटी द्वारा चूक ।

(4) यदि भूखंड के रद्दकरण के समयबिंदु पर पट्टेदार के अधिभोग में है, तो उस भूखंड के कुल अधिमूल्यन के 25 प्रतिशत के समकक्ष रकम का प्रतिसंहरण कर लिया जाएगा और भूखंड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा उस पर स्थित अवसंरचना, यदि कोई हो, सहित ले लिया जाएगा और पट्टेदार को उसके लिए किसी भी प्रतिकर का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा । यदि कोई अधिशेष रह जाता है, तो उसका पुनर्संदाय बिना किसी ब्याज के कर दिया जाएगा । प्रतिसंहृत रकम प्राधिकरण के पास जमा रकम से अधिक नहीं होगी और इस संबंध में कोई पृथक् सूचना नहीं दी जाएगी ।

(5) यदि उपरोक्त पैरा संख्या 1 में उल्लिखित आधार पर आबंटन रद्द किया जाता है, तो पट्टेदार द्वारा रद्दकरण की

तारीख तक जमा की गई संपूर्ण रकम का प्राधिकरण द्‌वारा प्रतिसंहरण कर लिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी दावे पर, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, विचार नहीं किया जाएगा ।

अन्य खंड

प्राधिकण/पट्टादाता आबंटन/पट्टा विलेख के नियमों और शर्तों को समय-समय पर, जैसाकि उचित और समीचीन प्रतीत हो, बढ़ाने/परिवर्तित करने या उनको उपांतरित करने का अधिकार आरक्षित करता है ।

प्राधिकरण और पट्टेदार/उप पट्टेदार के मध्य कोई विवाद जिला गौतमबुद्ध नगर या माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्‌वारा पदनामित न्यायालयों में अधिकारिता प्राप्त सिविल न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन होगा ।

पट्टा करार/आबंटन 1976 के उत्तर प्रदेश औद्‌योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम (1976 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6) और उसके अंतर्गत विरचित नियमों और/या विनियमों के उपबंधों द्‌वारा शासित होगा ।"

8. उक्त आबंटन पत्र के निबंधनों के अनुसार कंपनी का निगमन 'पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से तारीख 26 अगस्त, 2009 को विशेष प्रयोजन वाली कंपनी के रूप में किया गया था । उक्त कंपनी अर्थात् पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रथम निर्देशक श्री दानिश मोहम्मद अली मर्चेंट, श्री भीम सेन प्रभूदयाल बत्रा, श्री शीतुल धीरजलाल पटेल, श्री सुरेश कुमार गर्ग और श्री अनिल कुमार शर्मा थे ।

9. आबंटन पत्र के निबंधनों के अनुसार और विशेष प्रयोजन वाली कंपनी के निगमन पर तारीख 12 अक्तूबर, 2009 को एक पट्टा विलेख नवीं ओखला औद्‌योगिक विकास प्राधिकरण और पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य नोएडा के सेक्टर 70 में स्थित भूखंड संख्या वी.एच.-01 के संबंध में 15,50,627,787/- रुपए के कुल प्रतिफल के बदले में निष्पादित किया गया था । उपरोक्त पट्टा विलेख में प्रतिफल के संदाय के लिए संपूर्ण किश्तों की योजना का विवरण दिया गया था ।

10. उपरोक्त पट्टा विलेख, जिसे अभिलेख पर संलग्नक-3 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि इस पट्टा विलेख के अंतर्गत 1976 के उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम की धारा 8, 9 और 10 या अन्य किसी उपबंध के अधीन विरचित विनियमों, उप विधियों, निर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाना था । इस पट्टा विलेख के अंतर्गत यह भी उपबंधित किया गया था :-

"पट्टेदार को उसके द्वारा अधिरोपित शर्तों और निर्देशों के अननुपालन की स्थिति में यह अधिकार होगा कि वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सके, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उचित और समीचीन प्रतीत किया जाए ।"

11. इस पट्टा विलेख में उस स्थिति के बारे में भी उपबंधित किया गया था, जिसमें पट्टा विलेख को रद्द किया जाएगा और जो इस प्रकार है :-

"पट्टा विलेख का रद्दकरण

पट्टादाता रद्दकरण से संबंधित अन्य विनिर्दिष्ट खंडों के अतिरिक्त, जैसा भी मामला हो, पट्टे के रद्दकरण के अधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित मामलों में स्वतंत्र होगा :-

'1. यदि आबंटन दुर्व्यपदेशन/तात्विक तथ्यों को छुपाए जाने, असत्य कथन और कपट के द्वारा अभिप्राप्त किया गया है ।

2. पट्टादाता या किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा जारी किए गए निर्देशों या विरचित नियमों और विनियमों के किसी अतिक्रमण पर ।

3. पंजीकरण/आबंटन/पट्टे और/या आबंटन की रकम जमा न किए जाने की स्थिति में पट्टेदार द्वारा चूक ।

4. यदि भूखंड का अधिभोग रद्दकरण के समय बिंदु पर पट्टेदार के पास है, तो भूखंड के कुल अधिमूल्यन के 25

प्रतिशत के समतुल्य रकम का प्रतिसंहरण कर लिया जाएगा और भूखंड का कब्जा पट्टादाता द्वारा उस पर स्थित अवसंरचना, यदि कोई हो, सहित वापस ले लिया जाएगा और पट्टेदार को इसके संबंध में किसी प्रतिकर का दावा करने का अधिकार नहीं होगा । यदि कोई अधिशेष हो, तो उसका पुनर्संदाय बिना किसी ब्याज के कर दिया जाएगा । प्रतिसंहृत रकम पट्टादाता के पास जमा रकम से अधिक नहीं होगी और इस संबंध में पट्टेदार को कोई भी पृथक् सूचना नहीं दी जाएगी ।

5. यदि आबंटन उपरोक्त उपखंड (1) में उल्लिखित आधार पर रद्द किया जाता है, तो पट्टेदार द्वारा जमा की गई संपूर्ण रकम का पट्टेदार द्वारा प्रतिसंहृण कर लिया जाएगा और इस संबंध में पट्टेदार के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

6. रद्दकरण के समस्त मामलों में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को समुचित कारण बताओ सूचना जारी की जाएगी ।'"

12. याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह निवेदन किया गया है कि मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के निगमन के पश्चात् उसकी शेयरधारक पद्धति में परस्पर सहमति के साथ परिवर्तन किया गया था और मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एक अल्पसंख्यक शेयरधारक कंपनी बन गई थी, जिसके पश्चात् मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के कुछ निदेशकों ने त्यागपत्र दे दिए थे । मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के निगमन के पश्चात् से वर्तमान समय तक उसकी शेयरधारक पद्धति में परिवर्तन दर्शित करने वाली तालिका निम्नलिखित है :-

कंपनी का नाम	2015	2016	2017	2018
पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड	36%	39%	37.57%	37.57%
एडवांस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	39%	37%	37.43%	37.43%
निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	25%	25%	25%	25%

13. याचिका में यह भी अभिकथित किया गया है कि तारीख 31 मार्च, 2007 को मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री प्रवीण अर्जुनभाई पटेल और श्री धीरजलाल नाथालाल पटेल थे और मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का कोई भी निदेशक मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बोर्ड का सदस्य नहीं था । तारीख 28 सितंबर, 2019 को याची राकेश महाजन के किराए के मकान अर्थात् उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित मकान संख्या एच.-121, सेक्टर 63 पर तारीख 12 सितंबर, 2019 का एक वसूली प्रमाणपत्र चस्पा किया गया, जिसकी प्रति 2019 की रिट याचिका संख्या 33100 के संलग्नक 9 के रूप में फाइल की गई है । इस वसूली प्रमाणपत्र के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि यह वसूली प्रमाणपत्र मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारक श्री राकेश महाजन/याची के नाम जारी किया गया था । याची राकेश महाजन का दावा है कि उसने उक्त वसूली प्रमाणपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 और 4 के समक्ष तारीख 4 अक्तूबर, 2019 का एक विस्तारपूर्वक प्रत्यावेदन फाइल किया था, जिसके द्वारा उसके विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र को वापस लिए जाने की ईप्सा की गई थी, तथापि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और उक्त प्रत्यावेदन पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया ।

14. याची का दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 वसूली प्रमाणपत्र के निबंधनों के अनुसार मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध अभिकथित रूप से बकाया देयों के लिए याची के विरुद्ध प्रपीड़न की कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं और इस कारणवश उसने निम्नलिखित अनुतोषों की ईप्सा करते हुए वर्तमान याचिका फाइल करते हुए इस न्यायालय की शरण ली है :–

> "(i) जिला गौतमबुद्ध नगर के दादरी के तहसीलदार द्वारा जारी किए गए तारीख 12 सितंबर, 2019 के आक्षेपित वसूली प्रमाणपत्र (जो याची पर तारीख 28 सितंबर, 2019 को तामील किया गया और जो इस याचिका का संलग्नक 7 है) को अभिखंडित करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए ।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को तारीख 12 सितंबर, 2019 के वसूली प्रमाणपत्र (संलग्नक-7) के मतावलंबन में याची के विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रपीड़न की कार्रवाई किए जाने से निषिद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ परमादेश की प्रकृति में समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाएं ।"

15. इसी प्रकार से उपरोक्त वसूली प्रमाणपत्र को मैसर्स निराला बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड के पट्टागत रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित नोएडा के सेक्टर 63 स्थित मकान संख्या एच.-121 पर भी चस्पा किया गया था । उक्त निराला बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड ने भी निम्नलिखित अनुतोषों की ईप्सा करते हुए 2019 की रिट याचिका संख्या 32727 फाइल की :-

"(i) जिला गौतमबुद्ध नगर के दादरी के तहसीलदार द्वारा जारी किए गए तारीख 12 सितंबर, 2019 के वसूली/मांग की सूचना (संलग्न 2) को अभिखंडित करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाएं ।

(ii) प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को मैसर्स निराला बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड के नोएडा के सेक्टर 63 में स्थित कार्यालय संख्या एच.-121 को सील न किए जाने के लिए निर्देशित करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाएं ।"

16. याचियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री मोहन गुप्ता और श्री गगन गुप्ता ने निम्नलिखित निवेदन किए :-

"मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के देयों की वसूली याची से नहीं की जा सकती चूंकि याची मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में न तो शेयरधारक हैं और न ही पणधारक । मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के देयों की वसूली याचियों से नहीं की जा सकती चूंकि याची राकेश महाजन मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की एक अल्पसंख्यक शेयरधारक कंपनी है, में मात्र एक अल्पसंख्यक शेयरधारक है । उसने निवेदन किया कि मैसर्स पैन रियल्टर्स

प्राइवेट लिमिटेड एक पृथक् और सुभिन्न अस्तित्व है, जो उसके शेयरधारकों से सुभिन्न है और यह तथ्य पहले से सुस्थापित है कि किसी कंपनी के विरुद्ध देय रकम उसके शेयरधारकों/निदेशकों से वसूल नहीं की जा सकती और वर्तमान मामले में याची मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का न तो शेयरधारक है और न ही निदेशक, इसलिए मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध अभिकथित देयों की वसूली उसके विरुद्ध अग्रसर नहीं हो सकती ।"

17. याचिका में यह भी अभिकथित किया गया है कि याची को उसके विरुद्ध वसूली कार्यवाही आरंभ किए जाने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से कोई सूचना/अवसर प्रदान नहीं किया गया और इसलिए इसी आधार पर उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई पूर्णत: मनमानीपूर्ण और अवैध है ।

18. मैसर्स निराला बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने अपने निवेदनों को आगे बढ़ाते हुए दलील दी कि मैसर्स निराला बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की न तो शेयरधारक है और न ही सदस्य और यह कंपनी मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से पृथक् और सुभिन्न विधिक अस्तित्व है और इसलिए इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती ।

19. नोएडा प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री कौशलेंद्र नाथ सिंह ने खंडन शपथ-पत्र फाइल किया जिसके माध्यम से उन्होंने इस तथ्य को अभिलेख पर प्रस्तुत किया कि नोएडा प्राधिकरण ने मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया था । उन्होंने आगे अधिकथित किया कि पट्टा विलेख के निबंधनों के अनुसार 15,5,62,778.78/- रुपए की रकम, जो कुल रकम की 10 प्रतिशत होती है, का संदाय विशेष प्रयोजन कंपनी मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन के समय किया गया था और अधिशेष रकम का संदाय 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ और चूक की स्थिति में दांडिक ब्याज के अग्रिम उपबंध के साथ किश्तों में किया जाना था और चूंकि मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने समय पर किश्तों के संदाय

में चूक की, उनको अनेक पत्र जारी किए गए, जिनको खंडन शपथ-पत्र के साथ एक ही नत्थी में फाइल किया गया और संलग्नक सी.ए.-1 के रूप में चिह्नांकित किया गया । उपरोक्त कारण बताओ सूचना (सी.ए.-1) के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि सभी सूचनाएं मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को उनके नई दिल्ली स्थित ग्रेटर कैलाश-2 वाले कार्यालय एस.-406 (एल. जी.) को भेजी गई थी । उक्त समस्त सूचनाओं, जिनको संलग्नक सी.ए.-1 के रूप में फाइल किया गया है, को याचियों को नहीं भेजा गया था । नोएडा प्राधिकरण के विद्वान् काउंसेल श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह ने आगे अभिकथित किया कि चूंकि मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रकमों का संदाय नहीं किया, इसलिए जिला गौतमबुद्ध नगर के कलेक्टर को पट्टेदार कंपनी मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों और निदेशकों से उक्त रकमों को भू-राजस्व के बकाए के रूप में संग्रहीत किए जाने के लिए पत्र लिखा गया । तारीख 26 अगस्त, 2009 का उक्त पत्र अभिलेख पर संलग्नक सी.ए.-2 के रूप में उपस्थित है और उक्त पत्र के साथ पट्टेदार कंपनी के निदेशकों के विवरणों का भी प्रकटीकरण, जिनमें मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (याची का नाम सम्मिलित करते हुए) और मैसर्स एडवांस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशकों के नाम सम्मिलित हैं । उक्त पत्र में मैसर्स निराला बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड का कोई उल्लेख नहीं है । श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह ने यह निवेदन भी किया कि समस्त कंपनियों, जो मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की शेयरधारक हैं, के पास उक्त कंपनी के समस्त शेयरधारिता है और इसलिए ये सभी कंपनियां देयों के संदाय की दायी हैं । उन्होंने अपनी दलील को इस बाबत न्यायसंगत ठहराने का प्रयास किया कि याची राकेश महाजन और मैसर्स निराला बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड, जो मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक समुत्थान है, के विरुद्ध वसूली किस प्रकार से प्रसंस्कृत की जा रही है । श्री सिंह ने मैसर्स निराला बिल्डकोन के विरुद्ध वसूली के लिए उठाए गए कदमों को न्यायसंगत ठहराते हुए दलील दी कि ये दोनों ही कंपनियां एक हैं और दोनों की शेयरधारिता भी एक है और दोनों ही राकेश महाजन और उसके परिवार के नियंत्रण में हैं ।

20. नोएडा प्राधिकरण द्वारा फाइल किए गए खंडन शपथ-पत्र में यह भी अभिकथित किया गया है कि मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स निराला बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड की शेयरधारिता से यह दर्शित होता है कि ये दोनों ही कंपनियां याची राकेश महाजन को सम्मिलित करते हुए व्यक्तियों के समान समुच्य द्वारा चलाई जा रही हैं और प्रबंधित हैं । उन्होंने **डा. सुब्रतो राय** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] और **आम्रपाली और राज्यों** वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी अवलंब लिया और दलील दी कि उक्त रकमों की वसूली शेयरधारकों और निदेशकों से की जा सकती है । अत:, सारत: श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह का निवेदन यह है कि याची राकेश महाजन शेयरधारक कंपनी अर्थात् मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक होने के नाते मैसर्स पैन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स निराला बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड, जो मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक समुत्थान है, के बकाया देयों के संदाय का दायी है और वह मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के देयों के संदाय का भी दायी है ।

21. दोनों पक्षों के अधिवक्तओं द्वारा इस बात को भी स्वीकार किया गया कि पट्टेदार कंपनी मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए पट्टे को विनिर्धारित नहीं किया गया है और वे इस बाबत भी सहमत हैं कि प्राधिकरण ने आंशिक रूप से कार्य के पूर्ण होने का प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया था, जिसके आधार पर पट्टादाता कंपनी ने कतिपय भूखंड बेच दिए हैं और उन भूखंडों के संबंध में तृतीय पक्षों के अधिकार सृजित कर दिए हैं ।

22. अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों को दृष्टि में रखते हुए जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए, वह यह है कि :–

(क) क्या मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के देयों की वसूली याची राकेश महाजन से शेयरधारक कंपनी मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक होने के नाते और मैसर्स

---

[1] (2014) 8 एस. सी. सी. 470.

निराला बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड, जो शेयरधारक कंपनी मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक समुत्थान है, की जा सकती है ?

(ख) क्या मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के कारपोरेट परदे को शेयरधारकों और किसी शेयरधारक की सहायक समुत्थान कंपनी के देयों के लिए दायी अभिनिर्धारित किया जा सकता है ?

23. याचियों के दोनों ही काउंसेलों ने निम्नलिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक अवलंब लिया :-

1. **जिलेट इंडिया लिमिटेड** बनाम **दिल्ली विकास प्राधिकरण**[1]

2. **बलवंत राय सलूजा और एक अन्य** बनाम **एयर इंडिया लिमिटेड और एक अन्य**[2]

3. **बच्चा एफ. गौजदार** बनाम **आयकर आयुक्त, मुंबई**[3]

4. **मीकिन ट्रांसमिशन लिमिटेड** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[4]

5. **टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[5]

6. **आरसेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **सतीश कुमार गुप्ता और अन्य**[6]

7. **वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी. वी.** बनाम **भारत संघ**[7]

24. इसके विपरीत नोएडा प्राधिकरण के विद्वान् काउंसेल श्री

---

[1] 260 (2019) डी. एल. टी. 416.

[2] (2014) 9 एस. सी. सी. 407.

[3] ए. आई. आर. 1855 एस. सी. 74.

[4] 2008 (4) ए. एल. जे. 789 (डी. बी.).

[5] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 40.

[6] (2019) 2 एस. सी. सी. 1.

[7] (2012) 6 एस. सी. सी. 613.

कौशलेन्द्र नाथ सिंह ने इस न्यायालय द्वारा 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 25554 (**आशीष गुप्ता** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**) में तारीख 7 अगस्त, 2019 और 2005 की रिट याचिका (कर) संख्या 1464 (**जगबीर सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**) में पारित आदेश का अवलंब यह दलील देते हुए लिया कि याचियों के विरुद्ध वसूली न्यायसंगत है ।

25. याचियों द्वारा उद्धृत निर्णयों का परिशीलन किए जाने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि **जिलेट इंडिया लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुपार्जित बढ़ोत्तरी और परिणामिक पुनर्संदाय के मांग के प्रश्न पर विचार किए जाने की अपेक्षा की गई थी । याची कंपनी ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा मंजूर की गई योजना के निबंधनों के अनुसार कतिपय भूखंडों का कब्जा ले लिया था और उससे एक ऐसी कंपनी के देयों का संदाय किए जाने की अपेक्षा की गई थी, जिसको औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा रुग्ण (बीमार) कंपनी घोषित कर दिया गया था । दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो मताभिव्यक्ति की, वह निम्नलिखित है :-

> "39. यह घीसीपीटी विधि है कि कोई निगमित कंपनी एक ऐसा अस्तित्व होती है, जो अपने शेयरधारकों से पृथक् होती है । **बच्चा एफ. गौजदार** बनाम **आयकर आयुक्त** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी कंपनी की आय उसके शेयरधारकों की आय नहीं होती । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी कंपनी के शेयरधारकों को प्राप्त होने वाला लाभांश, जो उस कंपनी द्वारा कृषि आय से प्राप्त होना घोषित किया गया है, को कृषि आय नहीं माना जा सकता । यह विनिश्चय इस मूल सिद्धांत पर आधारित था कि कंपनी अपने शेयरधारकों से सुभिन्न एक पृथक् विधिक अस्तित्व होती है ।
>
> 40. पूर्वोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल्सबरी के लॉ आफ इंग्लैंड, खंड 6 (तृतीय संस्करण), पृष्ठ 234 को निर्दिष्ट किया और शेयरों के संबंध में निम्नलिखित लेखांश को उद्धृत किया :-

'शेयर किसी कंपनी की शेयर पूजी की विनिर्दिष्ट रकम का एक भाग होता है, जिसके साथ कतिपय अधिकार और दायित्व संलग्न होते है जबकि कंपनी की संपदा उस रीति में हस्तातरणीय होती है, जिसमें अनुच्छेद विहित करते हैं और वह संपदा भू-संपत्ति की प्रकृति की नहीं होती'

41. यह सुस्थापित है कि किसी कंपनी के शेयर पृथक् आस्ति होते हैं, जो कंपनी द्वारा धारित आस्तियों से पूर्णतया भिन्न होते हैं ।

42. वर्तमान मामले में मैसर्स टी.जी.सी. की शेयर पूंजी को दूसरे काम में लगा दिया गया था और साथ ही मैसर्स टी.जी.सी. द्वारा धारित शेयरों का अंतरण याची कंपनी के पक्ष में कर दिया गया था । याची कंपनी के शेयरों के अंतरण का अर्थान्वयन याची कंपनी की आस्तियों के अंतरण के रूप में नहीं किया जा सकता ।

43. **रुस्तम कैवेसजी कूपर** बनाम **भारत संघ** [(1970)1 एस. सी. सी. 248] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने उपरोक्त स्थिरीकृत सिद्वांत को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया :-

'11. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी विधिक व्यक्ति होती है, जो उसके व्यक्तिगत सदस्यों से पृथक् और सुभिन्न होती है । कंपनी की संपत्ति शेयरधारकों की संपत्ति नहीं होती । शेयरधारक का कंपनी में मात्र हित समाहित होता है, जो कंपनी के संगम अनुच्छेद के अंतर्गत उद्भूत होता है और जिसको दायित्व के प्रयोजनार्थ धनराशि द्वारा और वितरित लाभ में अशं द्वारा मापा जाता है । पुन: किसी कंपनी का निदेशक कंपनी के प्रबंधन के प्रयोजनार्थ मात्र उसका अभिकर्ता होता है । किसी कंपनी के खाते में जमा रकम का धारक उस कंपनी का लेनदार होता है, वह कंपनी के कब्जे में किसी विनिर्दिष्ट निधि का स्वामी नहीं होता । अत:, शेयरधारक, जमाकर्ता या निदेशक कंपनी के

अधिकारों के अतिलंघन के लिए याचिका फाइल करने का हकदार नहीं होता । जबकि उसके द्‌वारा आक्षेपित कार्रवाई द्‌वारा उसके अधिकारों का भी अतिलंघन नहीं होता ।'

44. **वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी. वी.** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए नवीनतम विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को अस्वीकृत कर दिया कि भारत में किसी अनिवासी धारक कंपनी के शेयरों का अंतरण सहायक कंपनी द्‌वारा धारित आस्तियों का अंतरण माना जाएगा । उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनिवासी धारक कंपनियों द्‌वारा अंशो के अंतरण से संबंधित संव्यवहारों पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ 'विचार किया जाना है' वाले परीक्षण को लागू किया । संव्यवहार को उसी प्रकार से देखा जाना चाहिए, जैसाकि वह दिखाई देता है और उसका विश्लेषण किए जाने वाला दृष्टिकोण अनपेक्षित होता है ।"

26. श्री रोहन गुप्ता द्‌वारा जिस अन्य निर्णय को उद्धृत किया गया, वह **बलवंत राज सलूजा** (उपरोक्त) वाला मामला है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर विचार किया था कि क्या किसी ठेकेदार के माध्यम से किसी कानूनी जलपान गृह में संलग्न कर्मकारों को मुख्य स्थापन का कर्मचारी प्रतीत किया जाना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा संख्या 67 से 74 में निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :-

"67. भारत और संपूर्ण विश्व में कंपनी अधिनियम ने सहायक कंपनियों को कानूनी रूप से पृथक् विधिक अस्तित्व के रूप में मान्यता प्रदान की है । 1956 के कंपनी अधिनियम (संक्षेप में '1956 का अधिनियम') की धारा 2(47) 'सहायक कंपनी' या 'सहायक' को 1956 के अधिनियम की धारा 4 के अर्थान्तर्गत सहायक कंपनी के अर्थ में परिभाषित करती है । 1956 के अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोई कंपनी 1956 के अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अन्य कंपनी की सहायक कंपनी प्रतीत की जाएगी । पुन: 1956 के अधिनियम की धारा 4 का खंड (1) ऐसी कंपनी पर कतिपय पूर्व

शर्तें अधिरोपित करता है, जिसे किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया जाता है । ऐसी किसी अन्य कंपनी को सहायक कंपनी के निदेशक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखना चाहिए और उसके साधारण शेयरों के 50 प्रतिशत पर नियंत्रणकारी हित और उस सहायक कंपनी के संबंध में मताधिकार रखना चाहिए ।

68. **वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी. वी.** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति के. एस. पी. राधाकृष्णन ने निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :–

'**धारक कंपनी और सहायक कंपनी** :

257. धारक कंपनी और विशेष प्रयोजन के लिए निगमित कंपनी के मध्य विधिक संबंध यह होता है कि वे दो सुभिन्न व्यक्तित्व होते हैं और धारक कंपनी अपनी सहायक कंपनी की आस्तियों की स्वामी नहीं होती और विधि की दृष्टि में सहायक कंपनी के व्यापार का प्रबंधतंत्र भी उसी के निदेशक बोर्ड में निहित होता है ।....

258. निश्चित रूप से धारक कंपनी, यदि उसकी सहायक कंपनी विशेष प्रयोजन के लिए निगमित सहायक कंपनी हैं, तो वह उसके किसी भी निदेशक को नियुक्त कर सकती है या पद से हटा सकती है, यदि वह सहायक कंपनी की आम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा ऐसा करना चाहे । धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एकल आर्थिक अस्तित्व के रूप में विचारित किया जा सकता है और समेकित बही-खाता धारक कंपनी और सहायक कंपनी के मध्य का लेखा संबंध होता है, जो संपूर्ण व्यापार उद्यम की हैसियत दर्शित करता है । सहायक कंपनियों में शेयरों के स्टॉक को प्रधान कंपनी की पुस्तकों में आस्तियों के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है और उन शेयरों को अतिरिक्त ऋण वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में

जारी किया जा सकता है । फिर भी धारक कंपनी और सहायक कंपनी को पृथक् विधिक अस्तित्वों के रूप में विचारित किया जाता है और सहायक कंपनी को विकेंद्रीयकृत प्रबंधतंत्र रखने की अनुज्ञा होती है । प्रत्येक सहायक कंपनी अपने स्वयं के प्रबंधतंत्र कार्मिकों में सुधार कर सकती है और धारक कंपनी भी अपनी सहायक कंपनियों के लाभ के लिए विशेषज्ञ, कार्यकुशल और सक्षम सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं ।'

69. **वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी. वी.** (उपरोक्त) वाले मामले में संयुक्त राष्ट्र **बनाम** वेस्ट फूड्स [141 एल. द्वितीय संस्करण 43 : 524 यू. एस. 51 (1998)] वाले मामले में संयुक्त राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय को पुन: निर्दिष्ट किया गया । इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया था कि कारपोरेट विधि के सामान्य सिद्धांत के रूप में कोई प्रधान कारपोरेशन अपनी सहायक कंपनियों के कार्यों के लिए दायी नहीं होता । संयुक्त राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय ने आगे इस बात को स्पष्ट किया कि कारपोरेट परदे को केवल तभी हटाया जा सकता है और प्रधान कंपनी को उसकी सहायक कंपनी के आचरण के लिए केवल तभी दायी ठहराया जा सकता है, जब यह दर्शित किया जाता है कि कंपनी के स्वरूप का दुरुपयोग कतिपय दोषपूर्ण प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए किया गया है और प्रधान कंपनी उस दोषपूर्ण कार्य, जिसके बाबत शिकायत की गई है, में प्रत्यक्षत: भागीदार रही है । मात्र किसी सहायक कंपनी के स्वामित्व, प्रधान के रूप में उस पर नियंत्रण, उसके प्रबंधतंत्र इत्यादि को उनके संबंध की हैसियत के बाबत कारपोरेट परदे को हटाए जाने और प्रधान कंपनी को दायी ठहराए जाने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त अभिनिर्धारित नहीं किया गया ।

70. कारपोरेट परदे को हटाए जाने का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अपवाद स्वरूप है कि कंपनी एक विधिक अस्तित्व होती है, जो अपने स्वयं के विधिक अधिकारों और बाध्यताओं के साथ अपने

शेयरधारकों से सुभिन्न अस्तित्व रखती है । यह सिद्धांत कंपनी के पृथक् व्यक्तित्व को मान्यता प्रदान करता है और कंपनी के कार्यों की तुलना उन लोगों के साथ करता है, जो अभिकथित रूप से उसके प्रत्यक्ष कार्यकारी नियंत्रण के अधीन हैं । इस सिद्धांत के आरंभिक बिंदु पर मामले के तथ्यों के संबंध में इस सिद्धांत की उपयोगिता को नकारते हुए लॉर्ड हाल्सबरी एल. सी. ने सालोमन **बनाम** ए. सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड [(1897) ए. सी. 22] वाले प्रसिद्ध मामले में (पैरा 31-33 में) यह अभिथित किया :

> '.... किसी भी कंपनी को किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति, जिसके अपने स्वयं के विधिक रूप से समुचित अधिकार और दायित्व होते हैं, की भांति विचार किया जाना चाहिए, ..., उन लोगों के विचार या योजनाएं कुछ भी रही हों, जो इसको अस्तित्व में लाए ।'

सालोमन (उपरोक्त) वाले मामले के पश्चात् अनेक मामलों में कारपोरेट परदे को हटाए जाने के सिद्धांत का आश्रय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया कि वह कंपनी 'धोखा' या 'छदम' कंपनी है । तथापि, उक्त सिद्धांत के लागू होने के बारे में अभी भी लागू होना शेष है ।

71. वर्तमान में इस विधि पर छह सिद्धांतों, जिनको बेन हाशेम **बनाम** अली शाइफ [(2008) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2380 (फैम)] वाले मामले में विरचित किया गया था, को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया । वे छह सिद्धांत, जिनको उपरोक्त मामले के पैरा 159-164 में विरचित किया गया, निम्नलिखित है :–

> (i) किसी कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण कारपोरेट परदे के हटाए जाने को न्यायसंगत ठहराए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है ;
>
> (ii) न्यायालय मात्र इस कारणवश कारपोरेट परदे को नहीं हटा सकता कि ऐसा किया जाना न्यायहित में अनिवार्य प्रतीत किया जाता है, यहां तक कि कंपनी में तृतीय पक्ष के हितों की अनुपस्थिति की स्थिति में भी ;

(iii) कारपोरेट परदे को केवल तभी हटाया जा सकता है, जब कुछ अनुचित कार्य हुआ हो ;

(iv) कारपोरेट परदे के प्रश्न के बाबत अनुचितता दायित्व से बचने या उसको छुपाने के प्रयोजनार्थ कंपनी की अवसंरचना के प्रयोग से संबद्ध होनी चाहिए ;

(v) कारपोरेट परदे को हटाए जाने के प्रयोजनार्थ अनुचितता को विनिश्चित किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी का नियंत्रण गलत कार्य करने वाले/वालों के कब्जे में होना चाहिए और उनके द्वारा कंपनी के प्रयोग या दुरुपयोग के बाबत अनुचितता उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों को छुपाए जाने की युक्ति या औजार के रूप में प्रयोग की गई हो ; और

(vi) कंपनी छद्म कंपनी भी हो सकती है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि उसका निगमन मूलत: किसी धोखाधड़ी के आशय के साथ किया गया हो, परंतु यह तब जबकि इसका प्रयोग सुसंगत संव्यवहारों के समय बिंदु पर धोखाधड़ी के प्रयोजनार्थ किया गया हो । तथापि, न्यायालय कारपोरेट परदे को केवल तभी हटाएगा यदि ऐसा किया जाना किसी विशिष्ट दोषपूर्ण कार्य, जिसको वे लोग जो कंपनी के नियंत्रण में थे, कर रहे थे, के लिए अनुतोष उपलब्ध कराए जाने के प्रयोजनार्थ किया जाना आवश्यक हो । **बेन हाशेम** (उपरोक्त) वाले मामले द्वारा अधिकथित सिद्धांत को **प्रेस्ट** बनाम **पेट्रोडेल रिसोरसेज लिमिटेड और अन्य** [(2013) यू. के. एस. सी. 34 पैरा 64] वाले मामले में यूनाइटेड किंग्डम के न्यायाधीश लार्ड नियोबर्जर द्वारा दोहराया गया और अंतत: निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की गई :–

> '35. मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इंग्लिश विधि का यह सीमित सिद्धांत है, जो उस स्थिति में लागू होता है जब कोई व्यक्ति ऐसी किसी विद्यमान विधिक बाध्यता या दायित्व या किसी विद्यमान विधिक निर्बंधन

> के अध्यधीन होता है, जिसको वह जानबूझकर अनदेखा करता है या जिसके प्रवर्तन को वह अपने नियंत्रणाधीन किसी कंपनी को प्रस्तुत करने के द्वारा जानबूझकर असफल कर देता है । ऐसी स्थिति में न्यायालय कारपोरेट परदे को इस प्रयोजन के लिए और मात्र इस प्रयोजन के लिए कि कंपनी या उसके नियंत्रक को उस लाभ से वंचित कर दिया जाए जो उनको कंपनी के पृथक् विधिक व्यक्तित्व होने के नाते अन्यथा रूप से अभिप्राप्त हो सकते हैं, हटा सकता है । इस सिद्धांत को उचित रूप से एक सीमित सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि लगभग सभी मामलों में, जहां इस परीक्षण को लागू किया जाता है, तथ्यों के आधार पर व्यवहारिक रूप से कंपनी और उसके नियंत्रक के मध्य विधिक संबंधों का प्रकटीकरण होता है, जो कारपोरेट परदे को हटाए जाने को अनावश्यक बना लेता है ।'

भारत में इस सिद्धांत के संबंध में विधिक स्थिति का उल्लेख विभिन्न विनिश्चयों में किया गया है । इस न्यायालय की संविधान पीठ ने **भारतीय जीवन बीमा निगम** बनाम **एस्काट्र्स लिमिटेड और अन्य** [(1986)1 एस. सी. सी. 264] वाले मामले में कारपोरेट परदे के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया :-

> "90. ... हम सामान्यत: और व्यापक रूप से चर्चा करते हुए यह कहते हैं कि कारपोरेट परदा ऐसे मामलों में उठाया जा सकता है, जहां कोई कानून स्वयमेव ही उसको उठाए जाने के लिए अनुध्यात करता हो या कपट या अनुचित आचरण का निवारण आशयित हो या किसी कराधान कानून या किसी लाभकारी कानून का अनदेखा किया जाना ईप्सित हो या जहां सहबद्ध कंपनियां इस प्रकार के उलझाव के साथ एक-दूसरे के साथ सहबद्ध हों कि वास्तव में वे एक ही समुत्थान के भाग हों । यह न तो आवश्यक है और न ही वांछित कि उन मामलों के वर्गों का उल्लेख किया जाए, जिनमें कारपोरेट परदे

का उठाया जाना अनुज्ञेय हो, चूंकि वह आवश्यक रूप से सुसंगत कानूनी या अन्य उपबंधों पर निर्भर होगा, इसलिए जिस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना ईप्सित है, वह आक्षेपित आचरण है और इसमें जनहित के तत्व का अंतर्वलित होना है, जिसका पक्षों, जो प्रभावित इत्यादि हो सकते हैं, पर प्रभाव पड़ता हो ।'

74. अत:, पूर्वोक्त विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए कारपोरेट परदे को हटाए जाने का सिद्धांत न्यायालय को किसी कंपनी के पृथक् विधिक व्यक्तितत्व को नकारने की अनुज्ञा प्रदान करता है और उन व्यक्तियों पर विधिक दायित्व अधिरोपित करता है, जो उक्त कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं । तथापि, इस सिद्धांत को निर्बंधित तरीके से लागू किया गया है और लागू किया जाना चाहिए, अर्थात् केवल उन्हीं स्थितियों में, जिनमें यह सुव्यक्त है कि कंपनी मात्र धोखा या छद्म कंपनी थी और उन व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर सृजित की गई थी जो उक्त कंपनी पर दायित्व से बचने के प्रयोजनार्थ नियंत्रण रख रहे थे । कारपोरेट परदे को हटाए जाने का आशय यह होना चाहिए कि कंपनी को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी दोषपूर्ण कार्य के विरुद्ध अनुतोष की ईप्सा की जा सके । अत: इस सिद्धांत को लागू किया जाना प्रत्येक मामले के विलक्षण तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होगा ।"

27. श्री रोहन गुप्ता द्वारा अन्य जिस निर्णय का अवलंब लिया गया, वह **बच्चा एफ. गौजदार** (उपरोक्त) वाला मामला है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय से आयकर अधिनियम की धारा 4(3)(viii) के अधीन छूट के प्रश्न को निर्णीत किए जाने की अपेक्षा की गई थी और इस मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि किसी कंपनी द्वारा अर्जित की गई आय की प्रकृति शेयरधारकों को प्राप्त आय की प्रकृति की नहीं होती । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी कंपनी के शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश, जिसकी घोषणा कंपनी द्वारा कृषि आय

से प्राप्त धन में से की गई है, को कृषि आय के रूप में विचारित नहीं किया जा सकता । उक्त विनिश्चय इस मूल सिद्धांत पर आधारित था कि कंपनी अपने शेयरधारकों से भिन्न पृथक् न्यायिक अस्तित्व होती है ।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए **सालोमन** बनाम **सालोमन एंड कंपनी**[1] वाले मामले में दिए गए प्रतिष्ठित निर्णय का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :–

> "24. किसी कारपोरेशन या कंपनी के संबंध में सत्य विधिक स्थिति, जो उसके निगमन को किसी विधिक प्राधिकारी द्वारा किए जाने को निर्दिष्ट करती है, के बाबत संदेह या विवाद नहीं किया जा सकता । विधि की दृष्टि में कारपोरेशन किसी नैसर्गिक व्यक्ति के समान होता है और उसका अपना स्वयं का विधिक अस्तित्व होता है । किसी निगम का अस्तित्व उसके शेयरधारकों से पूर्णतया सुभिन्न होता है, उसका अपना स्वयं का नाम होता है और अपनी स्वयं की मुहर होती है, उसकी आस्तियां उसके सदस्यों से पृथक् और सुभिन्न होती हैं, वह अपने प्रयोजनों के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है और उसके विरुद्ध अनन्य रूप से मुकदमा फाइल किया जा सकता है, उसके लेनदार उसके सदस्यों की आस्तियों से वसूली नहीं कर सकते, उसके सदस्यों या शेयरधारकों के दायित्व उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी तक सीमित होते हैं, इसी प्रकार से उसके सदस्यों के लेनदारों का उसकी आस्तियों पर कोई अधिकार नहीं होता । यह स्थिति **सालोमन** बनाम **सालोमन एंड कंपनी** (उपरोक्त) वाले मामले में वर्ष 1857 में दिए गए विनिश्चय के समय से ही सुस्थापित है और वास्तव में यह मामला कॉमन विधि का मान्यता प्राप्त सिद्धांत रहा है । तथापि, समय के व्यतीत होने के साथ-साथ यह सिद्धांत कि किसी कारपोरेशन या कंपनी का अपना स्वयं का विधिक और पृथक् अस्तित्व होता है, इस धारणा

---

[1] 1897 एस. सी. 22.

> के उपयोजन द्वारा कतिपय अपवादों के अध्यधीन हो गया है कि किसी कारपोरेशन के परदे को हटाया जा सकता और उसके चेहरे का सारत: परीक्षण किया जा सकता है । अत: कारपोरेट परदे को हटाए जाने का सिद्धांत इस व्यवहार में बदलाव दर्शित करता है कि विधि में आरंभिक रूप से कारपोरेशन के पृथक् अस्तित्व या व्यक्तित्व की संकल्पना को अंगीकृत किया गया था । आर्थिक कारकों की जटिलता के प्रभाव के परिणामस्वरूप न्यायिक विनिश्चयों ने कतिपय स्थितियों में कारपोरेशन के न्यायिक व्यक्तित्व के बाबत इस नियम के अपवादों को मान्यता प्रदान की है । यह हो सकता है कि समय के व्यतीत होने के साथ-साथ इन अपवादों की संख्या बढ़ जाए और विभिन्न आर्थिक समस्याओं की आवश्यकताओं को पूर्ण किए जाने के प्रयोजनार्थ कारपोरेशन के व्यक्तित्व के बाबत सिद्धांत अधिक से अधिक सीमित हो जाएं ।"

29. इन दोनों मामलों और इन दोनों मामलों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के तथ्यों को निर्दिष्ट किया जाना अनावश्यक होगा, क्योंकि प्रत्यर्थियों द्वारा यह विवादित नहीं किया गया है कि समान अपवादों को इस नियम के संबंध में मान्यता प्रदान की गई है कि किसी कारपोरेशन या कंपनी का न्यायिक या पृथक् रूप से विधिक अस्तित्व होता है । **पालमर** के शब्दों में कारपोरेट परदे को हटाए जाने का सिद्धांत पांच कोटियों के मामलों में लागू किया गया है, जहां कंपनियां धारक और सहायक (या उप सहायक) कंपनियों के साथ संबंधित होती है, जहां किसी शेयरधारक ने सीमित दायित्व का विशेषाधिकार खो दिया है और इस आधार पर कंपनी के कतिपय लेनदारों के प्रति प्रत्यक्षत: दायी हो गया है कि उसकी जानकारी के अनुसार कंपनी ने अपने सदस्यों की संख्या में विधि की दृष्टि में न्यूनतम सदस्यों की संख्या में कमी के पश्चात् भी छह माह तक व्यापार को आरंभ रखा, कतिपय मामलों में कराधान की विधि, मृत्यु शुल्क और स्टाम्प के संबंध में, विशेष रूप से जहां 'नियंत्रणकारी हित' का प्रश्न अंतर्वलित है, विनिमय नियंत्रण से संबंधित विधि में, और शत्रु के साथ व्यापार, जहां नियंत्रण का परीक्षण अंगीकृत किया जाता है । इनमें से कुछ न्यायिक विनिश्चयों में नि:संदेह रूप से

कारपोरेट परदे को उठाया गया और मामले पर सारतः विचार किया गया ।

30. इसी प्रकार से **गावर** ने इस स्थिति को यह मताभिव्यक्ति करते हुए स्पष्ट किया कि अनेक महत्वपूर्ण मामलों में विधान-मंडल ने **सालोमन** वाले मामले द्वारा अधिकथित कारपोरेट परदे के सिद्धांत का आश्रय लिया है । **गावर** ने कहा कि विशेष रूप से ऐसा किया गया है, तो कराधान के क्षेत्र में और उन मामलों में जिन पर कारपोरेट परदे को उठाए जाने के बजाए किसी औद्योगिक अस्तित्व को मान्यता प्रदान किए जाने, के बाबत विचार किया गया है । तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि **गावर** के अनुसार न्यायालयों ने केवल कानूनों का अर्थान्वयन 'कारपोरेट आवरण को तोड़कर खोले जाने' के प्रयोजनार्थ किया है, जब वे कानून के स्पष्ट शब्दों द्वारा ऐसा करने के लिए विवश हो गए, वास्तव में उन्होंने इस अर्थान्वयन से यथासंभव रूप से बचने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया । अतः वर्तमान में कारपोरेट आवरण को तोड़कर खोले जाने का न्यायिक दृष्टिकोण किसी सीमा तक सावधानी भरा और संदेहास्पद है । यह केवल वहीं पर किया जा सकता है, जहां विधायी उपबंध ऐसे अनुक्रम को अंगीकृत किए जाने को न्यायसंगत ठहराते हों, जैसेकि कारपोरेट परदे को उठाया जाना । अपवादिक मामलों में, जहां न्यायालय यह महसूस करते हैं कि वे स्वयमेव कारपोरेट अस्तित्व का अनदेखा करने में समर्थ हैं और व्यक्तिगत शेयरधारकों को उनके कार्यों के लिए दायी ठहरा सकते हैं, तो उसी अनुक्रम को अंगीकृत किया गया है । **गावर** ने अपने निष्कर्षों को स्पष्ट करते हुए सात कोटियों के मामलों को वर्गीकृत किया, जिनमें किसी कारपोरेट निकाय के परदे को हटाया गया है । किंतु यह संभव नहीं होगा कि किसी तर्कपूर्ण संगत और अनमनीय सिद्धांत, जिस पर इस प्रश्न को विनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सके कि क्या कारपोरेट परदे को हटाया जाना चाहिए या नहीं, अंतर्वलित किया जाना चाहिए । व्यापक रूप से चर्चा करते हुए, जहां कपट का निवारण आशयित होता है या शत्रु के साथ व्यापार को विफल किया जाना ईप्सित होता है, किसी कारपोरेट परदे को न्यायिक विनिश्चयों द्वारा हटाया

जाता है और शेयरधारकों को उन व्यक्तियों के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है, जो वास्तव में कारपोरेशन के लिए कार्य करते हैं ।

31. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **आरसेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 29-क(ग) की विधिमान्यता को निर्णीत करते हुए निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :–

> "35. इसी प्रकार से **बलवंत राय सलूजा और एक अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने **एस्कॉटर्स लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया :–
>
> > '70. कारपोरेट परदे को हटाने का सिद्धांत इस सिद्धांत के अपवाद में है कि कंपनी विधिक अस्तित्व होती है, जो अपने शेयरधारकों से पृथक् और सुभिन्न अस्तित्व रखती है और उसके अपने विधिक अधिकार और बाध्यताएं होती है । यह सिद्धांत कंपनी के पृथक् व्यक्तित्व से इनकार करता है और कंपनी को उन लोगों के प्रति दायी ठहरता है, जो उसके क्रियान्वयन के प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में हैं । इस सिद्धांत के आरंभिक बिंदु पर **सालोमन** (उपरोक्त) वाले प्रतिष्ठित निर्णय में मामले के तथ्यों पर इस सिद्धांत के लागू होने को नकारे जाने के संबंध में यह अभिकथित करते हुए चर्चा की गई है कि :–
> >
> > > 'किसी कंपनी से किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति की भांति उसके अधिकारों और दायित्वों (विधित:) को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए, जो उसके बाबत समुचित हो... चाहे उन लोगों, जो इसको अस्तित्व में लाए, के विचार या योजनाएं कुछ भी हों'"

32. **सालोमन** (उपरोक्त) वाले मामले के पश्चात् अनेक मामलों में कारपोरेट परदे को हटाने के सिद्धांत पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया कि जिस कंपनी के संबंध में इसका प्रयोग किया जा

रहा है, वह 'धोखा' या 'छद्म' कंपनी है । तथापि, उक्त सिद्धांत के उपयोजन पर अभी भी स्पष्टता का अभाव है :-

"71. नवींतम समय में **बेन हाशेम** बनाम **अली शाइफ** (उपरोक्त) वाले मामले में न्यायमूर्ति **मूनबी** ने विधि के छह सिद्धांतों को चारों तरफ से सूत्रबद्ध किया । ये छह सिद्धांत, जो उपरोक्त निर्णय के पैरा 159 से 164 में उल्लिखित हैं, निम्नलिखित हैं :–

'(i) किसी कंपनी का स्वामित्व और उसका नियंत्रण कारपोरेट परदे को हटाए जाने को न्यायसंगत ठहराए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है ;

(ii) न्यायालय कंपनी में किसी तृतीय पक्ष के हितों की अनुपस्थिति में मात्र इस कारणवश कि यह किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत किया जाता है, कारपोरेट परदे को नहीं हटा सकता ;

(iii) कारपोरेट परदा तभी हटाया जा सकता है, जब उसके बाबत कुछ अनौचित्य हो ;

(iv) प्रश्नगत अनौचित्य का संबंध कंपनी की अवसंरचना का अनदेखा किए जाने या दायित्व को छुपाए जाने के प्रयोग से होना चाहिए ;

(v) कारपोरेट परदे को हटाए जाने को न्यायसंगत ठहराए जाने के प्रयोजनार्थ कंपनी का नियंत्रण गलत कार्य करने वालों के हाथों में और अनौचित्य, दोनों तत्वों का विद्यमान होना चाहिए, अर्थात् कंपनी का प्रयोग और दुरुपयोग उनके द्वारा गलत कार्यों को छुपाए जाने की युक्ति या उपाए के रूप में किया जाना चाहिए ; और

(vi) कंपनी 'छद्म' हो सकती है, यद्यपि आरंभिकत: उसका निगमन किसी धोखेबाजी के आशय के साथ नहीं किया गया था, परंतु यह तब जबकि उसका प्रयोग सुसंगत

संव्यवहारों के समय-बिंदु पर किसी बात को छुपाए जाने के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है । तथापि, न्यायालय किसी विलक्षण दोषपूर्ण कार्य, जो कंपनी का नियंत्रण करने वालों द्वारा किया जाए, के लिए अनुतोष उपलब्ध कराए जाने के प्रयोजनार्थ कारपोरेट परदे को हटाएगा, जहां तक ऐसा किया जाना आवश्यक हो ।'

"72. **बेन हाशेम** (उपरोक्त) वाले मामले द्वारा अधिकथित सिद्धांतों को यूनाइटेड किंग्डम के उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रेस्ट** बनाम **पेट्रोडेल रिसोर्सेज़** (उपरोक्त) वाले मामले में लॉर्ड न्यूबर्जर द्वारा दिए गए विनिश्चय में दोहराया गया है । प्रेस्ट (उपरोक्त) वाले मामले में लॉर्ड सम्पसन ने अंतत: निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :-

'35. मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इंग्लिश विधि का एक सीमित सिद्धांत है, जो तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी विद्यमान विधिक बाध्यता या दायित्व के अधीन होता है या किसी विद्यमान विधिक निर्बंधन, जिसकी वह जानबूझकर अवहेलना करता है या जिसके प्रवर्तन को जानबूझकर अपनी किसी नियंत्रणाधीन कंपनी को अंतर्वलित किए जाने के द्वारा विफल करता है, के अध्यधीन होता है । ऐसी स्थिति में न्यायालय केवल और केवल कंपनी या उसके नियंत्रक को किसी ऐसे लाभ, जिसको उन्होंने कंपनी के पृथक् विधिक व्यक्तित्व द्वारा अन्यथा रूप से अभिप्राप्त कर लिया हो, से वंचित किए जाने के प्रयोजनार्थ कारपोरेट परदे को हटा सकता है । इस सिद्धांत को उचित रीति में सीमित सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि लगभग प्रत्येक मामले में, जहां इस परीक्षण को समाधान के प्रयोजनार्थ लागू किया जाता है, व्यावहारिक रूप से मामले के तथ्य कंपनी और उसके नियंत्रक के मध्य विधिक संबंधों का प्रकटीकरण करेंगे, जो कारपोरेट परदे को हटाए जाने को अनावश्यक बना देगा ।'

73. भारत में इस सिद्धांत के संबंध में विधि की स्थिति का

उल्लेख विभिन्न विनिश्चयों में किया गया है । इस न्यायालय की संविधान पीठ ने **भारतीय जीवन बीमा निगम** बनाम **एस्कार्टस लिमिटेडे** (उपरोक्त) वाले मामले में कारपोरेट परदे के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि (एस.सी.सी. का पृष्ठ 335-336 पैरा 90) :-

> '90. ... सामान्यत: और व्यापक रूप से चर्चा करते हुए हम यह कहते हैं कि कारपोरेट परदे को केवल ऐसी स्थिति में हटाया जा सकता है, जहां कोई कानून स्वयमेव ही कारपोरेट परदे को हटाए जाने के लिए अनुध्यात करता हो या जहां पर कपट या अनुचित आचरण का निवारण आशयित हो या किसी कराधान कानून या किसी कल्याणकारी कानून की अवहेलना किया जाना ईप्सित हो या जहां सहबद्ध कंपनियां इस प्रकार से आपस में जटिलतापूर्वक सहबद्ध हों कि वे वास्तव में एक ही समुत्थान का भाग बनाई गई हो । यह न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय कि ऐसे सभी मामलों के वर्गों का उल्लेख किया जाए जहां कारपोरेट परदे को हटाया जाना अनुज्ञेय हो, चूंकि वह आवश्यक रूप से सुसंगत कानूनी या अन्य उपबंधों, वह उद्देश्य जिसको अभिप्राप्त किया जाना ईप्सित हो, आक्षेपित आचरण, जनहित के तत्व के अंतर्वलन, उन पक्षों पर प्रभाव जो प्रभावित हो सकते हों, इत्यादि पर निर्भर होगा ।'"

33. इसी प्रकार से **दिल्ली विकास प्राधिकरण** बनाम **स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :-

> "24. हाऊस आफ लॉर्ड्स ने **सालोमन** (उपरोक्त) वाले मामले में यह मताभिव्यक्ति की, 'कंपनी विधि की दृष्टि में अपने शेयरधारकों से पूर्णतया भिन्न व्यक्ति होती है ..., और यद्यपि यह संभव है कि निबंधन के पश्चात् कंपनी का कारबार वही हो, जैसाकि

---

[1] (1996) 4 एस. सी. सी. 622.

पहले था और उस कंपनी के व्यक्ति और प्रबंधक भी समान हो और वही समान व्यक्ति और प्रबंधक कंपनी का लाभ भी प्राप्त करते हों, फिर भी वह कंपनी विधि की दृष्टि में अपने अंशदाताओं या न्यासियों की अभिकर्ता नहीं होती । साथ ही कंपनी के अंशदाता उसके सदस्यों के रूप में किसी भी स्वरूप में दायी नहीं होते, सिवाए विधि द्वारा उपबंधित सीमा तक और तरीके में ।' तभी से न्यायालयों ने उक्त नियम के अनेक अपवादों को मान्यता प्रदान की । यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उन सभी अपवादों को निर्दिष्ट किया जाए, फिर भी एक अपवाद, जो हमारे विचार से सुसंगत है, यह है 'जब कारपोरेट व्यक्तित्व का अंधाधुंध प्रयोग कपट के लिए आवरण या अनुचित आचरण के लिए किया जाता है ।' [गावर द्वारा लिखित माडर्न कंपनी ला, चौथा संस्करण, (1979) पृष्ठ 137, पैनिंगटन द्वारा लिखित कंपनी ला, पांचवा संस्करण (1985) पृष्ठ 53] । इन पुस्तकों में महान लेखकों द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि, 'जहां जनहित का संरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है या जहां कंपनी का निर्माण विधि द्वारा अधिरोपित बाध्यताओं की अवहेलना के लिए किया जाता है', तो न्यायालय कारपोरेट परदे को हटाएगा । विधि के प्रोफेसर एस. औटोलंगी ने 'from keeping behind the corporate will to ignoring it completely' नामक लेख में कहा है, 'संयुक्त राष्ट्र में कारपोरेट परदे को हटाए जाने की संकल्पना यूनाइटेड किंग्डम से अधिक विकसित है । वह उद्देश्य, जिसको न्यायाधीश सनबोर्न द्वारा अधिकथित किया गया और विधि के रूप में उद्धृत किया जाता रहा है, यह है कि, 'जब किसी विधिक अस्तित्व की संकल्पना का प्रयोग जन सुविधाओं को विफल करने, दोष को न्यायसंगत ठहराने, कपट को संरक्षण देने या अपराध की प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है, तो विधि उस कारपोरेशन को व्यक्तियों के संघ के रूप में मान्यता प्रदान करेगी । इस विधि पर विभिन्न यूरोपियन अधिकारिताओं द्वारा भी विचार किया गया है ।'

34. वास्तव में, अत्यधिक पहले वर्ष 1912 में एक अन्य अमेरिकन प्रोफेसर एल. मोरिश बॉर्मसर ने इस विषय पर अमेरिकन विनिश्चयों का

परीक्षण अत्यंत बुद्धिमतापूर्वक लिखे गए 'piercing the veil of corporate entity' नामक लेख [जो वर्ष 1912 में कोलंबिया ला रिव्यू के खंड 12 के पृष्ठ 496 पर प्रकाशित हुआ] में किया और जो निष्कर्ष निकाला, वह निम्नलिखित है :-

> "विभिन्न वर्गों के मामले, जिनमें कारपोरेट अस्तित्व की संकल्पना का अनदेखा किया जाना चाहिए और कारपोरेट परदे को हटाया जाना चाहिए, का संक्षेप में पुनर्विलोकन किया गया है । इस सामान्य नियम, यदि कोई हो, को अधिकथित किया जा सकता है ? सामान्यीकरण की निकटतम सीमा, जिस पर वर्तमान में प्राधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, यह है, 'जब कारपोरेट अस्तित्व की संकल्पना का प्रयोग लेनदारों के साथ कपट किए जाने के प्रयोजनार्थ किया जाता है, विद्यमान बाध्यताओं का अनदेखा किए जाने, किसी कानून का अनदेखा, एकाधिकार किए जाने या उसको शाश्वतता प्रदान किए जाने या अपराध को संरक्षण प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ किया जाता है, तो न्यायालय उस अस्तित्व के आवरण को हटा देगा और उस कंपनी को पुरुष और महिला शेयरधारकों के संघ के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और वास्तविक रूप से व्यथित लोगों के साथ न्याय करेगा।'"

35. पालमर द्वारा लिखित कंपनी ला के खंड 1 के भाग 2 में इस विषय पर चर्चा की गई है । अनेक ऐसी स्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें न्यायालय कारपोरेट परदे को हटाएगा । हमारे उद्देश्यों के लिए आठवें अपवाद को उद्धृत किया जाना पर्याप्त होगा । यह इस प्रकार है :-

> "न्यायालयों ने स्वयं को ऐसे मामलों में कारपोरेट परदे के हटाए जाने के प्रयोजनार्थ इच्छुक दर्शित किया है, जिनमें निबंधन की युक्ति का प्रयोग अवैध या अनुचित प्रयोजनों के लिए किया गया है ..... जहां भूमि के विक्रेता ने किसी कंपनी, जिसको उसने इसी प्रयोजन के लिए आमेलित किया था, के साथ की गई संविदा का भंग करते हुए भूमि का अंतरण करने के द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालन की कार्रवाई से बचने की ईप्सा की, तो न्यायालय उस कंपनी को मात्र धोखा देने वाली कंपनी के रूप में प्रतीत किया और

भूमि के विक्रेता और कंपनी दोनों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट निर्वहन का आदेश पारित किया ।"

36. इसी प्रकार के विचार कंपनी विधि पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए हैं, जिनको निर्दिष्ट करना हम आवश्यक नहीं समझते । पालमर और गावर द्वारा अधिकथित विधि का अनुमोदन इस न्यायालय द्वारा **टेल्को** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में किया गया । इस निर्णय का निम्नलिखित लेखांश उपयुक्त है :-

> "27. ....गावर ने सात कोटियों के मामले वर्गीकृत किए हैं, जिनमें कारपोरेट परदे को उठाया गया है । किंतु यह संभव नहीं होगा कि किसी युक्तियुक्त, संगत, अनमनीय सिद्धांत को अंतर्वलित किया जाए, जिसका अवलंब इस प्रश्न के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ लिया जा सकता हो कि क्या कारपोरेट परदा उठाया जाना चाहिए या नहीं । व्यापक रूप से चर्चा करते हुए, जहां किसी कपट का निवारण आशयित होता है या किसी शत्रु के साथ व्यापार को विफल किया जाना ईप्सित होता है, तो न्यायिक विनिश्चयों द्वारा कारपोरेट परदा उठाया जाता है और कंपनी के शेयरधारकों को उन व्यक्तियों के समान माना जाता है, जो कंपनी के लिए वास्तव में कार्य करते हैं ।"

37. **डी. एच. एन. फूड डिस्ट्रिब्यूटर लिमिटेड** बनाम **लंदन बोरो आफ टावर हैमलेट्स**[2] वाले मामले में अपील न्यायालय में कंपनियों के एक समूह के मामले पर विचार किया । लार्ड डैनिन ने गावर द्वारा लिखित कंपनी ला में समाविष्ट निम्नलिखित कथन को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया, जो यह है कि :-

> "यह सामान्य प्रवृत्ति का साक्ष्य है कि किसी समूह के भीतर विभिन्न कंपनियों के पृथक् विधिक अस्तित्वों का अनदेखा किया जाए और इसके बजाए संपूर्ण समूह के आर्थिक अस्तित्व पर विचार किया जाए ।"

---

[1] (1964) 6 एस. सी. आर. 885.

[2] (1976) 3 ऑल ई. आर. 462.

38. विद्वान् मास्टर आफ रोल्स ने मताभिव्यक्ति की कि 'यह समूह परोक्ष रूप से उसी प्रकार का समूह है, जैसेकि साझेदारी में होता है, जिसमें सभी तीन कंपनियां भागीदार होती हैं । उन्होंने इस मामले को 'थ्री इन वन' मामला कहा और आनुकल्पिक रूप से 'वन इन थ्री' मामला कहा ।

39. कारपोरेट अस्तित्व की संकल्पना को व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित और प्रोन्नत किए जाने के लिए अंतर्वलित किया गया था, अवैधताएं कारित करने के लिए या लोगों के साथ कपट करने के लिए नहीं । इसलिए, जहां कारपोरेट प्रकृति को अवैधता कारित किए जाने के प्रयोजनार्थ या अन्य लोगों के साथ कपट किए जाने के प्रयोजनार्थ योजित किया जाता है, तो न्यायालय कारपोरेट प्रकृति को अनदेखा करेगा और कारपोरेट परदे के पीछे छुपी हुई वास्तविकता पर विचार करेगा ताकि वह संबद्ध पक्षों के मध्य न्याय करने के प्रयोजनार्थ समुचित आदेश पारित करने के समर्थ हो सके । यह तथ्य कि तेजवंत सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने अनेक कारपोरेट निकाय सृजित किए, इस न्यायालय द्वारा उनको तेजवंत सिंह और उनके परिवार से संबंधित और उनके द्वारा नियंत्रित एक अस्तित्व नहीं माना जा सकता, यदि यह पाया जाता है कि ये कारपोरेट निकाय मात्र परदा हैं, जिनके पीछे तेजवंत सिंह/या उनके परिवार के सदस्य छुपे हुए हैं और निबंधन की युक्ति वास्तव में एक उपाय थी, जिसको अवैधताएं कारित किए जाने के प्रयोजनार्थ अंगीकृत किया गया था ।

40. अत: यह स्पष्ट है कि जहां कोई कानून स्वयमेव ही कारपोरेट परदे को उठाए जाने के लिए उपबंधित करता है या जहां जनहित का संरक्षण सर्वोपरि महत्व का विषय या जहां किसी कंपनी को विधि द्वारा अधिरोपित बाध्यताओं की अवहेलना किए जाने के प्रयोजनार्थ सृजित किया गया है, तो न्यायालय कारपोरेट परदे को उठाएगा । इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत कंपनियों के समूह के संबंध में भी लागू किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण कंपनी समूह पर आर्थिक अस्तित्व के रूप में विचार किए जाने के समर्थ हो सके ।

41. अब हम **मीकिन ट्रांसमिशन लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में

इस न्यायालय द्‌वारा दिए गए अगले निर्णय पर विचार करते हैं, जिसमें यह न्यायालय कंपनी के विरुद्ध व्यापार कर के बकाए के बाबत कंपनी के निदेशक को भेजी गई वसूली की सूचना पर विचार कर रहा था । इस न्यायालय ने कंपनियों की संपूर्ण संकल्पना, निदेशकों और शेयरधारकों की हैसियत पर विचार किया और **सालोमन** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए प्रतिष्ठित निर्णय का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया :–

"71. वह मुख्य सिद्धांत जिसको पूर्वोक्त मामलों में अभिकथित किया गया है और अभिव्यक्त रूप से अभिकथित किया गया है और **पुरुषोत्तम दास बेरीवाल** (उपरोक्त) वाले मामले में दोहराया गया है, निम्नलिखित है –

'विधि का मुख्य सिद्धांत यह है कि जब किसी कंपनी के विरुद्ध कोई कानूनी दायित्व विद्‌यमान होता है तो उसके निदेशक की व्यक्तिगत आस्तियों से कोई वसूली नहीं की जा सकती, जब तक कि इस प्रयोजनार्थ कानून में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो या विधि द्‌वारा अपेक्षा न की गई हो । हमारे संज्ञान में यह नहीं लाया गया है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट उपबंध है, जिसके अधीन किसी कंपनी के विरुद्ध अधिशेष दायित्व की वसूली कंपनी के निदेशक की व्यक्तिगत आस्तियों से की जा सकती है ।'

72. वह विधिक स्थिति, जिसको उपरोक्त स्थिति से पृथक् किया गया है, यह है कि किसी ऐसे मामले में, जहां कतिपय व्यक्तियों द्‌वारा कारपोरेट व्यक्तित्व को एक आवरण के रूप में या एक मुखौटे के रूप में कर दायित्व के निवारण या जन निधियों को अन्यत्र हस्तांतरित किए जाने या जन सामान्य के साथ कपट किए जाने या कतिपय अवैध प्रयोजनों इत्यादि के लिए अभिप्राप्त किया जाता है, तो इस बात का पता लगाए जाने के प्रयोजनार्थ कि वे लाभार्थी कौन हैं जो इस प्रकार के दायित्व को रोके जाने या किसी अननुज्ञेय उद्देश्य को अभिप्राप्त किए जाने के लिए कारपोरेट

व्यक्तित्व का आश्रय लेने के लिए अग्रसर हुए, कारपोरेट व्यक्तित्व के परदे को उठाया जाएगा ताकि वे व्यक्ति, जिनकी इस प्रकार से पहचान की गई है, को दायी ठहराया जा सके । तथापि, इस सिद्धांत को सामान्य अनुक्रम में, नैत्यिक तरीके में और दिन-प्रतिदिन के मामले के रूप में लागू किया जाना चाहिए ताकि कंपनी की देयों की वसूली निदेशकों की व्यक्तिगत आस्तियों से की जा सके, चाहे वे किसी भी कारणवश वसूल न किए जाने योग्य हो गए हों । यदि इस प्रकार के किसी अनुक्रम को अपनाए जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके न केवल विध्वंसकारी परिणाम होंगे बल्कि यह अनुक्रम न्यायिक व्यक्तित्व की संकल्पना को भी पूर्णतया नष्ट कर देगा, जिसको वर्तमान मामले में लागू विधि की भांति अनेक कानूनों द्वारा प्रदत्त किया गया है और यह अनुक्रम अनेक अधिनियमितियों और उनके प्रभाव को निष्फल और अप्रयोज्य बना देगा । इसके अतिरिक्त कंपनी के निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराए जाने के पक्ष में दी गई दलीलों के खोखलेपन पर किसी अन्य दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है । प्रत्येक मामले में यह आवश्यक नहीं कि कंपनी का निदेशक कंपनी का शेयरधारक भी हो । यह संभव है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र या पेशे में उसकी विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए और उन उद्देश्यों को अभिप्राप्त करने के लिए, जिसके लिए कंपनी का निगमन किया गया, उसको निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो । ऐसे निदेशकों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं, यदि कोई हों, के बदले में पारिश्रमिक का संदाय किया जाता है । वह कंपनी के कारबार या व्यापार इत्यादि, जैसा भी मामला हो, जिसमें कंपनी संलग्न है, का लाभार्थी कतई नहीं होता । इस प्रकार के लाभ केवल कंपनी के शेयरधारकों को उपलब्ध होते हैं, चूंकि वे केवल कंपनी द्वारा अर्जित लाभ में अपना भाग लाभांश के रूप में, जैसाकि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्णीत किया जाए, प्राप्त करने के हकदार होते हैं । ऐसे मामलों में यद्यपि वह निदेशक कंपनी का एक अभिकर्ता होता है, किंतु फिर भी वह कंपनी के अधिकारी के रूप में होता है और न कि शेयरधारिता के द्वारा सीमित स्वामित्व

की हैसियत में । हमारे विचार में ऐसा निदेशक, जब तक कि वह किसी अपकरण, कपट या अधिकारों के परे जाकर कार्य करने का दोषी नहीं होता, हम यह समझ पाने में असमर्थ है कि उसको किस प्रकार से कंपनी के देयों के लिए दायी ठहराया जा सकता है, चाहे हम कारपोरेट परदे को हटाए जाने के सिद्धांत को लागू करें । यदि ऐसे किसी मामले में कारपोरेट परदे को हटाया जाता है, तो परदे के पीछे वाले व्यक्ति अधिक से अधिक कंपनी के संप्रवर्तक होंगे या फिर वे होंगे, जिन्होंने किसी धोखे या व्यर्थ संव्यवहार के द्‌वारा कारपोरेट व्यक्तित्व अभिप्राप्त करने की ईप्सा की है । इसी प्रकार से, कुछ कंपनियों में वित्तीय संस्थाओं, जो फंड या ऋण इत्यादि उपलब्ध कराते हैं, अपने निदेशक/कों को कंपनी के कार्यों की किसी सीमा तक समीक्षा करने के लिए नामित कर देते हैं, ताकि वह कंपनी अपने निदेशक मंडल के उपेक्षापूर्ण या असावधानीपूर्ण कार्यों के कारण परिसमापन का सामना न करे । हमारे विचार में ऐसे निदेशक भी उन व्यक्तियों की कोटि में सम्मिलित नहीं किए जाते, जो कंपनी के देयों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होते हैं ।

73. इस बात का पता लगाने के लिए कि वे व्यक्ति कौन हैं, जो व्यक्तिगत रूप से दायी हैं, जब कारपोरेट परदे को उठाया जाता है तो यह बात पूर्णतया असुसंगत होगी कि क्या वह व्यक्ति कंपनी का निदेशक है या संप्रवर्तक शेयरधारक है या कंपनी का कोई अन्यथा व्यक्ति है, चूंकि कारपोरेट परदे को हटाए जाने का उद्देश्य इस बात का पता लगाना होता है कि वह व्यक्ति/वे व्यक्ति, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कारपोरेट व्यक्तित्व का लाभ लेते हुए कार्य कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है या किसी परिवार से संबंधित व्यक्तियों का समूह या नातेदार हो सकता है या अन्यथा रूप से कोई लघु समूह हो सकता है, जिसे कुछ अवैध, अनैतिक या अनुचित प्रयोजनों इत्यादि को अभिप्राप्त किए जाने के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत एकत्रित किया गया हो । जब तक विभिन्न पहलुओं के संबंध में कोई अन्वेषण नहीं किया जाता, हम यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि कंपनी का कोई निदेशक किस प्रकार से और किस तरीके में कंपनी के देयों की वसूली के लिए

व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्षत: अग्रसर हो सकता है, जब तक कि ऐसा कानून के किसी उपबंध द्वारा उपबंधित न किया गया हो ।

74. माननीय उच्चतम न्यायालय ने पी. सी. अग्रवाल **बनाम** मजदूरी संदाय निरीक्षक, मध्य प्रदेश और अन्य [ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3576] वाले मामले में मजदूरी संदाय अधिनियम के उपबंधों के संदर्भ में नवीनतम रूप से उत्पन्न हुए इसी प्रकार के विवाद पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया –

> 17. यह कहना घीसापीटा है कि किसी व्यक्ति का दायित्व उस दायित्व को शासित करने वाले कानूनी उपबंधों पर निर्भर होता है । 1956 के कंपनी अधिनियम (संक्षेप में 'कंपनी अधिनियम') की धारा 5 और 291 का उल्लेख इस संबंध में किया जाता है । धारा 5 में वह अधिकारी निर्दिष्ट है, जिसने चूक की है । इसके विपरीत धारा 291 निदेशक मंडल की सामान्य शक्तियों से संबंधित है । अधिनियम के अंतर्गत दायित्व अधिरोपित किए जाने के प्रयोजनार्थ इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अधिनियम किसके ऊपर दायित्व निर्धारित करता है । धारा 3 मंजदूरी संदाय अधिनियम के लिए उत्तरदायित्व की चर्चा करती है । यह धारा 'नियोजक', जो अभिव्यक्ति धारा 2(iक) में परिभाषित की गई है, के बारे में चर्चा करती है । धारा 15 उन दावों को निर्दिष्ट करती है, जो मजदूरी से कटौती किए जाने या मजदूरी के संदाय में विलंब किए जाने और दोषपूर्ण या परेशान करने वाले दावों के लिए शास्ति अधिरोपित किए जाने के कारण उद्भूत हुए हैं । ऐसे मामलों में कानूनी दृष्टि से निदेशकों के विरुद्ध कोई दायित्व निर्धारित नहीं किया जाता ।

75. पुन:, निर्णय के पैरा 24 में भी न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :–

> 'इसलिए, अभिभावी कानून की भाषा को पढ़े जाने पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि निदेशकों का कोई व्यक्तिगत दायित्व भी था ....।'

76. उक्त निर्णय में कारपोरेट परदे को हटाए जाने के सिद्धांत के उपयोजन के संबंध में न्यायालय ने पालमर और गावर जैसे विद्वान् लेखकों को निर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् स्पष्ट शब्दों में कहा कि कारपोरेट खोखे को नष्ट किए जाने के पीछे न्यायिक दृष्टिकोण किसी सीमा तक सावधानी और सर्तकता है । इस न्यायिक दृष्टिकोण का प्रयोग केवल तब किया जाता है, जब कानून ऐसे किसी अनुक्रम को अंगीकृत किए जाने को न्यायसंगत ठहराता है या आपवादिक मामलों में, जहां न्यायालय इस बाबत संतुष्ट हो जाते हैं कि कारपोरेट अस्तित्व का अनदेखा किया जाए और व्यक्तिगत शेयरधारकों को उनके कार्यों का दायी प्रतीत किया जाए, तो इस प्रकार का अनुक्रम अंगीकृत किया जाता है । व्यापक रूप से जहां कपट का निवारण या शत्रु के साथ व्यापार को असफल किया जाना आशयित होता है, कारपोरेट परदे को न्यायिक विनिश्चय द्वारा हटाया जाता है और शेयरधारकों को 'वे व्यक्ति, जो वास्तव में कंपनी के लिए कार्य करते हैं' माना जाता है ।

77. इस निर्णय से यह भी दर्शित होता है कि सामान्यत: जब कारपोरेट परदे को हटाया जाता है, तो उस कंपनी के संप्रवर्तकों, शेयरधारकों या उन शेयरधारकों, जो कंपनी के लिए परदे के पीछे से कार्य कर रहे हैं, को उत्तरदायी पाया जाता है और इस प्रकार से निदेशकों को कंपनी के दायित्वों को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसके लिए कानून उपबंधित नहीं करता या यह पाया जाता है कि निदेशकों के कार्य अधिकारातीत हैं, जिनके परिणामस्वरूप कंपनी की आस्तियों और निधियों का विनाश हो रहा है और जिसके कारण कंपनी से वसूली असंभव हो जाएगी ।

78. हम संक्षेप में उन मामलों को कोटिबद्ध कर सकते हैं, जिनमें किसी निगमित निकाय के कारपोरेट व्यक्तित्व का अनदेखा किया जा सकता है और यह उचित होगा कि प्रतिष्ठित लेखक पालमर द्वारा लिखित कंपनी ला के 23वें संस्करण को निर्दिष्ट किया जाए, जिसमें उन्होंने उन मामलों को कोटिबद्ध किया है जिनमें कंपनी के पृथक् अस्तित्व के सिद्धांत को कारपोरेट परदा

हटाने के सिद्धांत को अंगीकृत किए जाने के द्वारा वर्जित किया गया है, कुल 15 कोटियां हैं और उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं –

'(1) जहां कंपनियों के संबंध धारक और सहायक (या उप सहायक) कंपनियों के हैं ;

(2) जहां किसी शेयरधारक ने सीमित दायित्व का विशेषाधिकार खो दिया है और कंपनी के कतिपय लेनदारों के प्रति इस आधार पर प्रत्यक्षतः दायी हो गया है कि कंपनी उस तारीख से छह माह पश्चात् तक कारबार में संलग्न रही, जब इसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम विधिक संख्या से घट गई थी ;

(3) कराधान विधि से संबंधित कतिपय मामलों में ;

(4) मृत्यु शुल्क और स्टाम्प, विशेष रूप से जहां 'नियंत्रक हित' का प्रश्न विवादित है ;

(5) विनिमय नियंत्रण मामलों से संबंधित विधि के मामलों में ;

(6) शत्रु के साथ व्यापार से संबंधित विधि के मामलों में, जहां नियंत्रण का परीक्षण अंगीकृत किया जाता है ;

(7) जहां कोई धारक कंपनी या सहायक कंपनी स्वतंत्र तरीके में कार्य नहीं कर रही और इसलिए उनको आर्थिक ईकाइ सृजित करने वाली कंपनी प्रतीत किया गया ;

(8) जहां किसी विद्यमान कंपनी के सदस्यों द्वारा कोई नई कंपनी सृजित की गई और वे मात्र विद्यमान कंपनी के अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयरों के स्वामित्वहरण के उद्देश्य से विद्यमान कंपनी में 9/10 शेयर धारित करते हों ;

(9) जहां निगमन की युक्ति का प्रयोग अवैध और अनुचित उद्देश्यों के लिए किया गया हो ;

(10) जहां श्रम कल्याण से संबंधित मामलों को निष्फल

किए जाने या उनका दुरुपयोग किए जाने या उनका नुकसान किए जाने के लिए कुछ नियंत्रक शेयरधारकों द्वारा प्रोन्नत अनेक कंपनियां हों ;

(11) जहां तथ्य या साम्यापूर्ण विचारणाएं **सालोमन** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित कड़े नियम से छूट प्राप्ति को न्यायसंगत ठहराते हों ।'"

79. एक अन्य विद्वान् लेखक श्री एल. सी. बी. ग्रोवर ने 'प्रिंसिप्लस आफ मॉडर्न कंपनी ला' नामक पुस्तक के चौथे संस्करण में इस प्रकार का दृष्टांत पेश किया है, जिसमें किसी कारपोरेट निकाय के परदे को हटाया जाता है और उसको कपटपूर्ण व्यापार, कंपनी के गलत वर्णन और कराधान मामलों, जिनमें कानून इसकी अपेक्षा करता है, के रूप में उल्लिखित किया है ।

80. अब संक्षेप में कारपोरेट परदा उठाए जाने या कारपोरेट परदे को हटाए जाने का सिद्धांत एक सुस्थापित सिद्धांत है जिसको समय-समय पर भारत के न्यायालयों द्वारा भी लागू किया जाता रहा है । इस प्रतिपादना के बाबत कोई संदेह नहीं कि जब कभी भी परिस्थितियां अपेक्षा करती हैं, तो कंपनी का कारपोरेट परदा इस तथ्य को देखे जाने के बाबत उठाया जा सकता है कि कारपोरेट परदे के पीछे किसका चेहरा है, जो कपटपूर्ण आचरण करने का प्रयास कर रहा है या कारपोरेट व्यक्तित्व का अनैतिक, अवैध या अन्य प्रयोजनों, जो लोक नीति के विरुद्ध हैं, के लिए लाभ लेने का प्रयास कर रहा है । कारपोरेट परदे को इस प्रकार से उठाए जाने को उस स्थिति में भी लागू किया जाना चाहिए, जब किसी कानून में इसके लिए उपबंधित किया गया हो, यद्यपि यह नैत्यिक मामला नहीं हो सकता । इस बात का पता लगाए जाने के प्रयोजनार्थ कंपनी के मामलों और तथ्यों का विस्तारपूर्वक अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता होती है कि क्या कारपोरेट व्यक्तित्व का परदा किसी विशिष्ट मामले में उठाए जाने की आवश्यकता है । किसी मामले में कारपोरेट परदे को उठाए जाने के पश्चात्, जहां ऐसा किया जाना अपेक्षित हो, सदैव यह संभव नहीं होता कि कंपनी

के निदेशक स्वयमेव ही उत्तरदायी हो जाएंगे, किंतु पुनः यह अन्वेषण का मामला होगा कि वे उत्तरदायी व्यक्ति कौन हैं, जिन्होंने उक्त सिद्धांत के लागू किए जाने वाला कार्य किया ।

कारपोरेट परदे को हटाए जाने के सिद्धांत के उपयोजन के लिए आरंभिक भार :

81. यदि कोई करों के देयों या अन्य लोक राजस्व या अन्य मामलों के संबंध में, कारपोरेट व्यक्तित्व की अवहेलना करना चाहता है, तो उसके ऊपर कारपोरेट परदे को हटाए जाने के सिद्धांत के अवलंबन को न्यायसंगत ठहराए जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेख पर सुसंगत सामग्री और तथ्यों को प्रस्तुत करने और यह अभिवाक् करने का भार होगा कि कारपोरेट परदे को प्रतिरक्षा का आधार न बनाया जाए । कानून द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व की नैत्यिक तरीके में या केवल बातचीत की भाषा में उपेक्षा नहीं की जा सकती या उसका अनदेखा नहीं किया जा सकता । वास्तव में जब कभी भी कारपोरेट परदे को हटाया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने कारपोरेट व्यक्तित्व का खोखा उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों के संव्यवहारों या आशय को आवरण प्रदान किए जाने के लिए बहाने या मुखौटे के रूप में अभिप्राप्त कर लिया है, जो न तो विधिक है और न ही अन्यथा रूप से जनहित में है । वास्तव में उन व्यक्तियों के प्रयास को कपट या दुर्व्यपदेशन के समान देखा जाना चाहिए । अतः, ऐसे मामलों में किसी कारपोरेट निकाय के विधिक व्यक्तित्व का अनदेखा नहीं किया जा सकता, चूंकि यह सुस्थापित है कि कपट प्रत्येक बात को दूषित कर देता और इसलिए विधिक व्यक्तित्व का लाभ, जो किसी के द्वारा उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अभिप्राप्त किया है, जो विधिसंगत और यद्यपि विधिसंगत तो है किंतु अन्यथा रूप से अनुज्ञे नहीं है, कारपोरेट व्यक्तित्व के ऐसे कपटपूर्ण क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप होने के नाते अनदेखा किया जाएगा, किंतु अन्यथा नहीं । ये वे बाते हैं, जो निश्चायक और तथ्यात्मक सामग्री पर आधारित हैं और इनके बाबत समुचित

अभिवचनों की अनुपस्थिति में और उस व्यक्ति, जो कारपोरेट परदे को हटाए जाने के सिद्धांत का अवलंब ले रहा है, द्वारा अभिलेख पर सामग्री प्रस्तुत न किए जाने और कारपोरेट निकाय के न्यायिक व्यक्तित्व का अनदेखा किए जाने के कारण उपधारणा नहीं की जा सकती । जब किसी संबद्ध व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किसी सुसंगत सामग्री को अभिलेख पर उपलब्ध कराया जाता है, तत्पश्चात् यह अन्य पक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि वह पूर्वोक्त तथ्यों के प्रत्युत्तर में सामग्री प्रस्तुत करे किंतु मात्र यह तथ्य कि कंपनी सरकारी देयों या लोक राजस्व के संदाय में विफल हो गई है, स्वयमेव ही कारपोरेट परदे को हटाए जाने के सिद्धांत को आमंत्रित नहीं करेगा और किसी कंपनी को प्रदत्त कानूनी कारपोरेट व्यक्तित्व का अनदेखा किए जाने और उसके निदेशकों या शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा ।'

42. बार की तरफ से जो अगला निर्णय उद्धृत किया गया, वह **वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी. बी.** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है, जिसमें उसकी धारक सहायक कंपनी के देयों के बाबत प्रधान कंपनी के दायित्वों पर अनन्य रूप से विचार किया गया है :-

"78. धारक कंपनियों को कारपोरेट और साथ ही साथ कराधीन विधियों में मान्यता प्रदान की गई है । विशेष प्रयोजन के लिए बनाई गई कंपनियों और धारक कंपनी का भारत के विधिक क्षेत्र में स्थान है, चाहे वह कंपनी विधि हो या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अधीन कार्यभार संभालने की संहिता हो [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अर्जन और कार्यभार ग्रहण) विनियम, 2001] या भारतीय कराधान विधि के अंतर्गत भी ।

79. जब किसी धारक संरचना के कराधान का मामला उपस्थित होता है, तो आरंभिकत: कर के सृजन और/या ऐसी ही अन्य संरचनाओं के प्रयोग के बाबत अभिकथन करने और दुरुपयोग

को साबित करने का भार राजस्व विभाग पर होता है । किसी न्यायिक विरोधी परिहार नियम का उपयोग करते हुए राजस्व विभाग 'स्वरूप के ऊपर सार' के सिद्धांत या 'कारपोरेट परदे को हटाए जाने' के सिद्धांत का अवलंब केवल तब ले सकता है, जब वह संव्यवहार की प्रतिवेषी परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर यह साबित करने की स्थिति में हो कि आक्षेपित संव्यवहार धोखा है या कर से बचने का उपाय है । इस बाबत एक दृष्टांत पर विचार करते हैं, यदि किसी संरचना का प्रयोग किसी विशेष वर्ग के लोगों के मध्य व्यापार के लिए किया जाता है या रिश्वत का संदाय करने के लिए किया जाता है, तो यद्यपि इस प्रकार के संव्यवहारों का स्वरूप विधिक होगा, फिर भी इस प्रकार के संव्यवहारों की अनदेखी वित्तीय शून्यता का परीक्षण लागू करते हुए की जानी चाहिए । इसी प्रकार से, ऐसे मामले में, जहां राजस्व विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी धारक कंपनी में कोई अस्तित्व, जिसका वाणिज्यिक/कारबार क्षेत्र में कोई दखल नहीं है, का प्रयोग केवल कर से बचने के लिए किया गया है, तो ऐसे मामले में राजस्व विभाग को वित्तीय शून्यता का परीक्षण लागू करते हुए यह अधिकार होगा कि वह उस अस्तित्व की अंत:स्थितिकरण का अनदेखा करे । तथापि, ऐसा केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए ।

80. इस संबंध में हम **रामसे** [1982 ए. सी. 300 = (1981) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 449 = (1981) 1 आर. ई. आर. 865 (एच. एल.)] वाले मामले में प्रतिपादित 'देखा जाए' सिद्धांत को दोहराते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राजस्व विभाग या न्यायालय को किसी दस्तावेज या संव्यवहार पर ऐसे संदर्भ में विचार करना चाहिए, जिससे संपत्ति संबंधित हो । यह राजस्व विभाग/न्यायालय का कार्य है कि वे संव्यवहार की विधिक प्रकृति को अभिनिश्चित करें और उनको ऐसा करते हुए संपूर्ण संव्यवहार पर संपूर्णता में विचार करना चाहिए और एकांतवादी दृष्टिकोण अंगीकृत नहीं करना चाहिए । राजस्व विभाग जांच कार्रवाई का आरंभ इस प्रश्न से नहीं कर सकता कि क्या आक्षेपित संव्यवहार

कर संदाय का टालमटोल करने वाली/कर बचाने वाली युक्ति है, किंतु उनको सत्य विधिक प्रकृति अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ 'देखा जाए' परीक्षण को लागू करना चाहिए । देखें **क्रेवेन** बनाम **व्हाइट (स्टीफेन)** 1989 एस. सी. 398 = (1988) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 423 = (1988) 3 आल ई. आर. 495 (एच. एल.) वाला मामला, जिसमें पुन: मताभिव्यक्ति की गई कि वास्तविक रणनीतिक कर योजना पर इंग्लिश न्यायालयों के किसी भी विनिश्चय द्वारा आज तक रोक नहीं लगाई गई है ।

81. हमारा उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए यह मत है कि भारत में निवेश स्थान के रूप में आने वाले प्रत्येक रणनीतिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए । ऐसा करते हुए राजस्व विभाग/न्यायालयों को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए : वह समयावधि, जिसके दौरान धारक कंपनी विद्यमान होती है ; भारत में कारबार क्रियान्वयनों की अवधि ; भारत में कर योग्य राजस्व की उत्पत्ति ; निकास का समय ; ऐसे निकास पर कारबार की निरंतरता ।

82. संक्षेप में यह साबित करने का भार राजस्व विभाग पर होगा कि वे किसी योजना और उसके अविभावी प्रयोजन की पहचान करे । किसी संव्यवहार का कारपोरेट कारबार प्रयोजन इस तथ्य का साक्ष्य होता है कि आक्षेपित संव्यवहार बनावटी या कृत्रिम उपाय के रूप में नहीं किया गया । किसी युक्ति का साक्ष्य जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही कारपोरेट कारबार का प्रयोजन, जिसे किसी युक्ति के साक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में विद्यमान होना चाहिए ।"

43. अब हम पुन: श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह द्वारा उद्धृत निर्णय पर विचार करते हैं, जो 2019 की रिट याचिका संख्या 2554 (**आशीष गुप्ता** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और पांच अन्य**) में पारित तारीख 7 अगस्त, 2019 का अंतरिम आदेश है और जिसमें इस न्यायालय ने याची के पक्षकथन पर विचार करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम आदेश पारित किया :–

"विधि के उपरोक्त प्रश्न के न्यायनिर्णयन के लिए ग्रहण/अंतिम निस्तारण के लिए एक माह पश्चात् सूचीबद्ध किया जाए । इस दौरान याची, जो सिविल कारागार में निरुद्ध है, को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाएगा :-

(i) वह सिविल कारागार से निर्मुक्त होने के पश्चात् बिना न्यायालय की अनुज्ञा के देश के बाहर नहीं जाएगा ;

(ii) वह अपने शेयरों, जिनका वह क्लाउड नाइन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में धारक है, के संबंध में और किसी अन्य कंपनी के शेयरों के संबंध में, जो संकाय की सदस्य है, कोई संव्यवहार नहीं करेगा ;

(iii) उसके मेरठ स्थित दोनों रिहायशी घरों और पानीपत स्थित भूखंड, जिनके वह कब्जे में है (जिनके संपूर्ण विवरण याची के काउंसेल द्वारा उपलब्ध कराए जांएगे), कुर्की के अधीन रहेंगे ; और

(iv) उसको उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार करने से निषिद्ध किया जाता है और वह उनका अंतरण नहीं करेगा ।

मेरठ और पानीपत के उप-रजिस्ट्रारों को निर्देशित किया जाता है कि वे याची की ऊपरनिर्दिष्ट संपत्तियों के संबंध में किसी अंतरण विलेख को रजिस्ट्रीकृत न करें ।

गौतमबुद्ध नगर/गाजियाबाद के उप-रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दी गई संपत्ति, जिसके संबंध में वर्तमान देयों का दावा किया गया है, पर प्रत्यर्थी संख्या 6 कंपनी द्वारा निर्मित किसी प्लैट का कोई अंतरण विलेख रजिस्ट्रीकृत न करें ।

इस आदेश की एक प्रति उपरोक्त उप-रजिस्ट्रारों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध करते हुए भेजी जाए ।"

44. हमको भय है कि उपरोक्त अंतरिम आदेश में विधि के किसी प्रश्न पर न तो विचार किया गया और न हीं निर्णय दिया गया । यह सुस्थापित है कि कोई अंतरिम आदेश निर्णयज विधि नहीं हो सकता, चूंकि अंतरिम प्रक्रम पर विधि का प्रश्न या तथ्य निर्णीत नहीं किया जाता । पुन:, आदेश के परिशीलन से यह बात स्वयमेव ही प्रकट हो जाती है कि न्यायालय ने मामले को पक्षों द्वारा उठाए गए विधि के प्रश्न के न्यायनिर्णयन के लिए सूचीबद्ध किया है ।

45. अब हम **जगवीर सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में तारीख 20 सितंबर, 2017 को दिए गए द्वितीय निर्णय पर विचार करते हैं, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने कंपनी के निदेशक के विरुद्ध वसूली में मध्यक्षेप करने से इनकार कर दिया है, चूंकि न्यायालय का विचार था कि कंपनी के निदेशकों ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की शरण निधि के पुन: विनिवेश की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए ली थी और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड का प्रयोग करों के संदाय से बचने के लिए दाव-पेंच के रूप में किया गया था ।

46. हमको भय है कि उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी दो कारणोवश लागू नहीं होता : प्रथम यह कि कंपनी के निदेशक से संबंधित उक्त मामला, जो कि वर्तमान मामला नहीं है और द्वितीय यह कि मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड से उद्भूत कार्यवाहियों से उत्पन्न हुआ और करों के संदाय में चूक से संबंधित है, जो पुन: वर्तमान मामले का पक्षकथन नहीं है ।

47. अत:, विधिक स्थिति जो उपरोक्त निर्णयों से व्यापक तौर पर उत्पन्न होती है, यह है कि :–

(क) कंपनी अपने शेयरधारकों और निदेशकों से पृथक् और सुभिन्न अस्तित्व होती है ।

(ख) कारपोरेट परदा हटाया जा सकता है ;

(i) केवल न्यायालयों द्वारा बताई गई आपवादिक परिस्थितियों में और भी सावधानी और सतर्कता के साथ ।

(ii) कारपोरेट परदा हटाए जाने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि मामला उन अपवादों के अंतर्गत आता हो, जैसाकि **बेन हाशेम** बनाम **अली शाइफ** (उपरोक्त) वाले मामले में न्यायाधीश **मुनबी** द्वारा विस्तारपूर्वक बताया गया है और स्पष्ट किया गया है और **बलवंत राय सलूजा** (उपरोक्त) और **आरसेलर मित्तल** (उपरोक्त) वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदन किया गया है ।

(iii) जहां कानून स्वयमेव ही कारपोरेट परदे को हटाए जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है ।

48. वर्तमान मामले के तथ्यों से यह प्रदर्शित होता है कि याची राकेश महाजन मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक कभी नहीं था और वह पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का शेयरधारक भी नहीं था । पुन: अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैसर्स पैन रियल्टर्स लिमिटेड 'धोखा' या 'छदम' कंपनी के रूप में प्रश्नगत पट्टे के निष्पादन के लिए निगमित थी, वास्तव में यह कंपनी नोएडा प्राधिकरण के आग्रह पर निगमित की गई थी, जो आबंटन पत्र से स्पष्ट हो जाता है । नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख अभी भी विद्यमान है और इस पट्टा विलेख का विनिर्धारण भी नहीं किया गया है ।

49. पुन:, अभिलेख पर यह स्पष्ट किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है कि इस मामले के याची राकेश महाजन या निराला बिल्डकॉन ने मैसर्स पैन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप किसी व्यापक नियंत्रण का प्रयोग किया था । प्रश्नगत कानून, जो 1973 का उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम है, में ऐसा कोई भी उपबंध समाविष्ट नहीं है, जो कारपोरेट परदे को हटाए जाने के लिए उपबंधित करता हो । याची प्रश्नगत पट्टा विलेख के हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है और इसलिए याचियों से मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अभिकथित देयों की वसूली के लिए कारपोरेट परदे को हटाए जाने का कोई मामला नहीं बनता ।

50. यह सुस्थापित है कि 'राज्य' या 'राज्य के किसी अभिकरण' की किसी कार्रवाई को विधि के पुष्टिकरण में होना चाहिए और उसको 'विधि की सारभूत सम्यक् प्रक्रिया' और 'विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्यक्' के दोहरे परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए और इन दोनों परीक्षणों में से किसी भी परीक्षण में विफल रहने पर संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा ।

51. हमको यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दोनों ही याचियों के विरुद्ध प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई उपरोक्त दोनों परीक्षणों को संतुष्ट कर पाने में दैयनीय रूप से विफल रही है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 की अतिक्रमणकारी है ।

52. तद्नुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया तारीख 26 अगस्त, 2019 का वसूली प्रमाणपत्र और प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा जारी किया गया तारीख 12 सितंबर, 2019 का उद्धरण, जहां तक वे याचियों से संबंधित हैं, तद्नुसार अभिखंडित किए जाते हैं ।

53. हम स्पष्ट करते हैं कि वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान न किए जाने का प्रश्न पर वर्तमान मामले में विचार नहीं किया गया है, चूंकि हम इस बाबत संतुष्ट हैं कि याचियों के विरुद्ध मैसर्स पैन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अभिकथित देयों की वसूली पूर्णतया अवैध है ।

54. हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान मामला केवल इस मामले के याचियों तक सीमित है और प्राधिकरण को स्वतंत्रता है कि वे उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो उनके प्रति दायी हैं अपने देयों की वसूली के लिए कार्रवाई करे ।

55. रिट याचिकाएं मंजूर की जाती हैं ।

याचिका मंजूर की गई ।

शु.

रूप सिंह

बनाम

विनय कुमार जौहरी और अन्य

(2020 की विशेष अपील संख्या 262)

तारीख 13 जुलाई, 2020

न्यायमूर्ति पंकज मिठाल और न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (1971 का 70) – धारा 19 – उच्च न्यायालय के अवमान के लिए दंड अधिरोपित किए जाने के विरुद्ध विशेष अपील – धारा 19 के अधीन अपील केवल उच्च न्यायालय द्वारा अवमान के लिए दंडित किए जाने की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध पोषणीय होती है ।

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 – धारा 19 – उच्च न्यायालय के अवमान के लिए दंड अधिरोपित किए जाने के विरुद्ध विशेष अपील – अवमान के लिए कार्यवाही आरंभ किए जाने से इनकार करने वाला आदेश, अवमान की कार्यवाही आरंभ करने के लिए पारित आदेश, अवमान के लिए किसी कार्यवाही को अस्थायी रूप से समाप्त करने वाला आदेश और अवमानकर्ता को दोषमुक्त या निर्दोष ठहराने वाला आदेश अपील योग्य नहीं होता – इस प्रकार के आदेशों को विशेष परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन चुनौती दी जा सकती है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि वर्तमान विशेष अपील 2018 के अवमान आवेदन (सिविल) संख्या 6748 में तारीख 4 मार्च, 2020 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है । हमारे समक्ष उपस्थित अपीलार्थी अवमान आवेदन में प्रत्यर्थी संख्या 2 है । प्रत्यर्थी - अवमान आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने इस विशेष अपील की पोषणीयता के संबंध में आरंभिक आक्षेप यह दलील देते हुए उठाए हैं कि अपीलाधीन आदेश पक्षों के अधिकारों को निर्णीत नहीं करता और इसलिए इस आदेश को अंत: न्यायालय अपील फाइल किए जाने के

प्रयोजनार्थ निर्णय अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता । अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्‌वान् काउंसेल ने मामले के गुणागुण को निर्दिष्ट करते हुए अपील की पोषणीयता का समर्थन किया और उन्होंने यह दलील देने का प्रयास किया कि अपीलाधीन आदेश विधि की दृष्टि में अनुचित है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तारीख 4 मार्च, 2020 के उपरोक्त आदेश, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई, मात्र प्रक्रियात्मक प्रकृति का है और इस आदेश के बाबत किसी भी दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता कि यह आदेश विवाद के गुणागुण या पक्षों के मध्य विवाद पर विचार करने वाला है ताकि उस आदेश के बाबत यह उपधारणा की जा सके कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्‌वारा शाह बाबूलाल खीमजी वाले मामले में अधिकथित विधि इस बाबत है कि न्यायालय द्‌वारा पारित आदेश, जो नैत्यिक प्रकृति के होते हैं,'निर्णय' नहीं होंगे, चाहे उनके कारण पक्षों को कुछ असुविधा कारित होती हो । माननीय उच्चतम न्यायालय द्‌वारा मिदनापुर पिपुल्स कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड वाले मामले में इस बात पर पुन: जोर दिया गया कि नैत्यिक आदेश, जिनको मामले की प्रगति को सुकर बनाने के लिए पारित किया जाता है, जब तक कि वह मामला अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच जाए, को अंत: न्यायालय अपीलें फाइल किए जाने के प्रयोजनार्थ 'निर्णय' के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता । इस मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वे आदेश जो किसी पक्ष को कोई असुविधा कारित कर सकते हैं या उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, किंतु जो पक्षों के अधिकारों और बाध्यताओं को अंतत: विनिर्धारित नहीं करते,'निर्णय' नहीं होंगे । अनिल कुमार गुप्ता और एक अन्य, सुभाष चंद्र तिवारी और अन्य और विनोद कुमार शर्मा वाले मामलों में दिए गए विनिश्चय, जिनका अवलंब अपीलार्थी के विद्‌वान् काउंसेल द्‌वारा लिए जाने की ईप्सा की गई, किसी भी प्रकार से अपीलार्थी के पक्षकथन का समर्थन नहीं करते, फिर भी पूर्वोक्त निर्णय इस स्थिरीकृत विधिक सिद्धांत को दोहराते हैं कि केवल तब,

यदि उच्च न्यायालय अवमान कार्यवाहियों में पक्षों के मध्य विवाद के गुणागुण के संबंध में किसी विवाद्यक को निर्णीत करता है या कोई निर्देश जारी करता है, तो उक्त आदेश अंतः न्यायालय अपील के अध्यधीन होगा । पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 1952 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम के अध्याय 8 के नियम 5 के उपबंधों के अधीन फाइल की गई विशेष अपील की पोषणीयता के संबंध में उठाए गए आरंभिक आक्षेप मान्य ठहराए जाते हैं । (पैरा 11, 12, 13, 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2020] (2020) 4 ए. डी. जे. 48 :
विनोद कुमार शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ और एक अन्य बनाम **शिवमोहन द्विवेदी, सहायक शिक्षक, माध्यमिक महाविद्यालय, सराय वृंदाबाद, जिला आजमगढ़** ; 5

[2015] (2015) 8 ए. डी. जे. 724 :
अनिल कुमार गुप्ता और एक अन्य बनाम **पवन कुमार सिंह और अन्य** ; 5

[2006] (2006) 5 एस. सी. सी. 399 :
मिदनापुर पिपुल्स कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम **चुन्नीलाल नंदा और अन्य** ; 7

[1998] (1998) 3 ए. डब्ल्यू. सी. 2264 :
ए. पी. वर्मा और अन्य बनाम **यू. पी. लेबोरेट्री टेक्निशीयन एसोसिएशन और अन्य** ; 9

[1981] (1981) 4 एस. सी. सी. 8 :
शाह बाबूलाल खीमजी बनाम **जयाबेन डी. कानिया और एक अन्य** । 8

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की विशेष अपील संख्या 262.

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन विशेष अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अशोक कुमार लाल और रविन्द्र नारायण सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री उदय प्रताप सिंह और क्षितीज शैलेन्द्र

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पंकज मिठाल और न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने दिया ।

न्या. मिठाल और न्या. श्रीवास्तव – अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री रविन्द्र नारायण सिंह और श्री अशोक कुमार लाल और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री क्षितिज शैलेन्द्र और प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री उदय प्रताप सिंह को सुना ।

2. वर्तमान विशेष अपील 2018 के अवमान आवेदन (सिविल) संख्या 6748 में तारीख 4 मार्च, 2020 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

3. हमारे समक्ष उपस्थिति अपीलार्थी अवमान आवेदन में प्रत्यर्थी संख्या 2 है ।

4. प्रत्यर्थी-आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल द्वारा इस विशेष अपील की पोषणीयता के संबंध में आरंभिक आक्षेप उठाए गए हैं । उन्होंने दलील दी कि अपीलाधीन आदेश पक्षों के अधिकारों को निर्णीत नहीं करता और इसलिए इस आदेश को अंतःन्यायालय अपील फाइल किए जाने के प्रयोजनार्थ निर्णय अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता ।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने मामले के गुणागुण को निर्दिष्ट करते हुए अपील की पोषणीयता का समर्थन किया और उन्होंने यह दलील देने का प्रयास किया कि अपीलाधीन आदेश विधि की दृष्टि में अनुचित है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलील के समर्थन में **अनिल कुमार गुप्ता और एक अन्य** बनाम **पवन**

कुमार सिंह और अन्य[1], **सुभाष चंद्र तिवारी और अन्य** बनाम **किशोर और अन्य** (2019 की विशेष अपील संख्या 314, जो तारीख 5 मार्च, 2019 को निर्णीत की गई) और **विनोद कुमार शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ और एक अन्य** बनाम **शिवमोहन द्विवेदी, सहायक शिक्षक, माध्यमिक महाविद्यालय, सराय वृंदाबाद, जिला आजमगढ़**[2] वाले मामलों में दिए गए गए निर्णयों का अवलंब लिया ।

6. हम परस्पर विरोधी पक्षों द्वारा दी गई दलीलों का मूल्यांकन किए जाने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक प्रतीत करते हैं कि विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 4 मार्च, 2020 को पारित आदेश का उल्लेख किया जाए, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई है । उपरोक्त आदेश निम्नलिखित है :-

> "तारीख 10 दिसंबर, 2019 को आरोप विरचित किया जाना अपेक्षित था । तथापि, जब तारीख 10 दिसंबर, 2019 को विपक्षियों द्वारा उनके आचरण के बाबत स्पष्टीकरण देते हुए कतिपय निवेदन किए गए तो उस तारीख पर आरोप विरचित नहीं किए गए । प्रत्यर्थियों से तारीख 9 जनवरी, 2020 को पुन: अनुदेश प्राप्त करने की अपेक्षा की गई ।
>
> आगे कोई अनुदेश अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं ।
>
> इस मामले को तारीख 1 अप्रैल, 2020 को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध किया जाए । प्रत्यर्थी संख्या 2 उस तारीख को आरोप विरचित किए जाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा ।"

7. अवमान कार्यवाही में पारित किसी आदेश के मामले में 1971 के न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 19 के अधीन फाइल की गई अपील की पोषणीयता के परिधि और क्षेत्र और साथ ही उच्च न्यायालय के सुसंगत नियम के अधीन अंत:न्यायालय अपील पर **मिदनापुर पीपुल्स**

---

[1] (2015) 8 ए. डी. जे. 724.

[2] (2020) 4 ए. डी. जे. 48.

कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम **चुन्नीलाल नंदा और अन्य**[1] वाले मामले में विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षों के मध्य किसी विवाद के गुणागुण के संबंध में अवमान कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया कोई निर्देश या पारित किया गया कोई विनिश्चय 'अवमान के लिए दंडित किए जाने के लिए अधिकारिता' के प्रयोग के अंतर्गत नहीं होगा और इसलिए वह निर्देश या आदेश, 1971 के अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील किए जाने योग्य नहीं होगा । अवमान न्यायालय द्वारा पारित ऐसे किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय के सुसंगत नियमों के अधीन अंत: न्यायालय अपील में चुनौती के अध्यधीन होना अभिनिर्धारित किया गया था । अवमान कार्यवाही में पारित आदेशों के विरुद्ध अपील फाइल किए जाने के संबंध में स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया है :-

"11. अवमान कार्यवाही में पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों के संबंध में दिए गए विनिश्चयों से उत्पन्न होने वाली स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया है -

(i) धारा 19 के अधीन अपील केवल उच्च न्यायालय द्वारा अवमान के लिए दंडित किए जाने की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध पोषणीय होती है, अर्थात् कोई ऐसा आदेश जिसके द्वारा अवमान के लिए दंड अधिरोपित किया गया हो ।

(ii) न तो अवमान के लिए कार्यवाही आरंभ किए जाने से इनकार करने वाला आदेश और न ही अवमान के लिए कार्यवाही आरंभ करने के लिए पारित किया गया आदेश और न ही अवमान के लिए किसी कार्यवाही को अस्थायी रूप से समाप्त करने वाला आदेश और न ही किसी अवमानकर्ता को दोषमुक्त या निर्दोष ठहराने वाला आदेश न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील किए जाने योग्य होता है । इस प्रकार के आदेशों को विशेष परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन चुनौती दी जा सकती है ।

[1] (2006) 5 एस. सी. सी. 399.

(iii) उच्च न्यायालय अवमान की किसी कार्यवाही में इस बाबत निर्णय ले सकता है कि क्या न्यायालय का अवमान कारित किया गया है और यदि ऐसा किया गया है तो उसके लिए और उसके साथ अनुषांगिक मामलों के लिए क्या दंड होना चाहिए । ऐसी किसी भी कार्यवाही में यह समुचित नहीं होगा कि पक्षों के मध्य विवाद के गुणागुण से संबंधित किसी विवाद्यक का न्यायनिर्णयन किया जाए या उसको निर्णीत किया जाए ।

(iv) पक्षों के मध्य विवाद के गुणागुण पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया कोई निर्देश या पारित किया गया कोई विनिश्चय 'अवमान के लिए दंडित किए जाने की अधिकारिता' के प्रयोग में नहीं होगा, इसलिए न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील योग्य नहीं होगा । इसका एक मात्र अपवाद यह है कि जहां ऐसा कोई निर्देश या विनिश्चय अवमान के लिए दंडित करने वाले आदेश के अनुषांगिक है या उसके साथ जटिलतापूर्वक संबद्ध है, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 19 के अधीन फाइल की गई अपील में अनुषांगिक निर्देश या जटिलता के साथ संबद्ध निर्देश भी सम्मिलित हो सकते हैं ।

(v) यदि उच्च न्यायालय किसी भी कारणवश पक्षों के मध्य किसी अवमान कार्यवाही में विवाद के गुणागुण के संबंध में किसी विवाद्यक को निर्णीत करता है या कोई निर्देश जारी करता है, तो व्यथित व्यक्ति को अनुतोष उपलब्ध होगा । ऐसे आदेश अंत: न्यायालय अपील (यदि आदेश विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया हो और उस आदेश के विरुद्ध अंत: न्यायालय अपील का उपबंध उपलब्ध हों,) में चुनौती दी जा सकती है या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति अपील फाइल किए जाने के द्वारा चुनौती दी जा सकती है ।"

8. अब प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या कोई अंत:न्यायालय अपील

किसी वादकालीन आदेश, जिसमें विवाद के गुणागुण पर निर्देश समाविष्ट हों, के विरुद्ध फाइल की जा सकती है, का उत्तर **शाह बाबूलाल खीमजी** बनाम **जयाबेन डी. कानिया और एक अन्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट करते हुए दिया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादकालीन आदेश, जिनके अधीन मुख्य मामले में विवाद में अंतर्वलित किसी प्रश्न या विवाद्यक का अंतिम रूप से निर्णीत किया जाता है या जो अंततः किसी समपार्श्विक विवाद्यक को निर्णीत करते हैं या किसी ऐसे प्रश्न को निर्णीत करते हैं जो मुख्य मामले की विषय वस्तु नहीं है, उच्च न्यायालय के सुसंगत नियमों के अधीन अपीलें फाइल किए जाने के प्रयोजनार्थ 'निर्णय' होते हैं ।

9. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय 1971 के अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में अभिकथित अवमानकर्ता को या तो दंडित कर सकता है या उसको दोषमुक्त कर सकता है और ऐसा करते हुए वे सभी आवश्यक आदेश पारित कर सकता है जो उन शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक हैं, किंतु वह पक्षों के मध्य मुख्य विवाद, जिसके कारणवश रिट याचिका फाइल की गई, के संबंध में कोई निर्देश या आदेश जारी नहीं कर सकता । इस न्यायालय ने **ए. पी. वर्मा और अन्य** बनाम **यू. पी. लेबोरेट्रीज टेक्निशीयन एसोसिएशन और अन्य**[2] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि न्यायालय द्वारा पक्षों के मध्य किसी विवाद के गुणागुण के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाता है या निर्देश दिया जाता है, तो वह 1971 के अधिनियम के उपबंधों के विपरीत होगा और उस निर्णय या आदेश के बाबत यह उपधारणा की जाएगी कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है और इसलिए वह निर्देश उच्च न्यायालय के नियम के अध्याय 8 के नियम 5 के अधीन अपील के अध्यधीन होगा । इस निर्णय में जो मताभिव्यक्तियां की गई, वे निम्नलिखित हैं :-

"7. ... अतः इस बाबत कोई संदेह नहीं हो सकता कि उच्च

---

[1] (1981) 4 एस. सी. सी. 8.

[2] (1998) 3 ए. डब्ल्यू. सी. 2264.

न्यायालय अवमान अधिनियम के अधीन आरंभ की गई किसी कार्यवाही में या तो अभिकथित अवमानकर्ता को दंडित कर सकता है या उसको दोषमुक्त कर सकता है और ऐसा करते हुए ऐसे समस्त अनुषांगिक आदेश पारित कर सकता है, जो इन शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक हों किंतु उच्च न्यायालय पक्षों, जिन्होंने रिट याचिका फाइल की, के मध्य मुख्य विवाद के संबंध में कोई निर्देश या आदेश जारी नहीं कर सकता । तथापि, यदि न्यायालय द्वारा पक्षों के मध्य विवाद के गुणागुण के संबंध में कोई आदेश या निर्देश जारी किया जाता है या किसी निर्णय या आदेश के क्रियान्वयन के लिए कोई आदेश या निर्देश जारी किया जाता है तो यह न्यायालय अवमान नियम के उपबंधों के विपरीत होगा और उन आदेशों या निर्देशों के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि उनको संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है । अतः, यह निर्देश उच्च न्यायालय के नियम के अध्याय 8 नियम 5 के अधीन अपील के योग्य होगा चूंकि यह आदेश और निर्देश अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी नहीं किए गए हैं .....”

10. विधि की पूर्वोक्त स्थिति इस न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार शर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए नवींतम निर्णय में दोहराई गई है ।

11. वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तारीख 4 मार्च, 2020 के उपरोक्त आदेश, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई, मात्र प्रक्रियात्मक प्रकृति का है और इस आदेश के बाबत किसी भी दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता कि यह आदेश विवाद के गुणागुण या पक्षों के मध्य विवाद पर विचार करने वाला है ताकि उस आदेश के बाबत यह उपधारणा की जा सके कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है ।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **शाह बाबूलाल खीमजी** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित विधि इस बाबत है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जो नैत्यिक प्रकृति के होते हैं, ‘निर्णय’ नहीं होंगे, चाहे उनके कारण पक्षों को कुछ असुविधा कारित होती हो ।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्‌वारा **मिदनापुर पिपुल्स कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में इस बात पर पुन: जोर दिया गया कि नैत्यिक आदेश, जिनको मामले की प्रगति को सुकर बनाने के लिए पारित किया जाता है, जब तक कि वह मामला अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच जाए, को अंत: न्यायालय अपीलें फाइल किए जाने के प्रयोजनार्थ 'निर्णय' के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता । इस मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वे आदेश जो किसी पक्ष को कोई असुविधा कारित कर सकते हैं या उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, किंतु जो पक्षों के अधिकारों और बाध्यताओं को अंतत: विनिर्धारित नहीं करते,'निर्णय' नहीं होंगे ।

14. **अनिल कुमार गुप्ता और एक अन्य** (उपरोक्त)**, सुभाष चंद्र तिवारी और अन्य** (उपरोक्त) **और विनोद कुमार शर्मा** (उपरोक्त) वाले मामलों में दिए गए विनिश्चय, जिनका अवलंब अपीलार्थी के विद्‌वान् काउंसेल द्‌वारा लिए जाने की ईप्सा की गई, किसी भी प्रकार से अपीलार्थी के पक्षकथन का समर्थन नहीं करते, फिर भी पूर्वोक्त निर्णय इस स्थिरीकृत विधिक सिद्धांत को दोहराते हैं कि केवल तब, यदि उच्च न्यायालय अवमान कार्यवाहियों में पक्षों के मध्य विवाद के गुणागुण के संबंध में किसी विवाद्‌यक को निर्णीत करता है या कोई निर्देश जारी करता है, तो उक्त आदेश अंत:न्यायालय अपील के अध्यधीन होगा ।

15. पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 1952 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम के अध्याय 8 के नियम 5 के उपबंधों के अधीन फाइल की गई विशेष अपील की पोषणीयता के संबंध में उठाए गए आरंभिक आक्षेप मान्य ठहराए जाते हैं ।

16. इस विशेष अपील का पोषणीय न होना अभिनिर्धारित किया जाता है और तद्‌नुसार अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

शु.

डा. मोहम्मद अयूब

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2020 की जनहित याचिका संख्या 749)

तारीख 29 जुलाई, 2020

न्यायमूर्ति पंकज मिठाल और न्यायमूर्ति डा. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

महामारी अधिनियम, 1897 (1897 का 3) – धारा 2 [सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 दिशानिर्देश] – महामारी का प्रसार रोके जाने के संबंध में विशेष उपाय – ईदुल-अधा के अवसर पर कुर्बानी के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों से दो दिनों के लिए शिथिलता प्रदान किए जाने की प्रार्थना – संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन प्रत्याभूत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हितों पर अध्यारोही प्रभाव नहीं रख सकता और यह अधिकार भाग 3 के अधीन समाविष्ट अन्य उपबंधों के अध्यधीन है – धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जनता के स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता ।

संक्षेप में मामले के तथ्य यह है कि याची ने यह रिट याचिका जनहित में यह अभिकथित करते हुए फाइल की है कि ईदुल-अधा का त्यौहार तारीख 31 जुलाई, 2020 को मनाया जाने वाला है और इस अवसर पर कुर्बानी आवश्यक होती है, अत: इस त्यौहार के उक्त दिवस पर कुर्बानी के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के तारीख 12 जुलाई, 2020 के दिशा-निर्देशों, जो कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शनिवार और रविवार को दो दिनों के लॉकडाउन के लिए अनुध्यात करते हैं, में शिथिलता प्रदान की जाए । याची के विद्वान् काउंसेल का निवेदन है कि लॉकडाउन, जो प्रत्येक शनिवार और रविवार को लागू है, संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों का अतिलंघन करने वाला है । जनहित याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अंत:करण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है । तथापि, अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और भाग 3 के अन्य उपबंधों के अध्यधीन है । अत: संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन प्रत्याभूत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हितों पर अध्यारोही प्रभाव नहीं रख सकता और यह अधिकार भाग 3 के अधीन समाविष्ट अन्य उपबंधों के अध्यधीन है । अनुच्छेद 25 के अधीन प्रदत्त अधिकार 'लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य' के अध्यधीन रहते हुए अंत:करण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रत्याभूत करता है और संविधान के भाग 3 के 'अन्य उपबंधों' के अधीन भी है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित निर्बंधन, जिनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण सृजित असाधारण परिस्थितियों के दौरान प्रत्येक सप्ताह में दो दिनों के लिए लॉकडाउन अधिरोपित किए जाने को याचियों या किसी धार्मिक समुदाय के सदस्यों के किसी भी मूल अधिकार में बाधा नहीं कहा जा सकता । यहां पर यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकार युक्तियुक्त निर्बंधनों, जिनको राज्य द्वारा अधिरोपित किया जा सकता है, के अध्यधीन रहते हुए प्रत्याभूत किए गए हैं । युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में आवश्यक होती है, परंतु यह तब जबकि अधिरोपित किए गए निर्बंधन अयुक्तियुक्त और मनमानेपूर्ण न हों । हम ऐसी स्थिति में, जहां अधिरोपित किए गए निर्बंधनों का न तो मनमानापूर्ण होना दर्शित किया गया और न ही अयुक्तियुक्त, ऐसा कोई भी कारण नहीं पाते जिसके लिए कोविड-19 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत समाविष्ट दशाओं में शिथिलता प्रदान की जाए । (पैरा 5, 6, 7, 8, 9 और 10)

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2020 की जनहित याचिका संख्या 749.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन जनहित याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री अरविन्द कुमार और राहुल चौधरी

प्रत्यर्थियों की ओर से मुख्य स्थायी काउंसेल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पंकज मिठाल और न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने दिया ।

न्या. मिठाल और न्या. श्रीवास्तव – याची के विद्वान् काउंसेल श्री राहुल चौधरी और राज्य प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थायी काउंसेल को सुना ।

2. याची का दावा है कि वह एक प्रतिष्ठित शल्य चिकित्सक है और पीस पार्टी नामक दल का सदस्य है । उसने इस रिट याचिका को जनहित में यह अभिकथित करते हुए फाइल किया है कि ईदुल का त्यौहार, जो तारीख 31 जुलाई, 2020 को मनाया जाने वाला है, के अवसर पर कुर्बानी आवश्यक होती है । उन्होंने मौखिक रूप से निवेदन किया कि यह त्यौहार वास्तव में शनिवार, तारीख 1 अगस्त, 2020 को मनाया जाना है । अत: याची ने प्रार्थना की कि त्यौहार के उक्त दिवस पर कुर्बानी के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के तारीख 12 जुलाई, 2020 के दिशा-निर्देशों, जो कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शनिवार और रविवार को दो दिन के लॉकडाउन के लिए अनुध्यात करते हैं, में शिथिलता प्रदान की जाए ।

3. याची के विद्वान् काउंसेल का निवेदन यह है कि लॉकडाउन, जो प्रत्येक शनिवार और रविवार को लागू है, संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों का अतिलंघन करने वाला है ।

4. संविधान के भाग 3 के अधीन समाविष्ट मूल अधिकारों को सदैव विशेष और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और ये अधिकार हमारे सभ्य समाज के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ।

5. अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अंत:करण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ।

6. तथापि, अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और भाग 3 के अन्य उपबंधों के अध्यधीन है ।

7. अत: संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन प्रत्याभूत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हितों पर अध्यारोही प्रभाव नहीं रख सकता और यह अधिकार भाग 3 के अधीन समाविष्ट अन्य उपबंधों के अध्यधीन है ।

8. अनुच्छेद 25 के अधीन प्रदत्त अधिकार 'लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य' के अध्यधीन रहते हुए अंत:करण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रत्याभूत करता है और संविधान के भाग 3 के 'अन्य उपबंधों' के अधीन भी है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित निर्बंधन, जिनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण सृजित असाधारण परिस्थितियों के दौरान प्रत्येक सप्ताह में दो दिनों के लिए लॉकडाउन अधिरोपित किए जाने को याचियों या किसी धार्मिक समुदाय के सदस्यों के किसी भी मूल अधिकार में बाधा नहीं कहा जा सकता ।

9. यहां पर यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकार युक्तियुक्त निर्बंधनों, जिनको राज्य द्वारा अधिरोपित किया जा सकता है, के अध्यधीन रहते हुए प्रत्याभूत किए गए हैं । युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में आवश्यक होती है, परंतु यह तब जबकि अधिरोपित किए गए निर्बंधन अयुक्तियुक्त और मनमानेपूर्ण न हों ।

10. हम ऐसी स्थिति में, जहां अधिरोपित किए गए निर्बंधनों का न तो मनमानापूर्ण होना दर्शित किया गया और न ही अयुक्तियुक्त, ऐसा कोई भी कारण नहीं पाते जिसके लिए कोविड-19 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत समाविष्ट दशाओं में शिथिलता प्रदान की जाए ।

11. हमारे समक्ष याची के विद्वान् काउंसेल इस बात को साबित कर पाने में असमर्थ रहे हैं कि अभिभावी कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के निबंधनों के अनुसार अधिरोपित निर्बंधन विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व समय में किस प्रकार से याचियों या किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण राज्य पर यह बाध्यता अधिरोपित होती हो कि वे अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए उपाए करें ।

12. हम पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका में लोक हित का कोई भी तत्व नहीं पाते, जिसके आधार पर हम संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए आनत हों ।

13. अतः रिट याचिका विफल होती है और तद्नुसार खारिज की जाती ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

शु.

रोशन खान और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2020 की जनहित याचिका संख्या 840)

तारीख 29 अगस्त, 2020

न्यायमूर्ति शशीकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद

महामारी अधिनियम, 1897 (1897 का 3) – धारा 2 [सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 मार्गदर्शक सिद्धांत] – महामारी के प्रसार को रोके जाने के संबंध में विशेष उपाय – त्यौहारों जैसेकि जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मोहर्रम इत्यादि के दौरान जुलूस और झांकी इत्यादि निकाले जाने पर प्रतिबंध – इन त्यौहारों पर जुलूस, झांकी इत्यादि निकाले जाने की दशा में भारी भीड़ एकत्रित हो जाने की संभावना है और ऐसी स्थिति में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित नहीं हो सकेगा – अत: प्रशासन द्वारा त्यौहारों के दौरान जुलूस और झांकियों के निकाले जाने पर प्रतिबंध उचित है ।

संक्षेप में, मामले के तथ्य यह है कि याचियों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2020 और 23 अगस्त, 2020 के शासनादेशों को उस सीमा तक चुनौती देने की ईप्सा की है, जहां तक वे याचियों और उनके समुदाय के सदस्यों को मोहर्रम का जुलूस निकालने से प्रतिषिद्ध करते हैं और इस बाबत भी निर्देश जारी किए जाने की ईप्सा की है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को उनके द्वारा मातम मनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों/मोहर्रम के साथ सहबद्ध प्रथाओं का निर्वहन किए जाने की अनुज्ञा दस दिनों की अवधि के दौरान अर्थात् तारीख 30 अगस्त, 2020 तक उत्तर प्रदेश राज्य में महामारी के निर्बंधनों के बावजूद प्रदान करें । याचियों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों में मुख्य रूप से इस बात

पर जोर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2020 और 23 अगस्त, 2020 को जारी शासनादेश मनमानापूर्ण प्रकृति के हैं, जहां तक वे मोहर्रम के जुलूस निकाले जाने को पूर्णतया वर्जित किए जाने के लिए उपबंधित करते हैं । आगे यह निवेदन किया गया कि इस प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांत मनमानेपूर्ण होते हैं और केवल एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत किए जाने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं । उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2020 और साथ ही राज्य सरकार द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2020 और 23 अगस्त, 2020 को जारी आदेशों को निर्दिष्ट किया । रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – हमने कतिपय निर्बंधन अधिरोपित करते हुए ताजियों को दफन किए जाने के लिए निकाले जाने वाले जुलूसों को अनुज्ञा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ कुछ तंत्र विकसित किए जाने के बाबत गंभीरतापूर्वक विचार किया है । तथापि, याचियों के काउंसेलों द्वारा किसी भी व्यवहारिक तंत्र का सुझाव नहीं दिया जा सका है, यहां तक कि याचियों के काउंसेलों द्वारा भी नहीं । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि ताजिये पैगम्बर मोहम्मद के शहीद नवासे हुसैन के मकबरे के प्रतीक होते हैं और उनको मोहर्रम के दसवें दिन अर्थात् असूरा के दिन दफनाए जाने के लिए अनेक समूहों और साथ ही लोगों द्वारा दफन किए जाने वाले मैदान (कर्बला) ले जाया जाता है । यह भी एक प्रथा है कि वह व्यक्ति जो ताजिया का निर्माण करता है, के लिए यह आवश्यक होता है कि वह स्वयं उसको लेकर जाए और दफनाए जाने के लिए चिह्नित मैदान में उसको दफन करे । अनेक लोग अपनी मन्नतों के पूर्ण हो जाने पर ताजिये दफन करते हैं । इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दफनाए जाने के मैदान में ताजियों का दफनाया जाना मोहर्रम के रीति-रिवाजों का पवित्र और महत्वपूर्ण भाग है । तथापि, इस बात का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विभिन्न परिवारों के अलावा प्रत्येक मुहल्लों/कालोनियों के अनेक ताजिये होते हैं, जिनमें से सभी को दफनाए जाने वाले मैदान में ले जाया जाना होता है, चूंकि ताजियों को दफनाए

जाने के लिए किसी के सुपूर्द नहीं किया जा सकता, बल्कि यह कार्य व्यक्तिगत रूप से करना होता है । ऐसा कोई भी तंत्र नहीं है, जिसके द्‌वारा इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि संक्रामक रोग के प्रसार के जोखिम का अनदेखा करते हुए उन सभी लोगों को एक ही दिन दफनाए जाने के मैदान तक ताजिये ले जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी जाए या सामाजिक दूरी के आधारभूत नियम का पालन करते हुए, जो इस अभूतपूर्व समय में अत्यंत आवश्यक है, प्रदान की जाए । इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अन्य लोगों को अनुज्ञा प्रदान करते हुए केवल कतिपय समूहों या व्यक्तियों पर यह निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जा सकता, चूंकि इससे स्पष्टत: वर्ग के भीतर वर्ग सृजित हो जाएगा, जो मनमानापूर्ण और पक्षपातपूर्ण होगा । पुनः, इस प्रक्रम पर उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड-19 के प्रसार की तीव्रता, जो भयावह रूप से काफी अधिक है, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इस समय सामुदायिक संक्रमण के प्रक्रम पर है, जिसके कारण यह राज्य शीघ्रता के साथ सक्रिय मामलों की संख्या वाले राज्यों में चौथे स्थान पर पहुंच गया है और प्रत्येक दिन व्यतीत हो जाने के साथ-साथ उच्चतर संख्या में मामले संसूचित किए जा रहे हैं । पुनः, इस न्यायालय ने 2020 की जनहित याचिका संख्या 574 में संपूर्ण राज्य में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों और बढ़ती हुई तीव्रता का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को तारीख 25 अगस्त, 2020 को निर्देशित किया कि वे इस संक्रामक रोग को काबू में करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करे । इस न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति भी की कि लॉकडाउन से न्यून स्तर की कोई भी कार्यवाही मददगार नहीं होगी । अतः, उन सभी प्रथाओं, जो हमारे धर्मों के लिए आवश्यक हैं, पर पूर्ण प्रतिषेध असाधारण उपाय है, जो इस अभूतपूर्व स्थिति, जिसका हम वर्तमान में महामारी के कारण सामना कर रहे हैं, में मददगार है । संविधान के अंतर्गत धर्म के पालन और उसके प्रसार का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अध्यधीन रखा गया है । (पैरा 20, 21, 22, 23 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2020] (2020) 4 एस. सी. सी. 155:
ओडिशा विकास परिषद बनाम **भारत संघ और अन्य** । 9

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2020 की जनहित याचिका संख्या 840 (साथ में 2020 की जनहित याचिका संख्या 841, 842 और 848).

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के अधीन जनहित याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री एम. जे. अख्तर, इमरान खान, वकार मेंहदी जैदी (वरिष्ठ अधिवक्ता), सैय्यद काशिफ अब्बास रिजवी, जाउन अब्बास, मशहूद अब्बास, चार्ली प्रकाश और कमल कृष्ण राय

प्रत्यर्थियों की ओर से मुख्य स्थायी काउंसेल, अतिरिक्त महासालिसिटर और ए. एन. राय

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति शशीकांत गुप्ता ने दिया ।

न्या. गुप्ता – चूंकि पूर्वोक्त समस्त रिट याचिकाओं में उठाए गए विवाद की विषयवस्तु समान है, इसलिए समस्त रिट याचिकाओं का निर्णय इस एक ही आदेश द्वारा किया जाता है और 2000 की जनहित याचिका संख्या 840 (**रोशन खान और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**) को अग्रणी मामला बनाया जाता है ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह है कि याचियों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2020 और 23 अगस्त, 2020 को जारी शासनादेशों को उस सीमा तक चुनौती दिए जाने की ईप्सा की है, जहां तक वे याचियों और उनके समुदाय के सदस्यों को मोहर्रम का

जुलूस निकालने से प्रतिषिद्ध करते हैं और इस बाबत भी निर्देश जारी किए जाने की ईप्सा की है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को, उनको दस दिनों की अवधि के दौरान अर्थात् तारीख 30 अगस्त, 2020 तक मातम मनाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों/मोहर्रम के साथ सहबद्ध प्रथाओं का निर्वहन किए जाने की अनुज्ञा उत्तर प्रदेश राज्य में महामारी के निर्बंधनों के बावजूद प्रदान करें ।

3. याचियों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2020 और 23 अगस्त, 2020 को जारी किए गए शासनादेश मनमानापूर्ण प्रकृति के हैं, जहां तक वे मोहर्रम के जुलूस निकाले जाने को पूर्णतया वर्जित किए जाने के लिए उपबंधित करते हैं । आगे यह निवेदन किया गया कि इस प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांत मनमानेपूर्ण होते हैं और केवल एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत किए जाने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं । उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2020 और साथ ही राज्य सरकार द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2020 और 23 अगस्त, 2020 को जारी आदेशों को निर्दिष्ट किया । तारीख 10 अगस्त, 2020 और 23 अगस्त, 2020 के शासनादेशों के सुसंगत भागों को नीचे उद्धृत किया गया है :-

"चरणबद्ध रूप से (लॉकडाउन को) पुन: खोले जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत (अनलॉक-3) [गृह मंत्रालय द्वारा तारीख 20 जुलाई, 2020 को जारी आदेश संख्या 40-3/2020-डी.एम.-1(ए) के अनुसार] :

1. परिरोधन क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर आने वाले क्षेत्रों में अनलॉक-3 की अवधि के दौरान अनुज्ञप्त क्रियाकलाप : सभी क्रियाकलापों की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी, सिवाए निम्नलिखित के –

(i) *** *** ***

(v) सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक और सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम और बड़े पैमाने पर अन्य समागम । ...."

5. राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्थिति के अपने आकलन के आधार पर परिरोधन क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) के बाहर कतिपय क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध कर सकेंगे या जुर्माना अधिरोपित कर सकेंगे, जैसाकि वे उचित समझें । ....

....

तारीख 10 अगस्त, 2020 का शासनादेश

संख्या : 687 के/VI-सा.नि.प्रा.-20-7(3)/2005

लखनऊ : तारीख 10 अगस्त, 2020

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश शासन

प्रेषक : गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

माह अगस्त, 2020 में पड़ने वाले त्यौहार यथा जनमाष्टमी, गणेश चतुर्थी और मोहर्रम, जो कि विभिन्न तिथियों पर आयोजित होंगे, को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी से मनाया जाए । इन त्यौहारों पर कोई भी जुलूस, झांकी न निकाली जाए और किसी भी दशा में भीड़ एकत्रित न होने दी जाए ।

वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षा स्थिति के दृष्टिगत संभावित खतरों से सतर्क रहने की आवश्यकता है । सभी धार्मिक स्थलों, विशेषकर मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म भूमि, श्री राम जन्म भूमि, अयोध्या पर असामाजिक तत्वों/आतंकवादियों और समाज में अस्थिरता फैलाने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखे जाने की आवश्यकता है । इस अवधि में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है और

आतंकवादी नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं । अत: उक्त मौकों पर सतर्क रहने की आवश्यकता है ।

वर्णित परिस्थितियों में सावधानी हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जा रहे हैं :-

1. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ।

2. कोविड-19 में जन्माष्टमी के मौके पर किसी को भी जुलूस/झांकी की अनुमति न दी जाए ।

3. गणेश चतुर्थी के मौके पर किसी भी पूजा पंडाल में कोई भी मूर्ति स्थापित न की जाए और न ही किसी शोभा यात्रा की अनुमति दी जाए । सभी श्रद्धालुओं को प्रेरित किया जाए कि वे उक्त त्यौहार अपने-अपने घरों पर ही मनाएं ।

4. इसी प्रकार मोहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस/ताजिया की अनुमति न दी जाए और धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड-19 के दिशानिर्देशों का अनुपालन करें ।

5. ऐसे समस्त कार्यक्रमों की पीस कमेटी की मीटिंग कराते हुए सभी सामाजिक और धर्म गुरुओं से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग लिया जाए ।

6. संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए ।

7. किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र न हो पाए यह सुनिश्चित किया जाए ।

8. त्यौहारों पर सार्वजनिक स्थल जैसेकि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थानों/धार्मिक स्थलों पर यथा आवश्यक व्यवस्थाएं/चेकिंग कराई जाए ।

प्रतिलिपि : 1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेश, उत्तर प्रदेश

2. अपर पुलिस महानिदेशक (एटीएस) उत्तर प्रदेश

3. समस्त मंडलायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश

4. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

5. कानून एवं व्यवस्था/अभिसूचना/सुरक्षा/रेलवे, उत्तर प्रदेश

6. पुलिस कमिश्नर, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

7. समस्त डी.आर.एम., रेलवे, उत्तर प्रदेश

8. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ

9. पुलिस महानिदेश, उत्तर प्रदेश लखनऊ

10. सूचनार्थ : अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन

11. स्टाफ/आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

तारीख 23 अगस्त, 2020 का शासनादेश

संख्या - 777-के./छः-स.नि.प्र.-2020 लखनऊ:तारीख 23 अगस्त, 2020

प्रेषक :
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ ।

पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

कृपया माह अगस्त, 2020 में पड़ने वाले त्यौहारों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की कोविड-19 गाइड लाइन्स का पालन करते हुए सादगी से मनाए जाने विषयक शासन के आदेश संख्या - 678-के./छः-स.नि.प्र. 20-7 (जे.)/2005 तारीख 10 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह अगस्त में पड़ने वाले त्यौहारों पर कोई भी जुलूस, झांकी न निकालने और किसी भी दशा में भीड़ एकत्रित न होने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किए गए हैं ।

2. उक्त के क्रम में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों, विशेषकर श्री कृष्ण जन्म भूमि, मथुरा, श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या, श्री काशीविश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और ऐतिहासिक स्थल ताज महल आगरा की सुरक्षा व्यवस्था और कोविड-19 महामारी के संबंध में भारत सरकार, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के आलोक में असामाजिक तत्वों/आतंकवादियों और समाज में अस्थिरता फैलाने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखे जाने की आवश्यकता है ।

3. उक्त के दृष्टिगत आगामी अवधि में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने के प्रयास किए जाने तथा आतंकवादियों द्वारा सामान्य नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की संभावना तथा कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जा रहे हैं –

तारीख 30 सितंबर, 2020 तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव और राजनैतिक सभाएं आयोजित नहीं होंगी ;

सार्वजनिक रूप से मूर्तियां और ताजिये अलग से स्थापित नहीं किए जाएंगे ।

सभी प्रकार के जुलूस और झांकियां प्रतिबंधित होंगी अर्थात् जुलूस और झांकी नहीं निकाले जा सकते हैं । मूर्तियों और ताजियों की अलग से स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी ;

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ।

सूचनार्थ :
अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।
स्टाफ/आफिसर, मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

4. याचियों के विद्वान् काउंसेलों ने आगे निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रद्धाधालुओं को पूजा स्थलों में आवागमन की अनुज्ञा प्रदान की और पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के वार्षिक रथ यात्रा जुलूस की भी अनुज्ञा प्रदान की थी और साथ ही नवीनतम रूप से मुंबई में तीन जैन मंदिरों में परयूसन की प्रार्थना किए जाने की भी अनुज्ञा प्रदान की । उन्होंने आगे निवेदन किया कि सरकार द्वारा अधिरोपित निर्बंधन मनमानापूर्ण है, विशेष रूप से तब जबकि प्रस्तावित अनुष्ठानों को युक्तिसंगत निर्बंधन विहित किए जाने के द्वारा विनियमित किया जा सकता है, जैसेकि ताजिया को दफन किए जाने के लिए कर्बला तक ले जाने के प्रयोजनार्थ लोगों की संख्या को सीमित करके । उन्होंने निवेदन किया कि इस प्रकार से न तो कोविड-19 के संक्रमण का प्रसारण होगा और न ही किसी प्रकार की परेशानी सृजित होगी ।

5. इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अपर मुख्य स्थायी काउंसेल ने याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया । उन्होंने दृढ़तापूर्वक दलील दी कि पूर्वोक्त

सरकारी आदेश किसी भी प्रकार से मनमानी प्रकृति के नहीं हैं । उन्होंने तारीख 10 अगस्त, 2020 और 23 अगस्त, 2020 के सरकारी आदेशों को निर्दिष्ट करते हुए दलील दी कि हिंदू समुदाय के ऊपर भी निर्बंधन अधिरोपित किए गए हैं और उनको भी किसी प्रकार के पूजा पंडाल स्थापित करने या उनमें कोई मूर्ति/देवता इत्यादि को अधिष्ठापित करने या गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दौरान किसी प्रकार का जुलूस निकालने से प्रतिषिद्ध किया गया है और श्रद्धालुओं को इस बाबत प्रोत्साहित किया गया है कि वे इस त्यौहार को अपने-अपने घरों में मनाएं । इसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय को भी ताजिया या अन्य जुलूस निकालने से प्रतिषिद्ध किया गया है ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके । उन्होंने आगे निवेदन किया कि समस्त समुदायों पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए हैं ।

6. विद्वान् स्थायी काउंसेल ने केंद्रीय सरकार की तारीख 29 जुलाई, 2020 की अधिसूचना के खंड 5 को भी निर्दिष्ट किया, जिसके द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परिरोधन क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर कतिपय क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किए जाने या ऐसे निर्बंधन अधिरोपित किए जाने, जिनको उनके द्वारा स्थिति को ध्यान में रखते हुए के अधिरोपित किया जाना आवश्यक प्रतीत किया जाए, के प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप मे सशक्त किया गया है ।

7. उन्होंने आगे निवेदन किया कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड-19 के मामलों में तीव्र बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए तारीख 10 अगस्त, 2020 को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए थे, जिसके द्वारा राज्य के समस्त संबद्ध अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे 2020 के अगस्त माह में होने वाले किसी भी प्रकार के जुलूस को प्रतिषिद्ध करें । उदाहरणार्थ जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मोहर्रम और इस प्रकार राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव के समस्त समुदायों से संबंधित सभी प्रकार के जुलूसों पर निर्बंधन/वर्जन अधिरोपित कर दिए हैं । उन्होंने आगे निवेदन किया कि इस प्रकार से प्रतिषेद्ध अधिरोपित किए जाने की जबर्दश्त कार्रवाई सभी समुदायों के विरुद्ध महामारी के कारण सृजित असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई है और

इसलिए इन परिस्थितियों में संपूर्ण प्रतिषेद्ध युक्तिसंगत है और याचियों या किसी समुदाय के सदस्यों के मूल अधिकारों के अतिक्रमण में नहीं हैं, जैसाकि अभिकथित किया गया है ।

8. उन्होंने आगे दलील दी कि यदि याचियों को जुलूस निकालने या कर्बला में दफन किए जाने के लिए ताजिये निकालने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इससे भीड़भाड़ की स्थिति उत्पन्न होगी, जो महामारी को अनियंत्रित प्रसार को जन्म देगी ।

9. विद्वान् स्थायी काउंसेल ने आगे अभिकथित किया कि इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने 2020 की जनहित याचिका संख्या 749 (**डा. मुहम्मद अयूब** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**) वाले मामले में तारीख 29 जुलाई, 2020 के निर्णय द्वारा रिट याचिका, जिसमें ईदुल-आधा के त्योहार के लिए दिशानिर्देशों में शिथिलता प्रदान किए जाने की ईप्सा की गई थी, को खारिज कर दिया । उन्होंने आगे **ओडिशा विकास परिषद्** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय को निर्दिष्ट किया, जिसमें निर्णय के पैरा 9 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो मताभिव्यक्ति की, वह निम्नलिखित है :-

> "9. समिति द्वारा रथ यात्रा और उसके अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए न्यूनतम संख्या में लोगों को अनुज्ञा प्रदान की जाएगी । हम इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि उड़ीसा राज्य का महामारी को नियंत्रित करने के मामले में अत्यधिक उत्तम प्रदर्शन रहा है, जहां जीवन की हानि अत्यधिक न्यून मात्रा में हुई । हम इस बाबत कोई कारण नहीं पाते कि इसी प्रकार की देखभाल और सावधानी रथ यात्रा के मामले में भी लागू क्यों नहीं की जानी चाहिए ।"

10. हमने याचियों के विद्वान् काउंसेलों वी. एम. जैदी (वरिष्ठ अधिवक्ता), एस. एफ. ए. नकवी (वरिष्ठ अधिवक्ता), एस. के. ए. रिजवी और के. के. राय को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया, विशेष रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा जारी तारीख 29 जुलाई, 2020 की अधिसूचना और राज्य सरकार द्वारा जारी तारीख 10 अगस्त, 2020 और 23 अगस्त, 2020 की अधिसूचना का ।

---

[1] (2020) 4 एस. सी. सी. 155.

11. यहां पर इस बात का उल्लेख किए जाने योग्य है कि पहले भी एक रिट याचिका, जो 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 924 थी, सय्यद कल्बे जव्वार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई थी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 27 अगस्त, 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए और वापस लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हुए खारिज कर दिया गया था और इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया था ।

12. पूर्वोक्त दलीलों को दृष्टि में रखते हुए इस न्यायालय के समक्ष विनिर्धारण हेतु जो विवाद्यक उद्भूत होते हैं, यह है कि :-

(1) क्या सरकार के आक्षेपित आदेश मनमानेपूर्ण और पक्षपातपूर्ण हैं, चूंकि वे किसी विशिष्ट समुदाय के विरुद्ध पारित किए गए हैं ?

(2) क्या तारीख 30 अगस्त, 2020 को जुलूस या ताजिये निकाले जाने पर अधिरोपित पूर्ण प्रतिषेध संविधान के भाग 3 के अधीन प्रत्याभूत धर्म को आबाध रूप से मानने और आचरण करने के मूल अधिकार का अतिक्रमण है ?

(3) क्या महामारी की अभिभावी स्थिति को दृष्टि में रखते हुए तारीख 30 अगस्त, 2020 को जुलूसों या जातियों को निकाले जाने के विरुद्ध पूर्ण प्रतिषेध का अधिरोपण युक्तिसंगत और न्यायसंगत है ?

13. जहां तक प्रथम विवाद्यक का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित निर्बंधन पक्षपातपूर्ण प्रकृति के हैं और पूर्वोक्त सरकारी आदेश में केवल एक समुदाय को लक्ष्य बनाया गया है । याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील में कोई बल नहीं है और यह दलील पूर्णतया भ्रमपूर्ण प्रतीत होती है ।

14. राज्य सरकार द्वारा जारी की गई तारीख 10 अगस्त, 2020 और तारीख 23 अगस्त, 2020 की अधिसूचनाओं का सामान्य दृष्टि से परिशीलन किए जाने पर यह स्पष्टत: उपदर्शित होता है कि सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही मापदंड अपनाया गया है और सभी को कोई जुलूस या झांकी निकालने से प्रतिषिद्ध किया गया है या किसी ऐसे क्रियाकलाप से प्रतिषिद्ध किया गया है जिससे किसी बड़े समागम का खतरा उत्पन्न होता हो और जो महामारी कोविड-19 के प्रसार का कारण बन जाए । तारीख 10 अगस्त, 2020 की अधिसूचना के खंड 2 को निर्दिष्ट किया जाता है, जो स्पष्टत: उपदर्शित करती है कि जन्माष्टमी के त्यौहार के दौरान किसी जुलूस या झांकी की अनुज्ञा प्रदान नहीं की गई । इसी प्रकार से उक्त अधिसूचना के खंड 3 से यह भी उपदर्शित होता है कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दौरान ही हिंदू समुदाय के लिए कोई पूजा पंडाल निर्मित करने और किसी प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित करने से प्रतिषिद्ध किया गया है । इसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय को भी मोहर्रम के दौरान जुलूस/ताजिया निकालने से प्रतिषिद्ध किया गया है ।

15. अत: यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित किए जाने को दृष्टि में रखते हुए ऐसे सभी धार्मिक क्रियाकलापों, जिनमें सभी समुदायों के लोगों का बड़ी संख्या में समागम अंतर्वलित हो सकता है, पर पूर्ण रूप से प्रतिषेध अधिरोपित कर दिया है और इस प्रकार सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश पक्षपातपूर्ण नहीं है और न ही यह आदेश किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करने वाले हैं ।

16. क्योंकि द्वितीय और तृतीय विवाद्यक आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, अत: इन दोनों विवाद्यकों पर एक साथ विचार किया जाता है । याचियों के विद्वान् काउंसेल की दलील यह है कि जुलूसों और ताजियों के निकाले जाने पर अधिरोपित पूर्ण प्रतिषेध पूर्णतया मनमानापूर्ण है, विशेष रूप से जब युक्तिसंगत निर्बंधन कोविड-19 के प्रसार के निवारण के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आसानी से अधिरोपित किए जा सकते हों । अत:, यह स्वीकार किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण के

प्रसार की वर्तमान दर को देखते हुए बड़े जुलूसों को अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती और महामारी के प्रसार को नियंत्रित किए जाने के लिए कतिपय निर्बंधन आवश्यक हैं ।

17. आगे यह दलील दिए जाने की ईप्सा की गई कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रद्धालुओं को पूजा स्थलों में जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी है और पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक रथयात्रा को भी अनुज्ञा प्रदान कर दी है और मुंबई के तीन जैन मंदिरों में परयूशन प्रार्थना के लिए भी अनुज्ञा प्रदान कर दी है, तो याचियों को भी मोहर्रम के दौरान जुलूस निकालने की अनुज्ञा प्रदान की जानी चाहिए ।

18. इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई सामान्य निर्देश जारी नहीं किए थे, बल्कि विनिर्दिष्ट रूप से वार्षिक रथयात्रा निकाले जाने की अनुज्ञा पुरी नामक विनिर्दिष्ट स्थान से और मात्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के लिए संबंधित थी । पुन:, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रथयात्रा की अनुज्ञा प्रदान किए जाते समय उड़ीसा में कोविड-19 की तीव्रता का भी सम्यक् रूप से ध्यान रखा गया था ।

19. तथापि, वर्तमान मामला पूर्वोक्त मामलों से स्पष्टत: विभेदनीय है, चूंकि यह उत्तर प्रदेश के संपूर्ण राज्य से संबंधित है और मात्र एक या कुछ जिलों तक सीमित नहीं है । इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि कतिपय जिलों को अनुज्ञा प्रदान किया जाना, जबकि अन्य जिलों में प्रतिषेध अधिरोपित किया जाना पक्षपातपूर्ण होगा । पुन:, उत्तर प्रदेश राज्य में संक्रामक रोग के प्रसार की तीव्रता भयावह दर से बढ़ रही है ।

20. हमने कतिपय निर्बंधन अधिरोपित करते हुए ताजियों को दफन किए जाने के लिए निकाले जाने वाले जुलूसों को अनुज्ञा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ कुछ तंत्र विकसित किए जाने के बाबत गंभीरतापूर्वक विचार किया है । तथापि, याचियों के काउंसेलों द्वारा किसी भी व्यवहारिक तंत्र का सुझाव नहीं दिया जा सका, यहां तक कि याचियों के काउंसेलों द्वारा भी नहीं ।

21. यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि ताजिये पैगम्बर मोहम्मद के शहीद नवासे हुसैन के मकबरे के प्रतीक होते हैं और उनको मोहर्रम के दसवें दिन अर्थात् असूरा के दिन दफनाए जाने के लिए अनेक समूहों और साथ ही लोगों द्वारा दफन किए जाने वाले मैदान (कर्बला) ले जाया जाता है । यह भी एक प्रथा है कि वह व्यक्ति जो ताजिया का निर्माण करता है, के लिए यह आवश्यक होता है कि वह स्वयं उसको लेकर जाए और दफनाए जाने के लिए चिह्नित मैदान में उसको दफन करे । अनेक लोग अपनी मन्नतों के पूर्ण हो जाने पर ताजिये दफन करते हैं ।

22. इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दफनाए जाने के मैदान में ताजियों का दफनाया जाना मोहर्रम के रीति-रिवाजों का पवित्र और महत्वपूर्ण भाग है । तथापि, इस बात का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विभिन्न परिवारों के अलावा प्रत्येक मुहल्लों/कालोनियों के अनेक ताजिये होते हैं, जिनमें से सभी को दफनाए जाने वाले मैदान में ले जाया जाना होता है, चूंकि ताजियों को दफनाए जाने के लिए किसी के सुपुर्द नहीं किया जा सकता बल्कि यह कार्य व्यक्तिगत रूप से करना होता है । ऐसा कोई भी तंत्र नहीं है, जिसके द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि संक्रामक रोग के प्रसार के जोखिम का अनदेखा करते हुए उन सभी लोगों को एक ही दिन दफनाए जाने के मैदान तक ताजिये ले जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी जाए या सामाजिक दूरी के आधारभूत नियम का पालन करते हुए, जो इस अभूतपूर्व समय में अत्यंत आवश्यक है, प्रदान की जाए । इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अन्य लोगों को अनुज्ञा प्रदान करते हुए केवल कतिपय समूहों या व्यक्तियों पर यह निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जा सकता, चूंकि इससे स्पष्टत: वर्ग के भीतर वर्ग सृजित हो जाएगा, जो मनमानापूर्ण और पक्षपातपूर्ण होगा ।

23. पुन:, इस प्रक्रम पर उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड-19 के प्रसार की तीव्रता, जो भयावह रूप से काफी अधिक है, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इस समय

सामुदायिक संक्रमण के प्रक्रम पर है, जिसके कारण यह राज्य शीघ्रता के साथ सक्रिय मामलों की संख्या वाले राज्यों में चौथे स्थान पर पहुंच गया है और प्रत्येक दिन व्यतीत हो जाने के साथ-साथ उच्चतर संख्या में मामले संसूचित किए जा रहे हैं । पुनः, इस न्यायालय ने 2020 की जनहित याचिका संख्या 574 में संपूर्ण राज्य में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों और बढ़ती हुई तीव्रता का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को तारीख 25 अगस्त, 2020 को निर्देशित किया कि वे इस संक्रामक रोग को काबू में करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करे । इस न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति भी की कि लॉकडाउन से न्यून स्तर की कोई भी कार्यवाही मददगार नहीं होगी ।

24. अतः, उन सभी प्रथाओं, जो हमारे धर्मों के लिए आवश्यक हैं, पर पूर्ण प्रतिषेध असाधारण उपाय है, जो इस अभूतपूर्व स्थिति, जिसका हम वर्तमान में महामारी के कारण सामना कर रहे हैं, में मददगार है । संविधान के अंतर्गत धर्म के पालन और उसके प्रसार का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अध्यधीन रखा गया है ।

25. महामारी लॉकडाउन जैसे कड़े उपाय के बावजूद जंगल में आग की भांति फैल रही है । हम समुद्र के किनारे नग्न अवस्था में खड़े हैं और हमको नहीं पता कि करोना की लहरें हमको कब गहरे समुद्र में बहाकर ले जाएंगी । हमको वास्तव में नहीं पता कि कल क्या होने वाला है । सुरक्षित उपायों के अंगीकरण की आवश्यकता स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है । हमको करोना वायरस के साथ जीवित रहने की कला को समझने की आवश्यकता है ।

26. इसलिए हम अत्यधिक भारी मन के साथ यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इस परीक्षा की घड़ी में यह संभव नहीं है कि मोहर्रम के दसवें दिन से संबंधित मातम वाले अनुष्ठानों/प्रथाओं को विनियमित किए जाने के लिए किसी दिशानिर्देश के लिए उपबंधित करते हुए इस प्रतिषेध को हटाया जाए । हमको आशा और विश्वास है कि ईश्वर हमारे भाइयों और बहनों को हमारी प्रथाओं में हमारे द्वारा संयम बरते जाने को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि क्षमा किए जाने योग्य कार्य की भांति क्षमा करेगा और हमको भविष्य में और अधिक श्रद्धा और उल्लास के साथ समस्त त्यौहारों का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करेगा । हम सब एक

साथ सहयोग, समझदारी और समर्थन के साथ एक राष्ट्र की भांति इस दु:खद काल से और अधिक मजबूत होकर बाहर निकल सकते हैं और इस अंधेरे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ।

27. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस मामले में कोई निर्देश जारी करने का कोई न्यायोचित नहीं पाते । वर्तमान जनहित याचिका और साथ ही 2020 की जनहित याचिका संख्या 841, 842 और 848 तद्नुसार खारिज की जाती है ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

(2020) 2 सि. नि. प. 465 **उत्तराखंड**

दिनेश कुमार जैन

बनाम

महाप्रबंधक, सिंडिकेट बैंक और एक अन्य

[2019 की रिट याचिका (एम./एस.) संख्या 3310]

तारीख 24 जून, 2020

न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया

संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) – धारा 73 [संविधान, 1950 का अनुच्छेद 14] – संविदा की समाप्ति – नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत – उधार लेने वालों द्वारा याची/मूल्यांकक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट में मूल्यांकन के कारण स्पष्ट न किया जाना और मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कपट कारित किया जाना – इस कारणवश बैंक द्वारा याची का नाम बैंक के अनुमोदित मूल्यांककों की सूची से हटाया जाना – याची द्वारा सुनवाई के अवसर का लाभ न उठाया जाना – प्रत्यर्थी बैंक द्वारा मूल्यांकन संविदा समाप्त किया जाना उचित है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि प्रत्यर्थी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है । याची का नाम इस बैंक के अनुमोदित मूल्यांककों के पैनल में सम्मिलित

याची का नाम इस बैंक के अनुमोदित मूल्यांककों के पैनल में सम्मिलित था । बैंक के ग्राहकों द्वारा ऋण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने अपने सुसंगत दस्तावेजों के साथ कतिपय संपत्तियों, जिनका मूल्यांकन वर्तमान याची द्वारा किया गया था, की मूल्यांकन रिपोर्टें संलग्न की । इन सभी आवेदकों को ऋण प्रदान किया गया । तत्पश्चात्, जैसाकि इन ग्राहकों द्वारा बैंक से वायदा किया गया था, उस संपत्ति का क्रय नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने ऋण लिया था और समय व्यतीत हो जाने के साथ-साथ बैंक ने इन ग्राहकों के विरुद्ध वर्ष 2018 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । याची को बैंक से तारीख 4 जुलाई, 2019 की एक कारण बताओ सूचना प्राप्त हुई, जिसके द्वारा बैंक ने तीन ऋणों और इन ऋणों के साथ संबद्ध संपत्तियों का संदर्भ देते हुए याची से कहा कि उसने इन संपत्तियों का उच्चतर मूल्यांकन प्रस्तुत किया है, जिस कारणवश इन ग्राहकों द्वारा बैंक के साथ कपट कारित किया गया है और याची को इस बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए कि उसने इन संपत्तियों का उच्चतर मूल्यांकन क्यों प्रस्तुत किया । तत्पश्चात् याची ने तारीख 8 जुलाई, 2019 का एक पत्र लिखा जिसके द्वारा उसने जानना चाहा कि उसने कौन सा कपट कारित किया है, जिसका उसको कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अंततः तारीख 19 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा याची का नाम बैंक के अनुमोदित मूल्यांककों की सूची से हटा दिया गया । तत्पश्चात्, याची ने बैंक के समक्ष तारीख 19 अगस्त, 2019 को यह अभिवाक् किया कि चूंकि वह मूल्यांकक के रूप में विगत अनेक वर्षों से कार्य कर रहा था, अतः उसको अनुमोदित मूल्यांककों के पैनल में पुनः सूचीबद्ध किया जाए, किंतु याची को कोई संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । इसलिए याची ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका फाइल की । याची का पक्षकथन यह है कि तारीख 4 जुलाई, 2019 की कारण बताओ सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उधार लेने वालों द्वारा किस प्रकार का कपट कारित किया गया है और उसके द्वारा तारीख 8 जुलाई, 2019 के पत्र के बावजूद उसको कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया । अतः, उसने प्रत्यर्थी बैंक को कोई उत्तर नहीं दिया और इस प्रकार उसको सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया । न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – याची द्वारा किसी विशिष्ट मूल्यांकन के लिए कारणों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना बहुत ही आसान था । याची को इससे कोई सरोकार नहीं था कि उसने किस प्रकार का कपट कारित किया है । अंततः तारीख 19 जुलाई, 2019 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया और इसलिए इस आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि याची को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । उसको सुनवाई का अवसर तारीख 19 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा प्रदान किया गया था, किंतु याची ने स्वयं ही इस अवसर का लाभ उठाने के विकल्प को नहीं चुना । किसी भी स्थिति में याची का यह पक्षकथन नहीं है कि उसको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, बैंक को पूर्ण अधिकार था कि वह संविदा को समाप्त कर सके, जैसाकि किया गया है । यह ऐसी स्थिति है, जिसमें याची ने अनभिज्ञता, उपेक्षा के कारण गलत मूल्यांकन प्रस्तुत कर दिया है या वह इस मूल्यांकन को प्रस्तुत करते हुए पूर्णतया सद्भावना के अधीन था । तथापि, यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उद्भूत नहीं हुआ । (पैरा 7 और 9)

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2019 की रिट याचिका (एम./एस.) संख्या 3310.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री पंकज निगलानी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री संजय गौड़ और सिद्धार्थ शाह

आदेश

याची राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसको सिंडिकेट बैंक के नाम से जाना जाता है, के अनुमोदित मूल्यांककों के पैनल में सम्मिलित था । ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक के ग्राहकों द्वारा ऋण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिन्होंने अपने सुसंगत दस्तावेजों के साथ कतिपय संपत्तियों, जिनका मूल्यांकन वर्तमान याची, जो सिंडिकेट बैंक के अनुमोदित मूल्यांककों के पैनल में सम्मिलित है, द्वारा किया गया था, और उसके द्वारा किए गए मूल्यांकन की मूल्यांकन रिपोर्टें भी संलग्न की थीं ।

2. इन सभी आवेदकों को ऋण प्रदान किया गया था । तत्पश्चात्, जैसाकि इन ग्राहकों द्वारा बैंक से वायदा किया गया था, इन ग्राहकों ने

उस संपत्ति का क्रय कभी नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने ऋण लिया था और समय के व्यतीत हो जाने के साथ-साथ बैंक ने इन ग्राहकों के विरुद्ध वर्ष 2018 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज कराई ।

3. याची को बैंक से तारीख 4 जुलाई, 2019 की एक कारण बताओ सूचना प्राप्त हुई, जिसके द्वारा बैंक ने तीन ऋणों और इन तीन ऋणों के साथ संबद्ध संपत्तियों का संदर्भ देते हुए याची से कहा कि उसने इन संपत्तियों का उच्चतर मूल्यांकन प्रस्तुत किया, जिस कारणवश इन ग्राहकों द्वारा कपट कारित किया गया और याची को इस बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए कि उसने इन संपत्तियों का उच्चतर मूल्यांकन क्यों प्रस्तुत किया । तत्पश्चात् याची ने तारीख 8 जुलाई, 2019 का एक पत्र लिखा जिसके द्वारा उसने जानना चाहा कि उसने कौन सा कपट कारित किया है, जिसका उसको कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अंततः तारीख 19 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा याची का नाम बैंक के अनुमोदित मूल्यांककों की सूची से हटा दिया गया ।

4. तत्पश्चात्, याची ने बैंक के समक्ष तारीख 19 अगस्त, 2019 को यह अभिवचन किया कि चूंकि वह मूल्यांकक के रूप में विगत अनेक वर्षों से कार्य कर रहा था, अत: उसको अनुमोदित मूल्यांककों के पैनल में पुन: सूचीबद्ध कर लिया जाए, किंतु याची को कोई संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । इसलिए याची ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका फाइल की है ।

5. इस न्यायालय के समक्ष याची का पक्षकथन यह है कि तारीख 4 जुलाई, 2019 की कारण बताओ सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उधार लेने वालों द्वारा किस प्रकार का कपट कारित किया गया है और उसके द्वारा तारीख 8 जुलाई, 2019 के पत्र के बावजूद उसको कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया । अत:, उसने प्रत्यर्थी बैंक को कोई उत्तर नहीं दिया और इस प्रकार उसको सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और उसको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया ।

6. इसके विपरीत बैंक के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि तारीख 4 जुलाई, 2019 के पत्र में यह स्पष्टत: अभिकथित किया गया था कि

याची ने संपत्तियों का उच्चतर मूल्यांकन प्रस्तुत किया और उससे ऐसा करने के बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था ।

7. याची द्वारा किसी विशिष्ट मूल्यांकन के लिए कारणों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना बहुत ही आसान था । किंतु याची को इससे कोई सरोकार नहीं था कि उसने किस प्रकार का कपट कारित किया है । अंततः तारीख 19 जुलाई, 2019 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया और इसलिए इस आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि याची को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । उसको सुनवाई का अवसर तारीख 19 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा प्रदान किया गया था, किंतु याची ने स्वयं ही इस अवसर का लाभ उठाने के विकल्प को नहीं चुना ।

8. बैंक द्वारा दी गई अन्य दलील यह है कि याची को बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति संविदात्मक है । यह खंड संविदा के खंड 12 में समाविष्ट है, जो निम्नलिखित है :-

> "12. बैंक को उनके पैनलकरण को किसी भी समय बिंदु पर बिना कोई कारण समनुदेशित किए समाप्त करने का अधिकार होगा । मूल्यांकक के रूप में यह पैनलकरण पुनर्विलोकन, जो सामान्यतः वार्षिक रूप से किया जाता है, के अध्यधीन होगा ।"

9. किसी भी स्थिति में याची का यह पक्षकथन नहीं है कि उसको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, बैंक को पूर्ण अधिकार था कि वह संविदा को समाप्त कर सके, जैसाकि किया गया है । यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें याची ने अनभिज्ञता, उपेक्षा के कारण गलत मूल्यांकन प्रस्तुत कर दिया है या वह इस मूल्यांकन को प्रस्तुत करते हुए पूर्णतया सद्भावना के अधीन था । तथापि, यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उद्भूत नहीं हुआ ।

10. परिणामस्वरूप रिट याचिका विफल होती है और तद्नुसार याचिका खारिज की गई ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

एस. एम. सेकर

बनाम

पी. अरुणाचलम और अन्य

(2002 की द्वितीय अपील संख्या 1735)

तारीख 2 जून, 2020

न्यायमूर्ति जी. के. इलांथीरायन

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) – धारा 38 [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 और 2] – स्थायी व्यादेश – प्रतिवादियों को वादग्रस्त संपत्ति के ऊपर से आवागमन और नए मार्ग के सृजन से प्रतिषिद्ध किया जाना – वादियों का अभिवाक् कि सामान्य मार्ग पहले से अस्तित्व में है, किंतु प्रतिवादी उनके भाग में आवागमन के प्रयोजनार्थ नया मार्ग सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं – दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित विभाजन विलेख से यह दर्शित होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की भूमि पर स्थित मेड़ों का प्रयोग अपनी-अपनी भूमि पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ कर सकते हैं और यह मार्ग सुविधाजनक भी है – विभाजन विलेख में समाविष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादियों को पुराने मार्ग का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता – वादी स्थायी व्यादेश के अनुतोष का हकदार नहीं है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि स्थायी व्यादेश के अनुतोष के लिए फाइल किए गए 1998 के मूल वाद संख्या 277 में वादी का पक्षकथन संक्षेप में यह था कि वादियों और प्रतिवादियों के पिता आपस में सगे भाई हैं । इन सभी लोगों ने तारीख 29 मार्च, 1988 के विभाजन विलेख द्वारा संयुक्त परिवार संपत्ति का विभाजन किया । तद्नुसार, वे अपने-अपने भागों के कब्जे में हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं । इसी दौरान वादी के पिता की तारीख 23 फरवरी, 1995 को मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी उनके पिता को आबंटित संपत्ति के कब्जे में

है और उसका उपभोग कर रहे हैं । उन्होंने सभी राजस्व अभिलेखों में अपने नामों का नामांतरण करा लिया और नियमित रूप से संपत्ति के करों का संदाय भी कर रहे हैं । तारीख 29 मार्च, 1988 के विभाजन विलेख में वादियों के पिता को विभाजन विलेख के साथ संलग्न अनुसूची 'बी' में समाविष्ट संपत्ति और प्रतिवादियों के पिता को अनुसूची 'सी' में समाविष्ट संपत्ति आबंटित की गई थी । उनके भागों का आबंटन विभाजन विलेख में सुस्पष्ट रूप से संलग्न किया गया है और तद्नुसार उनके अपने-अपने भागों में पहुंचने के लिए एक सामान्य रास्ता है । सभी भाई एक ही फसल की खेती कर रहे हैं जैसेकि धान, हल्दी और मूंगफली । संपूर्ण भूमि की सिंचाई एक ही कुंए और साथ ही निचली भवानी परियोजना नहर के पानी से की जाती है । प्रतिवादियों ने सामान्य मार्ग और सामान्य नहर का अतिक्रमण करने का प्रयास किया और इसी कारणवश वादियों और प्रतिवादियों के मध्य गलतफहमी उत्पन्न हुई । वादियों ने प्रतिवादियों को वादग्रस्त संपत्ति में अतिचार करने और उस भूमि के ऊपर से कोई नया मार्ग सृजित करने से प्रतिषिद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ स्थायी व्यादेश के लिए वाद फाइल किया । प्रतिवादियों ने वादी के वाद का विरोध करते हुए लिखित कथन यह अभिकथित करते हुए फाइल किया कि वादियों और प्रतिवादियों के पिता आपस में सगे भाई हैं और उन्होंने तारीख 29 मार्च, 1988 के रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख द्वारा अपनी संयुक्त परिवार संपत्तियों का विभाजन किया था और सभी पक्षों को अन्य पक्षों की भूमि में स्थित विद्यमान मेड़ों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया था, याची के पिता को विभाजन विलेख के साथ संलग्न अनुसूची 'बी' में समाविष्ट संपत्ति और प्रतिवादी के पिता को अनुसूची 'सी' में समाविष्ट संपत्ति आबंटित की गई थी, तद्नुसार, प्रतिवादी वादी की भूमि की मेड़ों का प्रयोग अपनी संपत्ति पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ कर रहे हैं, इसलिए वादी प्रतिवादियों को उनकी संपत्ति पर पहुंचने के लिए अपने खेत की मेड़ों का प्रयोग मार्ग के रूप में करने से नहीं रोक सकते । प्रतिवादी उक्त अधिकार का प्रयोग अनुदान के रूप में कर रहे हैं और इसलिए वाद खारिज किए जाने योग्य हैं । प्रतिवादियों ने

आगे अभिकथित किया कि उन्होंने वादियों के विरुद्ध इस विवाद के संबंध में 1998 का मूल वाद संख्या 311 घोषणा, आज्ञापक व्यादेश और स्थायी व्यादेश के लिए भी फाइल किया और 1998 के मूल वाद संख्या 277 को खारिज करने की प्रार्थना की । विचारण न्यायालय द्वारा दोनों ही वादों को एक साथ कर दिया गया और संयुक्त रूप से विचारण किया गया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के परिशीलन और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक और दस्तावेजी, दोनों ही प्रकार के साक्षियों और दोनों पक्षों की तरफ से किए गए निवेदनों पर विचारोपरांत 1998 के मूल वाद संख्या 277 को खारिज कर दिया और 1998 के मूल वाद संख्या 311 को डिक्री कर दिया । वादियों ने इससे व्यथित होकर प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष 1998 के मूल वाद संख्या 277 में और प्रतिवादियों ने 1998 के मूल वाद संख्या 311 में 2001 की प्रथम अपील संख्या 1 और 2 फाइल की । प्रथम अपील न्यायालय ने दोनों ही अपीलें खारिज कर दीं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि कर दी । 1998 के मूल वाद संख्या 277 के वादियों और 1998 के मूल वाद संख्या 311 के प्रतिवादियों ने इससे व्यथित होकर दो द्वितीय अपीलें फाइल कीं । दोनों द्वितीय अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वादियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि मौके पर नहर के साथ-साथ एक सामान्य मार्ग भी स्थित है, जो वादियों को भूमि के उनके भाग तक पहुंचने के लिए आबंटित किया गया था । ऐसा होने के कारण अब प्रतिवादी वादी के भाग वाली भूमि के ऊपर से एक नया मार्ग सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं । यह न्यायालय वादियों और साथ ही प्रतिवादियों के मामले को समझ पाने में समर्थ है कि वादग्रस्त संपत्तियां वादियों और प्रतिवादियों को आबंटित की गई थीं और उनके अपने-अपने भाग अलग-अलग हैं और दोनों वादियों और प्रतिवादियों को इस प्रकार से आबंटित किए गए हैं कि वे एक दूसरे से संलग्न हैं । इसलिए भूमि के उनके भागों तक पहुंचने के लिए, यदि वे सामान्य मार्ग का प्रयोग करते हैं, तो उनको

अपने-अपने भागों तक पहुंचने में अत्यधिक समय लगेगा । इसके बजाय यदि उनको अपने-अपने भागों में वादियों और साथ ही प्रतिवादियों द्वारा अपने-अपने भागों में सृजित मेड़ों के माध्यम से पहुंचने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, तो उनके लिए अपने-अपने भागों में पहुंचना आसान हो जाएगा । जैसाकि विभाजन विलेख में उद्धृत किया गया है, दोनों पक्ष भूमि के अपने-अपने भागों में पहुंचने के लिए एक-दूसरे की भूमि पर स्थित मेड़ों का प्रयोग कर सकते हैं । इसलिए दोनों ही निचले न्यायालयों ने वादी द्वारा फाइल किए गए 1998 के मूल वाद संख्या 277 को न्यायत: खारिज किया और प्रतिवादियों द्वारा फाइल किए गए 1998 के मूल वाद संख्या 311 को मंजूर किया । उपरोक्त चर्चा को दृष्टि में रखते हुए, यह न्यायालय वादियों के पक्षकथन को मान्य ठहराए जाने के प्रयोजनार्थ निचले न्यायालयों द्वारा दी गई तर्कसंगतता और निकाले गए निष्कर्षों में मध्यक्षेप करने का कोई विधिमान्य कारण नहीं पाता । अत:, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि इन अपीलों में विधि का कोई भी सारभूत प्रश्न अंतर्वलित नहीं है । कुछ भी हो, इस न्यायालय द्वारा विरचित विधि के समस्त सारभूत प्रश्नों का उत्तर प्रतिवादियों के पक्ष में और वादियों के विरुद्ध दिया गया है । (पैरा 14 और 15)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2002 की द्वितीय अपील संख्या 1735.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील ।

याची की ओर से श्री वी. पी. सैंगोत्तुवेल

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री ए. सुंधराबदनम

आदेश

यह द्वितीय अपील इरोडे के प्रधान जिला न्यायालय में फाइल किए गए 2001 के वाद संख्या 1 में पारित तारीख 2 अप्रैल, 2001 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध निदेशित है, जिसके द्वारा इरोडे के प्रधान जिला मुंसिफ न्यायालय में फाइल किए गए 1998 के मूल वाद संख्या 277 में

पारित तारीख 31 अक्तूबर, 2000 के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गई है ।

2. सुविधा की दृष्टि से पक्षों को विचारण न्यायालय में संख्यांकन के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है ।

3. 1998 के मूल वाद संख्या 277 में वादी का पक्षकथन संक्षेप में यह था :-

"1. यह वाद स्थायी व्यादेश के लिए फाइल किया गया है । वादियों और प्रतिवादियों के पिता आपस में सगे भाई हैं, जो पोन्नूस्वामी गाउंडर के पुत्र हैं । इन लोगों ने तारीख 29 मार्च, 1988 के विभाजन विलेख द्वारा संयुक्त परिवार संपत्ति का विभाजन किया । तद्नुसार, वे अपने-अपने भागों के कब्जे में हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं । इसी दौरान वादी के पिता अर्थात् मुथुस्वामी की तारीख 23 फरवरी, 1995 को मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी उनके पिता को आबंटित संपत्ति के कब्जे में है और उसका उपभोग कर रहे हैं । उन्होंने सभी राजस्व अभिलेखों में अपने नामों का नामांतरण करा लिया और नियमित रूप से संपत्ति के करों का संदाय भी कर रहे हैं ।

2. तारीख 29 मार्च, 1988 के विभाजन विलेख में वादियों के पिता को अनुसूची 'बी' संपत्ति और प्रतिवादियों के पिता को अनुसूची 'सी' संपत्ति आबंटित की गई थी । उनके भागों का आबंटन वाद पत्र में सुस्पष्ट रूप से संलग्न किया गया है और तद्नुसार उनके अपने-अपने भागों में पहुंचने के लिए एक सामान्य रास्ता है । सभी भाई एक ही फसल की खेती कर रहे हैं जैसेकि धान, हल्दी और मूंगफली । संपूर्ण भूमि की सिंचाई एक ही कुंए और साथ ही निचली भवानी परियोजना नहर के पानी से की जाती है । प्रतिवादियों ने सामान्य मार्ग और सामान्य नहर के अतिक्रमण करने का प्रयास किया और इसी कारणवश उन लोगों के मध्य गलतफहमी उत्पन्न हुई । इसलिए वादियों ने प्रतिवादियों को वादग्रस्त संपत्ति में अतिचार करने और उस भूमि के ऊपर कोई

नया मार्ग सृजित करने से निशिद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ स्थायी व्यादेश के लिए वाद फाइल किया ।"

4. प्रतिवादियों ने वादी के वाद का विरोध करते हुए लिखित कथन यह अभिकथित करते हुए फाइल किया कि वादियों और प्रतिवादियों के पिता आपस में सगे भाई हैं और उन्होंने तारीख 29 मार्च, 1988 के रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख द्वारा अपनी संयुक्त परिवार संपत्तियों का विभाजन किया था । सभी पक्षों को अन्य पक्षों की भूमि में स्थित विद्यमान मेड़ों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया था । इस बात का भी उल्लेख तारीख 29 मार्च, 1988 के विभाजन विलेख में सुस्पष्टतया किया गया है । याची के पिता को अनुसूची 'बी' संपत्ति और प्रतिवादी के पिता को अनुसूची 'सी' संपत्ति आबंटित की गई थी । तद्नुसार, प्रतिवादी वादी की भूमि की मेड़ों का प्रयोग अपनी संपत्ति पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ कर रहे हैं । इसलिए वादी प्रतिवादियों को उनकी संपत्ति पर पहुंचने के लिए अपने खेत की मेड़ों का प्रयोग मार्ग के रूप में करने से नहीं रोक सकते । प्रतिवादी उक्त अधिकार का प्रयोग अनुदान के रूप में कर रहे हैं और इसलिए वाद खारिज किए जाने योग्य हैं । प्रतिवादियों ने आगे अभिकथित किया कि उन्होंने वादियो के विरुद्ध समान्य विवाद के संबंध में 1998 के मूल वाद संख्या 311 के रूप में घोषणा, आज्ञापक व्यादेश और स्थायी व्यादेश के लिए भी एक वाद फाइल किया था और 1998 के मूल वाद संख्या 277 को खारिज करने की प्रार्थना की थी ।

5. यह द्वितीय अपील इरोडे के प्रधान जिला न्यायालय के न्यायालय में फाइल किए गए 2001 के वाद संख्या 2 में पारित तारीख 2 अप्रैल, 2001 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध निदेशित है, जिसमें इरोडे के प्रधान जिला मुंसिफ न्यायालय में फाइल किए गए 1998 के मूल वाद संख्या 311 में पारित तारीख 31 अक्तूबर, 2000 के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गई ।

6. संक्षेप में 1988 के मूल वाद संख्या 311 में वादी का पक्षकथन निम्नलिखित है :-

"1. यह वाद घोषणा, आज्ञापक व्यादेश और स्थायी व्यादेश के लिए फाइल किया गया है । 1998 के मूल वाद संख्या 277 में प्रतिवादी 1998 के मूल वाद संख्या 311 में वादी हैं । वादियों और प्रतिवादियों के पिता आपस में सगे भाई हैं और उन्होंने तारीख 29 मार्च, 1988 के रजिस्ट्रीकृत विभाजन-विलेख द्वारा अपने संयुक्त परिवार संपत्तियों का विभाजन किया था । सभी पक्षों को एक दूसरे की भूमि पर स्थित विद्यमान मेड़ों का प्रयोग करने के अधिकार प्रदान किए गए थे । इस बात का उल्लेख तारीख 29 मार्च, 1988 के विभाजन विलेख में सुस्पष्टतया किया गया है । वादी के पिता को विभाजन विलेख की अनुसूची 'सी' में समाविष्ट संपत्ति और प्रतिवादी के पिता को विभाजन विलेख की अनुसूची 'बी' में समाविष्ट संपत्ति आबंटित की गई थी । तद्नुसार, वादी प्रतिवादी की भूमि पर विद्यमान मेड़ों का प्रयोग अपनी संपत्ति पर पहुंचने के लिए कर रहे हैं । इसलिए, प्रतिवादी वादियों को उनकी संपत्ति पर पहुंचने के लिए उसकी संपत्ति पर संपत्ति विद्यमान मेड़ों का प्रयोग करने का विरोध नहीं कर सकते । वादी उक्त अधिकार का प्रयोग अनुदान के रूप में कर रहे है और इसीलिए उन्होंने यह वाद घोषणा, आज्ञापक व्यादेश और स्थायी व्यादेश के लिए प्रतिवादियों के विरुद्ध फाइल किया अर्थात् 1998 का मूल वाद संख्या 277 ।"

7. प्रतिवादियों ने उपरोक्त वाद का विरोध करते हुए लिखित कथन यह अभिकथित करते हुए फाइल किए कि वे वाद पत्र में किए गए अभिकथनों और प्रकथनों से इनकार करते हैं चूंकि वे असत्य और परेशान करने वाले हैं और उन्होंने 1998 के मूल वाद संख्या 277 के वाद पत्र में किए गए प्रकथनों को दोहराया और वर्तमान वाद खारिज किए जाने की प्रार्थना की ।

8. विचारण न्यायालय द्वारा दोनों ही वादों को एक साथ कर दिया गया और संयुक्त रूप से विचारण किया गया । 1998 के मूल वाद संख्या 277 में वादियों की तरफ से और 1998 के मूल वाद संख्या 311 में प्रतिवादियों की तरफ से वादी साक्षी 1 का परीक्षण कराया गया और

दस्तावेजों को प्रदर्श ए-1 से ए-6 के रूप में चिह्नित किया गया । प्रतिवादियों की तरफ से 1998 के मूल वाद संख्या 277 में और वादियों की तरफ से 1998 के मूल वाद संख्या 311 में प्रतिवादी साक्षी 1 और प्रतिवादी साक्षी 2 का परीक्षण कराया गया और दस्तावेजों को प्रदर्श बी-1 से प्रदर्श बी-7 के रूप में चिह्नित किया गया । अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट और मानचित्र को प्रदर्श सी-1 से प्रदर्श सी-4 के रूप में चिह्नित किया गया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री के परिशीलन और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी, दोनों ही प्रकार के साक्षियों और दोनों पक्षों की तरफ से प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचारोपरांत 1998 के मूल वाद संख्या 277 को खारिज कर दिया और 1998 के मूल वाद संख्या 311 को मंजूर कर लिया । वादियों ने इससे व्यथित होकर प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष 1998 के मूल वाद संख्या 277 में और प्रतिवादियों ने 1998 के मूल वाद संख्या 311 में 2001 की अपील संख्या 1 और 2 फाइल की । प्रथम अपील न्यायालय ने दोनों ही अपीलों को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि कर दी । 1998 के मूल वाद संख्या 277 के वादियों और 1998 के मूल वाद संख्या 311 के प्रतिवादियों ने इससे व्यथित होकर दो द्वितीय अपीलें फाइल की ।

9. तारीख 23 जनवरी, 2004 को दोनों ही द्वितीय अपीलों में सुनवाई के लिए ग्रहण किए जाने के प्रक्रम पर विधि के निम्नलिखित सारभूत प्रश्न विचारार्थ विरचित किए गए :–

> "1. क्या निचले न्यायालय वादी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्षकथन को स्वीकार करने में सही थे, जिसमें वादी संख्या 1, जो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का पिता है और जो प्रदर्श ए-1 अर्थात् विभाजन विलेख में पक्ष था, का परीक्षण नहीं कराया गया था, अत: निचले न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-छ के अनुसार वादियों के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए था ?
>
> 2. क्या निचले न्यायालय वाद को डिक्री करने में न्यायसंगत हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ आत्यंतिक

रूप से कोई भी साक्ष्य, मौखिक अथवा दस्तावेजी, प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि प्रतिवादियों की भूमि पर विशिष्ट स्थानों पर पूर्व से पश्चिम की तरफ स्थायी मेड़ें मौजूद थीं ।

3. क्या निचले न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायसंगत हैं कि प्रतिवादी याचित अनुतोषों के हकदार हैं, जब विभाजन विलेख, प्रदर्श ए-1 एक आत्यंतिक दस्तावेज है और विभाजन के समस्त प्रयोजनों के लिए सभी पक्षों पर बाध्यकारी है ?"

10. अपीलार्थियों/वादियों और प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों की ओर से विद्वान् काउंसेल उपस्थित हैं और उन्होंने वाद पत्र और साथ ही लिखित कथन में उल्लिखित प्रकथनों को दोहराया ।

11. दोनों अपीलों में अपीलार्थियों/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री वी. पी. सेंगोत्तुवेल और प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री ए. सुंदरावधनम को सुना ।

12. स्वीकृतः, वादियों और प्रतिवादियों के पिता आपस में सगे भाई है । उन्होंने अपने पिता पोन्नूस्वामी की संपत्तियों समेत अपनी पैतृक संपत्तियों को तारीख 29 मार्च, 1988 के रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख द्वारा विभाजित कर लिया था । तत्पश्चात्, वे अपने-अपने अंशों के कब्जे में हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं । विभाजन विलेख को प्रदर्श ए-1 के रूप में चिह्नांकित किया गया था । विभाजन विलेख का वृत्तांत इस प्रकार है :–

(वर्णाकूलर भाषा की सामग्री का लोप किया गया संपादित)

13. तद्नुसार वादी और प्रतिवादी भूमि के अपने-अपने भाग तक एक दूसरे की भूमि पर स्थित मेड़ों के माध्यम से पहुंच सकते हैं ।

14. वादियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि मौके पर नहर के साथ-साथ एक सामान्य मार्ग भी स्थित है, जो वादियों को भूमि के उनके भाग तक पहुंचने के लिए आबंटित किया गया था । ऐसा होने के कारण अब प्रतिवादी वादी के भाग वाली भूमि के ऊपर से नया मार्ग सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं । यह न्यायालय वादियों और साथ ही प्रतिवादियों के मामले को समझ पाने में समर्थ है

कि वादग्रस्त संपत्तियां वादियों और प्रतिवादियों को आबंटित की गई थीं और उनके अपने-अपने भाग अलग-अलग हैं और दोनों वादियों और प्रतिवादियों को इस प्रकार से आबंटित किए गए थे कि वे एक दूसरे से संलग्न हैं । इसलिए भूमि के उनके भागों तक पहुंचने के लिए, यदि वे सामान्य मार्ग का प्रयोग करते हैं, तो उनको अपने-अपने भागों तक पहुंचने में अत्यधिक समय लगेगा । इसके बजाय यदि उनको अपने-अपने भागों में वादियों और साथ ही प्रतिवादियों द्वारा अपने-अपने भागों में सृजित मेड़ों के माध्यम से पहुंचने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, तो उनके लिए अपने-अपने भागों में पहुंचना आसान हो जाएगा । जैसाकि विभाजन विलेख में उद्धृत किया गया है, दोनों पक्ष भूमि के अपने-अपने भागों में पहुंचने के लिए एक-दूसरे की भूमि पर स्थित मेड़ों का प्रयोग कर सकते हैं । इसलिए दोनों ही निचले न्यायालयों ने वादी द्वारा फाइल किए गए 1998 के मूल वाद संख्या 277 को न्यायत: खारिज किया और प्रतिवादियों द्वारा फाइल किए गए 1998 के मूल वाद संख्या 311 को मंजूर किया ।

15. उपरोक्त चर्चा को दृष्टि में रखते हुए, यह न्यायालय वादियों के पक्षकथन को मान्य ठहराए जाने के प्रयोजनार्थ निचले न्यायालयों द्वारा दी गई तर्कसंगतता और निकाले गए निष्कर्षों में मध्यक्षेप करने का कोई विधिमान्य कारण नहीं पाता । अत:, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि इन अपीलों में विधि का कोई भी सारभूत प्रश्न अंतर्वलित नहीं है । कुछ भी हो, इस न्यायालय द्वारा विरचित विधि के समस्त सारभूत प्रश्नों का उत्तर प्रतिवादियों के पक्ष में और वादियों के विरुद्ध दिया गया है ।

16. अंतत:, दोनों द्वितीय अपीलें निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और डिक्रियों की पुष्टि करते हुए खारिज की जाती हैं । लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता ।

अपीलें खारिज की गईं ।

शु.

अनिल कुमार जामवाल

बनाम

रीना देवी

[2019 की प्रथम अपील प्रथम आदेश (हिंदू विवाह अधिनियम) संख्या 5]

तारीख 4 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) – धारा 13(1)(1-क) – तलाक – पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका फाइल किया जाना – पत्नी द्वारा अपने बच्चों के साथ अपने सास-श्वसुर के साथ निवास करना, किंतु पति द्वारा अपने माता पिता के साथ निवास न करना पाया जाना – पत्नी और बच्चों का भरणपोषण उसके सास-श्वसुर द्वारा किया जाना और सास-श्वसुर द्वारा अपने पुत्र से संबंध विच्छेद कर लिया जाना – पति द्वारा दूसरे विवाह के लिए अन्य महिलाओं के संपर्क में रहना और पत्नी द्वारा क्रूरता का साबित न होना – पति विवाह-विच्छेद की डिक्री का हकदार नहीं है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी-याची (पति) (जिसको इसमें इसके पश्चात् 'याची' कहकर निर्दिष्ट किया गया है), ने 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद के लिए इस आधार पर याचिका फाइल की कि उसका विवाह प्रत्यर्थी रीना देवी के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार तारीख 15 जनवरी, 2005 को संपन्न हुआ था, वे विवाह के पश्चात् कुछ समय तक अपने ग्राम में शांतिपूर्वक रहे और उनके विवाह बंधन से दो बच्चों का जन्म भी हुआ, बच्चों के जन्म के पश्चात् अपीलार्थी के प्रति प्रत्यर्थी के व्यवहार में परिवर्तित आ गया और वह याची के साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार करने लगी, वह अनेक अवसरों पर बिना किसी पूर्व अनुज्ञा के याची का घर छोड़कर चली जाती थी, याची अनेक अवसरों पर उसको ससुराल

वापस लाया, याची के साथ प्रत्यर्थी के माता-पिता और भाइयों ने भी दुर्व्यवहार किया और उन्होंने याची को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी और याची को उसकी ससुराल न आने के लिए भी प्रेरित किया, याची के अनुसार एक अवसर पर मित्रों और रिश्तेदारों की सहायता से मामले का निपटारा शांतिपूर्वक हो गया था और प्रत्यर्थी अपनी ससुराल वापस आ गई थी, तथापि, कुछ दिनों पश्चात् ही उसने याची के साथ पुन: दुर्व्यवहार और लड़ाई-झगड़ा आरंभ कर दिया । याची के अनुसार बच्चों के जन्म के पश्चात् उसके और प्रत्यर्थी के मध्य कोई भी शारीरिक/जैविक संबंध स्थापित नहीं हो सके, प्रत्यर्थी ने याची के साथ मानसिक और साथ ही शारीरिक क्रूरता का भी व्यवहार किया, याची वर्ष 2005 से 2007 के दौरान जलंधर में तैनात था और वर्ष 2007 से 2008 के दौरान बद्दी में तैनात था और तब भी से शिमला में निजी कार्य कर रहा था, याची के अनुरोध पर प्रत्यर्थी वर्ष 2009-10 में याची के साथ किसी समय शिमला में लगभग 15 से 20 दिनों की अवधि के लिए निवास करने गई थी, किंतु तत्पश्चात् उसने याची को माह जनवरी, 2010 में पुन: छोड़ दिया और अपने माता-पिता के घर चली गई । विवाह-विच्छेद याचिका में याची का पक्षकथन यह है कि वर्ष 2007 में उसके माता-पिता ने उसका परित्याग कर दिया था । उसका यह पक्षकथन भी है कि प्रत्यर्थी की याची को उसके माता-पिता की संपत्ति से बेदखल कराने में मिलीभगत थी । याची के बच्चे भी अपने दादा-दादी के साथ निवास कर रहे थे । याची को अपने घर जाने की भी अनुज्ञा नहीं थी । चूंकि दोनों पक्ष विगत चार वर्षों से पृथक् रूप से निवास कर रहे थे और वह तारीख, जिसको याचिका फाइल की गई, को दोनों पक्षों के मध्य सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, अत: याची ने विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए और विवाह को विघटित किए जाने की प्रार्थना करते हुए याचिका फाइल की । विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई याचिका को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर यह साबित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा याची के साथ क्रूरता और परित्याग का व्यवहार किया गया, जबकि अभिलेख पर

यह बात साबित हुई है कि प्रत्यर्थी अपने बच्चों समेत सास-श्वसुर के साथ निवास कर रही है । विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अनुमान लगाए जाने के प्रयोजनार्थ कोई भी संतोषप्रद आधार नहीं है कि प्रत्यर्थी को बिना किसी सूचना और अनुज्ञा के अपने सास-श्वसुर का घर छोड़ने की आदत थी और न ही इस बाबत कोई संतोषप्रद आधार है कि प्रत्यर्थी याची के साथ दुर्व्यवहार करती है या उसके साथ बुरा बर्ताव करती है । विद्वान् निचले न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर यह तथ्य साबित हुआ है कि याची के माता-पिता ने वर्ष 2007 में उससे संबंध विच्छेद कर लिए थे और इसके बावजूद वह अपने पिता के घर आता रहता था । विद्वान् निचले न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि याची इस बाबत कोई भी संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत कर पाने में विफल रहा है कि प्रत्यर्थी ने ऐसी रीति में कार्य किया जिसके कारण उसके साथ क्रूरता और संबंध विच्छेद की घटनाएं हुईं । विद्वान् निचले न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि याची अपनी पत्नी और बच्चों की सम्यक् रूप से देखभाल कर पाने में विफल रहा और प्रत्यर्थी के विरुद्ध क्रूरता और संबंध विच्छेद का अभिकथन विधित: साबित नहीं हुआ । विद्वान् निचले न्यायालय ने इन आधारों पर याचिका को खारिज कर दिया । अपीलार्थी/याची ने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उपरोक्त चर्चा के आधार पर कतिपय तथ्य स्पष्टत: प्रकट होते हैं, जो यह है कि जबकि प्रत्यर्थी अपने दो बच्चों के साथ अपने सास-श्वसुर के साथ निवास कर रही है, याची अपने माता-पिता के साथ निवास नहीं करता । याची ने जलंधर में इस तथ्य के बावजूद किसी अन्य लड़की के साथ सगाई समारोह का भी आयोजन किया था कि वह पहले से प्रत्यर्थी के साथ विवाहित है । इसी के साथ-साथ अब वह शिमला में किसी अन्य लड़की के साथ विवाह के लिए हितबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए उसने प्रत्यर्थी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की कार्यवाही आरंभ की है । पूर्वोक्त तथ्यों को स्वमेव याची के माता-पिता,

जो साक्षी कटघरे में साक्षियों के रूप में उपस्थित हुए, के कथनों से बल मिलता है । इन दोनों ही साक्षियों ने शपथपूर्वक अभिकथित किया है कि याची उनके साथ निवास नहीं करता, वह उनकी कोई बात भी नहीं सुनता, प्रत्यर्थी उन्हीं के साथ रहती थी, प्रत्यर्थी के श्वसुर प्रत्यर्थी और उसके दोनों अवयस्क बच्चों का भरणपोषण करते हैं और याची का अभित्यजन उसके माता-पिता द्वारा कर दिया गया था क्योंकि उसने जलंधर में किसी अन्य लड़की के साथ सगाई समारोह का आयोजन किया था । याची-पति द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका क्रूरता के आधार पर फाइल की गई थी । क्रूरता के संघटकों को साबित करने का भार उसी के ऊपर था, जिसमें वह बुरी तरह विफल रहा । यही विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया । विद्वान् निचले न्यायालय ने सुस्पष्ट सकारण निर्णय देते हुए याची द्वारा फाइल की गई याचिका को खारिज कर दिया । विद्वान् न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य और साथ ही सुसंगत निर्णजय विधि पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है । विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष मामले के अभिलेख के आधार पर सम्यक् रूप से निकाले गए निष्कर्ष है, क्योंकि हमारी सुविचारित राय में भी याची इस बात को साबित कर पाने में सर्वथा विफल रहा है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्रूरता कारित की, जैसाकि उसने विवाह-विच्छेद याचिका में अभिकथित किया है । इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल की दलीलों में गुणागुण है कि याची द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका किसी अन्य लड़की के साथ विवाह करने के प्रयोजनार्थ फाइल की गई थी । दलीलों के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल मामले के अभिलेख के संदर्भ में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कोई शैथिल्य या विपरीतता नहीं दर्शित कर सके । अत: मामले को इस दृष्टि से देखते हुए हमारी सुविचारित राय में विद्वान् विचारण न्यायालय ने न्यायत: अभिनिर्धारित किया है कि याची प्रत्यर्थी के विरुद्ध क्रूरता का कोई भी मामला साबित कर पाने में सफल नहीं हो सका, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई शैथिल्य नहीं पाया जाता, जिसके द्वारा इस मामले के अपीलार्थी द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए फाइल की गई

याचिका को खारिज कर दिया गया । इसलिए, यह अपील गुणागुण से रहित होने के कारण खारिज की जाती है । लंबित प्रकीर्ण आवेदन, यदि कोई हो, भी तद्नुसार निस्तारित किए जाते है । (पैरा 18 और 19)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2019 की प्रथम अपील प्रथम आदेश (हिंदू विवाह अधिनियम) संख्या 5.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 अधीन अपील ।

याची की ओर से श्री एल. एस. मेहता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री वरुण चंदेल

निर्णय

अपीलार्थी ने इस अपील के द्वारा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के विद्वान् जिला न्यायाधीश द्वारा 2017 की हिंदू विवाह अधिनियम याचिका संख्या 18/3, **अनिल कुमार जामवाल** बनाम **श्रीमती रीना देवी** वाले मामले में पारित तारीख 24 अक्तूबर, 2018 के निर्णय, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन फाइल की गई याचिका को खारिज कर दिया गया, को चुनौती दी है ।

2. इस अपील के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक तथ्य संक्षेप में यह है कि अपीलार्थी-याची (पति) (जिसको इसमें इसके पश्चात् 'याची' कहकर निर्दिष्ट किया गया है), में 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद के लिए इस आधार पर याचिका फाइल की कि उसका विवाह प्रत्यर्थी रीना देवी के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार तारीख 15 जनवरी, 2005 को संपन्न हुआ था, वे विवाह के पश्चात् कुछ समय तक अपने ग्राम में शांतिपूर्वक रहे और उनके विवाह बंधन से दो बच्चों का जन्म भी हुआ । बच्चों के जन्म के पश्चात् प्रत्यर्थी का अपीलार्थी के प्रति व्यवहार परिवर्तित हो गया और वह याची के साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार करने लगे । वह अनेक अवसरों पर बिना किसी पूर्व अनुज्ञा के याची का घर छोड़कर चली गई । याची अनेक अवसरों पर उसकी ससुराल से वापस लाया । याची के साथ प्रत्यर्थी के

माता-पिता और भाइयों ने भी दुर्व्यवहार किया और उन्होंने याची को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी और उन्होंने याची को उसकी ससुराल न आने के लिए भी प्रेरित किया । याची के अनुसार एक अवसर पर मित्रों और रिश्तेदारों की सहायता से मामले का निपटारा शांतिपूर्वक हो गया था और प्रत्यर्थी अपने ससुराल वापस आ गई, तथापि, कुछ दिनों पश्चात् ही उसने याची के साथ पुन: दुर्व्यवहार और लड़ाई-झगड़ा करना आरंभ कर दिया । याची के अनुसार उनके बच्चों के जन्म के पश्चात् उसके और प्रत्यर्थी के मध्य कोई भी शारीरिक/जैविक संबंध स्थापित नहीं हो सके । प्रत्यर्थी ने याची के साथ मानसिक और साथ ही शारीरिक क्रूरता का भी व्यवहार किया । याची वर्ष 2005 से 2007 के दौरान जलंधर में तैनात था और वह वर्ष 2007 से 2008 के दौरान बद्दी में तैनात था और तब से शिमला में निजी कार्य कर रहा था । याची के अनुरोध प्रत्यर्थी पर वर्ष 2009-10 में किसी समय उसके साथ शिमला में लगभग 15 से 20 दिनों की अवधि के लिए निवास करने लगी, किंतु तत्पश्चात् उसने याची को माह जनवरी, 2010 में पुन: छोड़ दिया और अपने माता-पिता के घर चली गई । विवाह-विच्छेद याचिका में याची का यह पक्षकथन था कि वर्ष 2007 में उसके माता-पिता ने उसका परित्याग कर दिया था । उसका यह पक्षकथन भी था कि प्रत्यर्थी की याची को उसके माता-पिता की संपत्ति से बेदखल कराने में उसके माता-पिता के साथ मिलीभगत थी । याची के बच्चे भी अपने दादा-दादी के साथ निवास कर रहे थे । याची को अपने घर जाने की भी अनुज्ञा नहीं थी । चूंकि दोनों पक्ष विगत चार वर्षों से पृथक् रूप से निवास कर रहे थे चूंकि वह तारीख जब याचिका फाइल की गई थी, तब से दोनों पक्षों के मध्य सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी, अत: याची ने विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए विवाह को विघटित किए जाने की प्रार्थना करते हुए याचिका फाइल की ।

3. प्रत्यर्थी द्वारा याचिका का अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर भी विरोध किया गया कि याची उसका और उसके बच्चों, जो अवयस्क थे और विद्यालय में पढ़ रहे थे, का भरणपोषण कर पाने में विफल था ।

4. प्रत्यर्थी के अनुसार याची ने बच्चों की शिक्षा के संबंध में कभी

एक पैसा भी खर्च नहीं किया । प्रत्यर्थी ने उसके द्वारा याची के साथ दुर्व्यवहार के तथ्य से भी दृढ़तापूर्वक इनकार किया । प्रत्यर्थी द्वारा उसके विरुद्ध याची द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका में लगाए गए अन्य सभी आरोपों से भी इनकार किया गया । इस बात से भी इनकार किया गया कि प्रत्यर्थी याची की पूर्व अनुज्ञा के बिना अपनी ससुराल को छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली जाती थी । उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसके माता-पिता या भाइयों ने याची के साथ दुर्व्यवहार किया या याची को उनके द्वारा धमकियां दी गईं, जैसाकि विवाह-विच्छेद याचिका में अभिकथित किया गया है । प्रत्यर्थी के अनुसार जब याची जलंधर में तैनात था, तब उसका प्रेम प्रसंग किसी अन्य लड़की के साथ आरंभ हो गया था । वह उसके माता-पिता और अन्य नातेदारों द्वारा दबाव डाले जाने पर वापस आया था । जब याची शिमला में था, तब वह व्यभिचार में संलिप्त था । उसके द्वारा किए गए कुकर्मों का ही परिणाम था कि उसके माता-पिता ने उसका परित्याग कर दिया था और वे अपनी पुत्र-वधु (प्रत्यर्थी) और अपने पोते और पोती का समर्थन कर रहे थे । प्रत्यर्थी ने इस बात से इनकार किया कि उसके बच्चों के जन्म के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य कोई शारीरिक/जैविक संबंध नहीं थे । प्रत्यर्थी के अनुसार उनके मध्य माह फरवरी, 2015 में भी शारीरिक संबंध थे, जब याची अपने घर आया था । प्रत्यर्थी का यह पक्षकथन भी है कि याची अपने माता-पिता के घर निरंतर आता रहता था । प्रत्यर्थी ने इस बात से इनकार किया कि दोनों पक्ष विगत चार वर्षों से पृथक् रूप से निवास कर रहे थे और प्रत्यर्थी के अनुसार याची प्रत्यर्थी के साथ दुर्व्यवहार करता था ।

5. विद्वान् निचले न्यायालय ने पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :-

"1. क्या याची क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद का हकदार है ? यदि हां तो इसके प्रभाव ।

2. क्या याची अभित्यजन के आधार पर डिक्री का हकदार है ? यदि हां तो इसके प्रभाव ।

3. क्या याचिका पोषणीय नहीं है ? यदि नहीं तो इसके प्रभाव ।

4. क्या याची ने न्यायालय से तात्विक तथ्यों को छुपाया है, जैसाकि अभिकथित किया गया है ? यदि हां तो इसके प्रभाव ।

5. क्या याची के पक्ष में वर्तमान याचिका फाइल किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई वादकारण उद्भूत नहीं हुआ ? यदि हां तो इसके प्रभाव ।

6. क्या इस न्यायालय को इस मामले को सुनने और निर्णीत करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है ? यदि हां तो इसके प्रभाव ।

7. अन्य कोई अनुतोष ।"

6. पक्षों द्वारा उनके अपने-अपने दावों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किए गए विवाद्यकों के आधार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए :-

"विवाद्यक संख्या 1 : नहीं

विवाद्यक संख्या 2 : नहीं

विवाद्यक संख्या 3 : नहीं

विवाद्यक संख्या 4 : नहीं

विवाद्यक संख्या 5 : नहीं

विवाद्यक संख्या 6 : नहीं

अनुतोष : याचिका निर्णय के प्रत्येक क्रियान्वयन भाग के संबंध में लागत सहित खारिज की गई ।"

7. विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई याचिका को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर यह साबित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा याची के साथ क्रूरता और परित्याग का व्यवहार किया गया था, जबकि अभिलेख पर यह बात साबित हुई थी कि प्रत्यर्थी अपने बच्चों समेत सास-श्वसुर के साथ रह

रही थी । विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अनुमान लगाए जाने के प्रयोजनार्थ कोई भी संतोषप्रद आधार नहीं था कि प्रत्यर्थी को बिना किसी सूचना और अनुज्ञा के अपने सास-श्वसुर का घर छोड़ने की आदत थी और न ही इस बाबत कोई संतोषप्रद आधार था कि प्रत्यर्थी ने याची के साथ दुर्व्यवहार करती थी या उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी । विद्वान् निचले न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर यह तथ्य आया है कि याची के माता-पिता ने वर्ष 2007 में उससे संबंध विच्छेद कर लिए थे और इसके बावजूद वह अपने पिता के घर आता रहता था । विद्वान् निचले न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि याची इस बाबत कोई भी संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत कर पाने में विफल रहा है कि प्रत्यर्थी ने ऐसी रीति में कार्य किया जिसके कारण उसके साथ क्रूरता और संबंध विच्छेद की घटनाएं हुईं । विद्वान् निचले न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि याची अपनी पत्नी और बच्चों की सम्यक् रूप से देखभाल कर पाने में विफल रहा और प्रत्यर्थी के विरुद्ध क्रूरता और संबंध विच्छेद का अभिकथन विधितः साबित नहीं हुआ । विद्वान् निचले न्यायालय ने इन आधारों पर याचिका को खारिज कर दिया ।

8. अपीलार्थी/याची ने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की ।

9. मैंने पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परिशीलन किया ।

10. याची ने अपने पक्षकथन को साबित करने के प्रयोजनार्थ पांच साक्षियों का परीक्षण कराया । उसके पिता ज्ञान सिंह साक्षी कठघरे में अभि. सा. 1 के रूप में उपस्थित हुए उन्होंने अभिकथित किया कि प्रत्यर्थी (पत्नी) उनके साथ निवास कर रही थी और वही अपने प्रपौत्रों, जो उनके साथ निवास कर रहे थे, का भी भरणपोषण कर रहे थे । उन्होंने यह भी अभिकथित किया कि याची, जो उनका पुत्र है, उनके साथ विगत दो वर्ष और नौ माह से नहीं रह रहा था । उन्होंने यह भी अभिकथित किया कि उन्होंने याची को अपनी संपत्ति से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किए जाने के द्वारा बेदखल कर दिया था ।

11. याची की माता श्रीमती प्यारो देवी भी साक्षी कठघरे में अभि. सा. 2 के रूप में उपस्थित हुई और उसने न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक अभिकथित किया कि याची अपने माता-पिता के घर में नहीं रहता था और न तो उनका पुत्र और न ही पुत्रवधु उनकी कोई बात सुनते थे । उन्होंने आगे अभिकथित किया कि प्रत्यर्थी और उनके प्रपौत्र का भरणपोषण उनके द्वारा किया जाता था, जो उनके साथ निवास करते थे । उन्होंने यह भी अभिकथित किया कि याची, जो कि उनका पुत्र है, से उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिए थे, चूंकि उसने वर्ष 2007 में जलंधर में किसी लड़की के साथ संबंध स्थापित कर लिए थे और वर्तमान में उनका पुत्र शिमला में किसी अन्य लड़की के साथ विवाह करना चाहता है ।

12. अभि. सा. 3 श्री पीयर सिंह, जो ग्राम पंचायत कोटलू ब्रहमना के प्रधान हैं, ने न्यायालय के समक्ष अभिकथित किया कि उन्होंने याची के पिता के कहने पर पंचायत की एक बैठक प्रत्यर्थी के भरणपोषण के संबंध में आयोजित की थी, यद्यपि कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, चूंकि याची पंचायत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ ।

13. संदीप कुमार नामक एक व्यक्ति, जो साक्षी कठघरे में अभि. सा. 4 के रूप में उपस्थित हुए, ने दोनों पक्षों के मध्य किसी विवाद की जानकारी होने से अनभिज्ञता व्यक्त की । उन्होंने इस तथ्य के बाबत भी अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की कि याची किसी अन्य लड़की से विवाह करना चाहता था और इसलिए उसने विवाह-विच्छेद के लिए याचिका फाइल की थी ।

14. याची स्वयं साक्षी कठघरे में अभि. सा. 5 के रूप में उपस्थित हुआ और उसने न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी, जो एक झगड़ालू और गाली-गलौज करने वाली एक महिला है, द्वारा की जा रही क्रूरता के बाबत अभिकथित किया । उसने न्यायालय के समक्ष अभिकथित किया कि प्रत्यर्थी याची की सहमति के बिना उसका घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली जाती थी और उसका वर्ष 2010 से अपनी पत्नी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं था ।

15. प्रत्यर्थी साक्षी-1 के रूप में श्री भारत भूषण और प्रत्यर्थी साक्षी-2 के रूप में श्री बालचंद्र का परीक्षण कराया और इन दोनों ही साक्षियों ने शपथपूर्ण कथन किया कि प्रत्यर्थी उसकी शादी के पश्चात् अपने वैवाहिक घर में रहती थी । उसने याची को कभी गालियां नहीं दी । इन साक्षियों ने शपथपूर्वक कथन किया कि याची जलंधर में किसी अन्य लड़की के साथ विवाह करने का इच्छुक था और उसने प्रत्यर्थी के साथ विवाहित होने के बावजूद उस लड़की के साथ सगाई समारोह भी आयोजित किया था । श्री रमेशचंद और मुश्ताख मुहम्मद प्रत्यर्थी साक्षी-3 और प्रत्यर्थी साक्षी-5 के रूप में साक्षी कठघरे में उपस्थित हुए । प्रत्यर्थी साक्षी-3 रमेशचंद, जो ग्राम भटोली कलां के ग्राम प्रधान हैं, ने अभिकथित किया कि वर्ष 2016 में प्रत्यर्थी के पिता ने उसको इस बाबत जानकारी दी थी कि उसकी पुत्री के साथ उसकी ससुराल में दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जब वे याची के माता-पिता से मिले तो उनको बताया गया कि याची न तो उनके साथ निवास करता है और न ही उनकी बातों को सुनता है, जबकि प्रत्यर्थी उन्हीं के साथ रह रही थी ।

16. प्रत्यर्थी साक्षी-5 मुश्ताक मुहम्मद ने भी न्यायालय के समक्ष अभिकथित किया कि याची किसी अन्य लड़की के साथ विवाह करने में हितबद्ध था और उसने इसी कारणवश विवाह-विच्छेद याचिका फाइल की ।

17. प्रत्यर्थी साक्षी कठघरे में प्रत्यर्थी साक्षी-4 के रूप में उपस्थित हुई और उसने न्यायालय के समक्ष अभिकथित किया कि वह अपने बच्चों के साथ अपने सास-श्वसुर के मकान में निवास कर रही थी । उसने कभी भी अपने वैवाहिक घर को नहीं छोड़ा, जैसाकि याची द्वारा अभिकथित किया गया है । उसने न्यायालय के समक्ष आगे अभिकथित किया कि याची ने वास्तव में जलंधर में किसी अन्य लड़की के साथ संबंध बनाकर उसके साथ कपट कारित किया और तत्पश्चात् वह शिमला चला गया । उसने आगे अभिकथित किया कि अब याची शिमला में किसी अन्य लड़की के साथ इस कारणवश विवाह के लिए हितबद्ध है कि उसने विवाह-विच्छेद याचिका फाइल कर दी है ।

18. उपरोक्त चर्चा के आधार पर कतिपय तथ्य स्पष्टतः प्रकट होते हैं, जो यह है कि जबकि प्रत्यर्थी अपने दो बच्चों के साथ अपने सास-श्वसुर के साथ निवास कर रही है, याची अपने माता-पिता के साथ निवास नहीं करता । याची ने जलंधर में इस तथ्य के बावजूद किसी अन्य लड़की के साथ सगाई समारोह का भी आयोजन किया था कि वह पहले से प्रत्यर्थी के साथ विवाहित है । इसी के साथ-साथ अब वह शिमला में किसी अन्य लड़की के साथ विवाह के लिए हितबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए उसने प्रत्यर्थी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की कार्यवाही आरंभ की है । पूर्वोक्त तथ्यों को स्वमेव याची के माता-पिता, जो साक्षी कठघरे में साक्षियों के रूप में उपस्थित हुए, के कथनों से बल मिलता है । इन दोनों ही साक्षियों ने शपथपूर्वक अभिकथित किया है कि याची उनके साथ निवास नहीं करता, वह उनकी कोई बात भी नहीं सुनता, प्रत्यर्थी उन्हीं के साथ रहती थी, प्रत्यर्थी के श्वसुर प्रत्यर्थी और उसके दोनों अवयस्क बच्चों का भरणपोषण करते हैं और याची का अभित्यजन उसके माता-पिता द्वारा कर दिया गया था क्योंकि उसने जलंधर में किसी अन्य लड़की के साथ सगाई समारोह का आयोजन किया था । याची-पति द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका क्रूरता के आधार पर फाइल की गई थी । क्रूरता के संघटकों को साबित करने का भार उसी के ऊपर था, जिसमें वह बुरी तरह विफल रहा । यही विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया । विद्वान् निचले न्यायालय ने सुस्पष्ट सकारण निर्णय देते हुए याची द्वारा फाइल की गई याचिका को खारिज कर दिया । विद्वान् न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य और साथ ही सुसंगत निर्णयज विधि पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है । विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष मामले के अभिलेख के आधार पर सम्यक् रूप से निकाले गए निष्कर्ष है, क्योंकि हमारी सुविचारित राय में भी याची इस बात को साबित कर पाने में सर्वथा विफल रहा है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्रूरता कारित की, जैसाकि उसने विवाह-विच्छेद याचिका में अभिकथित किया है । इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल की दलीलों में गुणागुण है कि याची द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका किसी अन्य लड़की के साथ विवाह करने के प्रयोजनार्थ फाइल की गई थी ।

19. दलीलों के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल मामले के अभिलेख के संदर्भ में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कोई शैथिल्य या विपरीतता नहीं दर्शित कर सके । अतः मामले को इस दृष्टि से देखते हुए हमारी सुविचारित राय में विद्वान् विचारण न्यायालय ने न्यायतः अभिनिर्धारित किया है कि याची प्रत्यर्थी के विरुद्ध क्रूरता का कोई भी मामला साबित कर पाने में सफल नहीं हो सका, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई शैथिल्य नहीं पाया जाता, जिसके द्वारा इस मामले के अपीलार्थी द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए फाइल की गई याचिका को खारिज कर दिया गया । इसलिए, यह अपील गुणागुण से रहित होने के कारण खारिज की जाती है । लंबित प्रकीर्ण आवेदन, यदि कोई हो, भी तद्नुसार निस्तारित किए जाते है ।

अपील खारिज की गई ।

शु.

संसद् के अधिनियम

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001

(2001 का अधिनियम संख्यांक 45)

[14 सितम्बर, 2001]

अधिवक्ताओं के फायदे के लिए एक कल्याण निधि का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे ; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिवक्ता" से कोई ऐसा अधिवक्ता अभिप्रेत है जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 17 के

अधीन किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा तैयार की गई और रखी गई नामावली में दर्ज किया गया है और जो किसी राज्य विधिज्ञ संगम या राज्य अधिवक्ता संगम का सदस्य है ;

(ख) "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है, –

(i) किसी राज्य की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में सम्मिलित अधिवक्ताओं की दशा में राज्य सरकार ;

(ii) किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में सम्मिलित अधिवक्ताओं की दशा में केन्द्रीय सरकार ;

(ग) "विधि व्यवसाय बंद किया जाना" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 26क के अधीन राज्य नामावली से किसी अधिवक्ता के नाम का हटाया जाना अभिप्रेत है ;

(घ) "अध्यक्ष" से धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट न्यासी समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो ;

(च) "आश्रितों" से निधि के किसी सदस्य के पति या पत्नी, माता-पिता या अवयस्क संतान अभिप्रेत है ;

(छ) "निधि" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिवक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है ;

(ज) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में है ;

(झ) "निधि का सदस्य" से निधि के फायदों के लिए सम्मिलित ऐसा अधिवक्ता अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के

उपबंधों के अधीन उसके सदस्य के रूप में बना रहता है ;

(ञ) "अधिसूचना" से समुचित सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ठ) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ड) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ङ) में है ;

(ढ) "स्टांप" से धारा 26 के अधीन मुद्रित और वितरित अधिवक्ता कल्याण निधि स्टांप अभिप्रेत है ;

(ण) "राज्य" से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है ;

(त) "राज्य अधिवक्ता संगम" से धारा 16 के अधीन किसी राज्य की विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त उस राज्य में कोई अधिवक्ता संगम अभिप्रेत है ;

(थ) "राज्य विधिज्ञ संगम" से धारा 16 के अधीन किसी राज्य में, उस राज्य की विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अधिवक्ताओं का संगम अभिप्रेत है ;

(द) "राज्य विधिज्ञ परिषद्" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है ;

(ध) "विधि व्यवसाय का निलंबन" से अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय का स्वैच्छिक निलंबन या अवचार के लिए किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा किसी अधिवक्ता का निलंबन अभिप्रेत है ;

(न) "न्यासी समिति" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन

स्थापित अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति अभिप्रेत है ;

(प) "वकालतनामा" के अंतर्गत उपसंजाति ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज आता है जिसके द्वारा कोई अधिवक्ता किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष उपसंजात होने या अभिवाक् करने के लिए सशक्त किया गया है ;

(फ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

अधिवक्ता कल्याण निधि का गठन

3. अधिवक्ता कल्याण निधि – (1) समुचित सरकार, एक कल्याण निधि का गठन करेगी जिसका नाम, "अधिवक्ता कल्याण निधि" होगा ।

(2) निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा :–

(क) धारा 15 के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा संदत्त सभी रकमें ;

(ख) राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया गया कोई अन्य अभिदाय ;

(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद्, किसी राज्य विधिज्ञ संगम, किसी राज्य अधिवक्ता संगम या अन्य संगम या संस्था या किसी अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा निधि को किया गया कोई स्वैच्छिक संदान या अभिदाय ;

(घ) कोई ऐसा अनुदान जो इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निधि को किया जाए ;

(ङ) धारा 12 के अधीन उधार ली गई कोई राशि ;

(च) धारा 18 के अधीन संगृहीत सभी राशियां ;

(छ) निधि के किसी सदस्य की मृत्यु पर, किसी समूह बीमा पालिसी के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से प्राप्त सभी राशियां ;

(ज) निधि के सदस्यों की समूह बीमा पालिसियों की बाबत भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश या प्रतिदाय ;

(झ) निधि के किसी भाग से किए गए किसी विनिधान पर कोई ब्याज या लाभांश या अन्य प्रत्यागम ;

(ञ) धारा 26 के अधीन स्टांपों के विक्रय द्वारा संगृहीत सभी राशियां ।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशि का संदाय या उनका संग्रहण ऐसे अभिकरणों द्वारा, ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

अध्याय 3

न्यासी समिति की स्थापना

4. न्यासी समिति की स्थापना – (1) ऐसी तारीख से जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक न्यासी समिति की स्थापना की जाएगी जिसका नाम "अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति" होगा ।

(2) न्यासी समिति एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकर और एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी और जो उक्त नाम से वाद ला सकेगी और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

(3) न्यासी समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(क)	किसी राज्य का महाधिवक्ता	– अध्यक्ष, पदेन :

परंतु जहां किसी राज्य का कोई महाधिवक्ता नहीं है वहां समुचित सरकार किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी ;

(ख)	समुचित सरकार के अपने विधि विभाग या मंत्रालय का सचिव	– सदस्य, पदेन ;
(ग)	समुचित सरकार के अपने गृह विभाग या मंत्रालय का सचिव	– सदस्य, पदेन ;
(घ)	राज्य विधिज्ञ परिषद् का अध्यक्ष	– सदस्य, पदेन ;
(ङ)	सरकारी प्लीडर या लोक अभियोजक जो समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए	– सदस्य, पदेन ;
(च)	दो अधिवक्ता, जो राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे	– सदस्य, पदेन ;
(छ)	राज्य विधिज्ञ परिषद् का सचिव	– सदस्य, पदेन ।

(4) उपधारा (3) के खंड (क) के परन्तुक के अधीन नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष, पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(5) उपधारा (3) के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट न्यासी समिति का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

5. न्यासी समिति के अध्यक्ष या सदस्य की निरर्हताएं और उसका हटाया जाना – (1) समुचित सरकार, न्यासी समिति के अध्यक्ष या किसी ऐसे सदस्य को पद से हटाएगी –

(क) जो अनुन्मोचित दिवालिया है या किसी समय इस रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जो न्यासी समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है ; या

(ग) जो किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें समुचित सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हैं जिससे न्यासी समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकर होगा ; या

(च) जो किसी समय न्यासी समिति के लगातार तीन से अधिक अधिवेशनों में न्यासी समिति की इजाजत के बिना अनुपस्थित है या रहा है :

परंतु न्यासी समिति, पर्याप्त आधारों पर ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की अनुपस्थिति माफ कर सकेगी ।

(2) न्यासी समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

6. न्यासी समिति के नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद त्याग और आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना – (1) धारा 4 की उपधारा

(4) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या उस धारा की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य, समुचित सरकार की लिखित में तीन मास की सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और समुचित सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर ऐसा अध्यक्ष या सदस्य अपना पद रिक्त कर देगा ।

(2) धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य, राज्य विधिज्ञ परिषद् को लिखित में तीन मास की सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर ऐसा सदस्य अपना पद रिक्त कर देगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे अध्यक्ष और किसी सदस्य के जिसने पद त्याग किया है, पद में कोई आकस्मिक रिक्ति, यथाशक्य शीघ्र समुचित सरकार द्वारा भरी जा सकेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित अध्यक्ष या सदस्य, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक कि ऐसा अध्यक्ष या वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसका नामनिर्देशन किया गया है, पद धारण करने का हकदार होता, यदि रिक्ति न हुई होती ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी सदस्य के, जिसने पद त्याग किया है, पद में कोई आकस्मिक रिक्ति, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा भरी जा सकेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य, तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर उसका नामनिर्देशन किया गया है, पद धारण करने का हकदार होता, यदि रिक्ति न हुई होती ।

7. रिक्तियों आदि से न्यासी समिति की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना – न्यासी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि –

(क) न्यासी समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) न्यासी समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य

करने वाले किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई त्रुटि या अनियमितता है ; या

(ग) न्यासी समिति का प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

8. न्यासी समिति के अधिवेशन – (1) न्यासी समिति प्रत्येक तीन कलैंडर मास में कम-से-कम एक बार अधिवेशन करेगी और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रत्येक वर्ष कम-से-कम ऐसे चार अधिवेशन किए जाएंगे ।

(2) न्यासी समिति के तीन सदस्यों से न्यासी समिति के किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी ।

(3) न्यासी समिति का अध्यक्ष या, यदि वह किसी अन्य कारण से न्यासी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो अधिवेशन में उपस्थित न्यासी समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(4) ऐसे सभी प्रश्न जो न्यासी समिति के अधिवेशन में आते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले न्यासी समिति के सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के समान होने की दशा में अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में न्यासी समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का, निर्णायक मत होगा ।

9. न्यासी समिति के नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ते – धारा 4 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और उस धारा की उपधारा (3) के उपखंड (ङ) और उपखंड (च) में निर्दिष्ट न्यासी समिति के सदस्य ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते संदत्त किए जाने के हकदार होंगे, जो राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों को ग्राह्य हैं ।

10. निधि का निहित होना और उसका उपयोजन – निधि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उसके प्रयोजनों के लिए न्यासी समिति में निहित होगी और उसके द्वारा धारित तथा उपयोजित की जाएगी ।

11. न्यासी समिति के कृत्य – (1) इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यासी समिति निधि का प्रशासन करेगी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यासी समिति, –

(क) निधि की रकमों और आस्तियों को न्यास में धारण करेगी ;

(ख) निधि में सदस्यों के रूप में प्रवेश या पुन: प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगी और ऐसे आवेदनों का उनकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निपटान करेगी ;

(ग) यथास्थिति, निधि के सदस्यों, उनके नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों से निधियों से संदाय के लिए आवेदन प्राप्त करेगी, ऐसी जांच करेगी जो वह आवश्यक समझे और आवेदनों को उनकी प्राप्ति की तारीख से पांच मास के भीतर निपटाएगी ;

(घ) न्यासी समिति की कार्यवृत्त पुस्तक में, आवेदनों के संबंध में अपने विनिश्चय अभिलिखित करेगी ;

(ङ) निधि के सदस्यों या, यथास्थिति, उनके नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर रकमों का संदाय करेगी ;

(च) समुचित सरकार और राज्य विधिज्ञ परिषद् को ऐसी कालिक और वार्षिक रिपोर्टें भेजेगी जो विहित की जाएं ;

(छ) आवेदकों को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा या इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, निधि में सदस्यों के रूप में प्रवेश या पुन: प्रवेश के लिए आवेदनों के संबंध में न्यासी समिति के विनिश्चय या निधि के फायदे के दावों को संसूचित करेगी ;

(ज) ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किए जाते हैं, या किए जाएं या किए जाने के लिए अपेक्षित हों ।

12. उधार लेना और विनिधान – (1) न्यासी समिति, समुचित सरकार और राज्य विधिज्ञ परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित राशि उधार ले सकेगी ।

(2) न्यासी समिति, सभी धनों और प्राप्तियों को, जो निधि का भाग हैं, किसी अनुसूचित बैंक में जमा करेगी या उसका समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की ऋण लिखतों में विनिधान करेगी या समुचित सरकार द्वारा प्लवित ऋणों में या ऐसी अन्य रीति में, जो राज्य विधिज्ञ परिषद्, समय-समय पर समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेश दे, विनिधान करेगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन देय और संदेय सभी रकम और निधि के प्रबंध और प्रशासन से संबंधित सभी व्यय निधि में से संदत्त किए जाएंगे ।

13. लेखा और लेखापरीक्षा – (1) न्यासी समिति उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और लेखाओं का वार्षिक विवरण और वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तैयार करेगी, जो विहित की जाए ।

(2) न्यासी समिति के लेखाओं की वार्षिक रूप से राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी ।

(3) चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा लेखापरीक्षा किया गया न्यासी समिति का लेखा उसकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ उस समिति द्वारा राज्य विधिज्ञ परिषद् को भेजा जाएगा और राज्य विधिज्ञ परिषद् उसके संबंध में न्यासी समिति को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(4) न्यासी समिति, उपधारा (3) के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करेगी ।

(5) न्यासी समिति, निधि में से लेखापरीक्षा के लिए ऐसे प्रभारों का संदाय करेगी जो राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नियत किए जाएं ।

14. सचिव की शक्तियां और कर्तव्य – न्यासी समिति का सचिव, –

(क) न्यासी समिति का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगा और उसके विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए दायी होगा ;

(ख) न्यासी समिति की ओर से और उसके विरुद्ध, सभी वादों और कार्यवाहियों में, न्यासी समिति का प्रतिनिधित्व करेगा ;

(ग) न्यासी समिति के सभी विनिश्चयों और विलेखों को अपने हस्ताक्षर से प्राधिकृत करेगा ;

(घ) अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से न्यासी समिति के बैंक खाते का संचालन करेगा ;

(ङ) न्यासी समिति के अधिवेशन बुलाएगा और ऐसे अधिवेशनों के कार्यवृत्त तैयार करेगा ;

(च) सभी आवश्यक अभिलेखों और जानकारी के साथ न्यासी समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होगा ;

(छ) ऐसे प्ररूप, रजिस्टर और अन्य अभिलेख रखेगा, जो समय-समय पर विहित किए जाएं और न्यासी समिति से संबंधित सभी पत्र व्यवहार करेगा ;

(ज) वित्तीय वर्ष के दौरान न्यासी समिति द्वारा किए गए कारबार का वार्षिक विवरण तैयार करेगा ;

(झ) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो न्यासी समिति और राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा निदेशित हैं या किए जाएं ।

15. राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा कतिपय धनों का निधि में संदाय – राज्य विधिज्ञ परिषद्, निधि में वार्षिक रूप से ऐसी रकम का संदाय करेगी जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 24 के खंड (च) के अधीन प्राप्त की गई नामांकन फीस के बीस प्रतिशत के बराबर हो ।

अध्याय 4

अधिवक्ताओं के किसी संगम की मान्यता

16. अधिवक्ताओं के किसी संगम की राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता – (1) अधिवक्ताओं का कोई संगम, चाहे वह किसी भी नाम से

ज्ञात हो, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व एक संगम के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी तारीख से पूर्व, जो राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, मान्यता के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद् को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, आवेदन कर सकेगा ।

(2) अधिवक्ताओं का कोई संगम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से या उसके पश्चात् एक संगम के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, संगम के रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य विधिज्ञ परिषद् को ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, मान्यता के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, –

(क) संगम के नियमों और उपनियमों की एक प्रति होगी ;

(ख) संगम के पदधारियों के नाम और पते होंगे ;

(ग) संगम के सदस्यों की एक सूची होगी, जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उम्र, राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामांकन संख्या और नामांकन की तारीख तथा व्यवसाय का साधारण स्थान अंतर्विष्ट होगा ।

(4) राज्य विधिज्ञ परिषद् ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, संगम को मान्यता दे सकेगी और मान्यता का प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, जारी कर सकेगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् का किसी संगम की मान्यता के बारे में किसी भी विषय पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, "रजिस्ट्रीकृत" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझा गया अभिप्रेत है ।

17. राज्य विधिज्ञ संगमों और राज्य अधिवक्ता संगमों के कर्तव्य – (1) प्रत्येक राज्य विधिज्ञ संगम और राज्य अधिवक्ता संगम, प्रत्येक

वर्ष 15 अप्रैल को या उससे पूर्व राज्य विधिज्ञ परिषद् को उस वर्ष की 31 मार्च को यथाविद्यमान अपने सदस्यों की सूची भेजेगा ।

(2) प्रत्येक राज्य विधिज्ञ संगम और राज्य अधिवक्ता संगम, राज्य विधिज्ञ परिषद् को –

(क) सदस्यता में किसी परिवर्तन की, जिसके अंतर्गत प्रवेश और पुन: प्रवेश सम्मिलित हैं, ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर सूचना देगा ;

(ख) अपने सदस्यों में से किसी की मृत्यु या व्यवसाय की अन्यथा समाप्ति की या व्यवसाय के स्वैच्छिक निलंबन की घटना की तारीख से तीस दिन के भीतर, सूचना देगा ;

(ग) ऐसे अन्य विषय की सूचना देगा, जो राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो ।

अध्याय 5

सदस्यता और अधिवक्ता कल्याण निधि में से संदाय

18. निधि की सदस्यता – (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, राज्य के किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में व्यवसायरत प्रत्येक अधिवक्ता, जो उस राज्य में किसी राज्य विधिज्ञ संगम या राज्य अधिवक्ता संगम का सदस्य है, इस अधिनियम के प्रारंभ से छह मास के भीतर न्यासी समिति को निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, आवेदन करेगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, –

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता के रूप में सम्मिलित किया गया है ;

(ख) राज्य के किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में व्यवसाय कर रहा है और जो उस राज्य में राज्य विधिज्ञ संगम का या राज्य अधिवक्ता संगम का सदस्य है,

अधिवक्ता के रूप में अपने नामांकन के छह मास के भीतर न्यासी

समिति को निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, आवेदन करेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर न्यासी समिति, ऐसी जांच करेगी जो यह उचित समझे और या तो आवेदक को निधि में प्रवेश देगी या अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकार कर देगी :

परंतु आवेदन को अस्वीकार करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) प्रत्येक आवेदक, आवेदन के साथ न्यासी समिति के खाते में दो सौ रुपए की आवेदन फीस का संदाय करेगा ।

(5) प्रत्येक अधिवक्ता, जो निधि का सदस्य है, निधि में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या उससे पूर्व पचास रुपए के वार्षिक अभिदान का संदाय करेगा :

परंतु प्रत्येक अधिवक्ता, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया है अपने पहले वार्षिक अभिदान का निधि में सदस्य बनने के तीन मास के भीतर संदाय करेगा :

परंतु यह और कि कोई ज्येष्ठ अधिवक्ता, एक हजार रुपए का वार्षिक अभिदान करेगा ।

(6) निधि का ऐसा कोई सदस्य, जो किसी वर्ष के लिए वार्षिक अभिदाय का उस वर्ष के 31 मार्च से पूर्व संदाय करने में असफल रहा है, निधि की सदस्यता से हटाए जाने के लिए दायी होगा ।

(7) निधि के किसी सदस्य को, जिसे उपधारा (6) के अधीन निधि की सदस्यता से हटाया गया है, ऐसे हटाए जाने की तारीख से छह मास के भीतर दस रुपए की पुन: प्रवेश फीस के साथ बकायों का संदाय करने पर निधि में पुन: प्रवेश दिया जा सकेगा ।

(8) निधि का प्रत्येक सदस्य, निधि की सदस्यता में प्रवेश के समय अपने आश्रितों में से एक या अधिक का नामांकन, उसकी मृत्यु की दशा

में इस अधिनियम के अधीन सदस्य को संदेय किसी राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए, करेगा ।

(9) यदि निधि का कोई सदस्य, उपधारा (8) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नामांकन करता है तो वह नामांकन में नामनिर्देशितियों में से प्रत्येक को संदेय रकम या अंश विनिर्दिष्ट करेगा ।

(10) निधि का कोई सदस्य किसी भी समय न्यासी समिति को लिखित में सूचना भेजकर नामांकन रद्द कर सकेगा ।

(11) निधि का प्रत्येक सदस्य, जिसने उपधारा (10) के अधीन अपना नामांकन रद्द किया है, पांच रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ नया नामांकन करेगा ।

(12) निधि का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 26क के अधीन राज्य की नामावली से हटा दिया गया है या जो स्वेच्छा से व्यवसाय निलंबित करता है, ऐसे हटाए जाने या निलंबन के पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे हटाए जाने या निलंबन की जानकारी न्यासी समिति को देगा और यदि निधि का कोई सदस्य बिना किसी पर्याप्त कारण के ऐसा करने में असफल रहता है तो न्यासी समिति ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो विहित किए जाएं इस अधिनियम के अधीन उस सदस्य को संदेय रकम को कम कर सकेगी ।

19. निधि के किसी सदस्य को अनुग्रह अनुदान – न्यासी समिति, निधि के किसी सदस्य द्वारा उसे किए गए आवेदन पर और दावे की सत्यता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर निधि में से ऐसे सदस्य को अनुग्रह अनुदान अनुज्ञात कर सकेगी, –

(क) उसके अस्पताल में भर्ती होने की दशा में या बड़ी शल्य क्रिया की दशा में ; या

(ख) यदि वह यक्ष्मा, कुष्ठरोग, लकवा, कैंसर, विकृतचित्त या ऐसी ही अन्य गंभीर बीमारी या नि:शक्तता से पीड़ित है ।

20. पुनर्विलोकन – न्यासी समिति, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त आवेदन पर, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन

उसके द्वारा आदेश पारित किए जाने के नब्बे दिन के भीतर, ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी, यदि वह किसी भूल के अधीन पारित किया गया था, चाहे वह तथ्य की हो या विधि की या किसी तात्विक तथ्य की उपेक्षा से हो :

परंतु न्यासी समिति, इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

21. व्यवसाय के बंद करने पर रकम का संदाय – (1) प्रत्येक अधिवक्ता को, जो पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए निधि का सदस्य रहा है, अपना व्यवसाय बंद करने पर, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर रकम का संदाय किया जाएगा :

परंतु जहां न्यासी समिति का यह समाधान हो गया है कि निधि के किसी सदस्य ने ऐसी निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर अपना व्यवसाय किसी स्थायी नि:शक्तता के कारण बंद किया है वहां न्यासी समिति ऐसे सदस्य को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर रकम का संदाय कर सकेगी ।

(2) जहां निधि के किसी सदस्य की मृत्यु उपधारा (1) के अधीन संदेय रकम को प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है वहां, यथास्थिति, उसके नामनिर्देशिती या विधिक वारिस को निधि के मृतक सदस्य को संदेय रकम संदत्त की जाएगी ।

22. निधि में सदस्य के हित के अन्य संक्रामण, कुर्की, आदि पर निर्बन्धन – (1) निधि में किसी सदस्य के हित या निधि के किसी सदस्य या उसके नामनिर्देशित या विधिक वारिस का निधि से कोई रकम पाने का अधिकार, समनुदिष्ट, अन्य संक्रांत या प्रभारित नहीं किया जाएगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की के लिए दायी नहीं होगा ।

(2) कोई लेनदार, निधि के या निधि के किसी सदस्य या उसके नामनिर्देशिती या विधिक वारिस के उसमें किसी हित के विरुद्ध कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "लेनदार" के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त दिवालियापन से संबंधित विधि के अधीन नियुक्त राज्य या कोई शासकीय समनुदेशिती या शासकीय रिसीवर भी आता है ।

23. आय-कर से छूट – आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित निधि में उद्भूत आय को आय-कर से छूट प्राप्त होगी ।

24. निधि के सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य फायदे – न्यासी समिति, निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए, –

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से निधि के सदस्यों के जीवन के लिए समूह बीमा पालिसियां प्राप्त करेगी ; या

(ख) निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सीय और शैक्षिक सुविधाओं के लिए ऐसी रीति से उपबंध करेगी जो विहित की जाएं ; या

(ग) निधि के सदस्यों को, पुस्तकें क्रय करने के लिए धन की व्यवस्था करेगी ; या

(घ) निधि के सदस्यों के लिए, सामूहिक सुविधाओं के निर्माण या उनके अनुरक्षण के लिए धन की व्यवस्था करेगी :

परन्तु न्यासी समिति, धारा 18 की उपधारा (5) के अधीन प्राप्त कुल वार्षिक अभिदान का दस प्रतिशत, अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने वाले निधि के सदस्यों के लिए सामूहिक सुविधाओं के निर्माण या अनुरक्षण पर व्यय करेगी ; या

(ङ) किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए निधियों का उपबंध करेगी जो न्यासी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ; या

(च) किन्हीं ऐसे अन्य फायदों के लिए उपबंध करेगी जो विहित किए जाएं ।

25. न्यासी समिति के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील – (1) न्यासी समिति के किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील राज्य विधिज्ञ परिषद् को होगी ।

(2) अपील विहित प्ररूप में होगी और उसके साथ निम्नलिखित होंगे –

(क) उस विनिश्चय या आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है ;

(ख) अनुसूचित बैंक की किसी भी शाखा में राज्य विधिज्ञ परिषद् के खाते में पच्चीस रुपए के संदाय के साक्ष्य स्वरूप रसीद ।

(3) जिस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील फाइल की जाएगी ।

(4) ऐसी अपील पर राज्य विधिज्ञ परिषद् का विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्याय 6

स्टाम्पों का मुद्रण, वितरण और रद्दकरण

26. अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्पों का राज्य परिषद् द्वारा मुद्रण और वितरण – (1) समुचित सरकार, राज्य विधिज्ञ परिषद् से इस निमित्त अनुरोध प्राप्त होने पर पांच रुपए मूल्य के या ऐसे अन्य मूल्य के जो विहित किया जाए, अधिवक्ता कल्याण निधि स्टांपों का मुद्रण और वितरण करवाएगी जिसमें विहित किए जाने वाले डिजाइन में "अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प" अंतर्लिखित होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्टाम्प 2.54 से. मी. x 5.08 से. मी. आकार का होगा जो अधिवक्ताओं को विक्रय किया जाएगा ।

(3) स्टाम्प राज्य विधिज्ञ परिषद् की अभिरक्षा में रहेंगे ।

(4) राज्य विधिज्ञ परिषद्, स्टाम्पों के वितरण और विक्रय का नियंत्रण, राज्य विधिज्ञ संगमों और राज्य अधिवक्ता संगमों के माध्यम से करेगी ।

(5) राज्य विधिज्ञ परिषद्, राज्य विधिज्ञ संगम और राज्य

अधिवक्ता संगम स्टाम्पों के उचित लेखे, विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति में रखेंगे ।

(6) राज्य विधिज्ञ संगम और राज्य अधिवक्ता संगम, राज्य विधिज्ञ परिषद् से उसके मूल्य का संदाय करने के पश्चात्, जिसमें से आनुषंगिक व्ययों के लिए दस प्रतिशत की कटौती की जाएगी, स्टाम्पों का क्रय करेंगे ।

27. वकालतनामों पर स्टाम्प का लगा होना – (1) प्रत्येक अधिवक्ता निम्नलिखित मूल्य के स्टाम्प लगाएगा –

(क) किसी जिला न्यायालय या जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में उसके द्वारा फाइल किए गए प्रत्येक वकालतनामे पर पांच रुपए का ;

(ख) किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उसके द्वारा फाइल किए गए प्रत्येक वकालतनामे पर दस रुपए का :

परन्तु समुचित सरकार, पच्चीस रुपए से अनधिक मूल्य के स्टाम्प इस उपधारा के अधीन लगाया जाना विहित कर सकेगी :

परन्तु यह और कि समुचित सरकार, किसी जिला न्यायालय या जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों या किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में फाइल किए जाने वाले प्रत्येक वकालतनामे पर भिन्न-भिन्न मूल्यों के स्टाम्पों का लगाया जाना विहित कर सकती है ।

(2) स्टाम्प का मूल्य न तो किसी मामले में "खर्च" होगा और न ही किसी भी दशा में मुवक्किल से लिया जाएगा ।

(3) किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के किसी उल्लंघन से वह निधि के फायदों से संपूर्णतः या भागतः वंचित हो जाएगा और न्यासी समिति ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट राज्य विधिज्ञ परिषद् को समुचित कार्रवाई किए जाने के लिए करेगी ।

(4) जिला न्यायालय या जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी

न्यायालय या किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए प्रत्येक वकालतनामे पर लगाई गई प्रत्येक स्टाम्प ऐसी रीति से रद्द की जाएगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

28. कतिपय व्यक्तियों का फायदों के लिए पात्र न होना – कोई ज्येष्ठ अधिवक्ता या ऐसा व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त करता हो, धारा 19 के अधीन अनुग्रह अनुदान या धारा 21 के अधीन उसके द्वारा विधि व्यवसाय को बंद करने पर रकम के संदाय या धारा 24 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी फायदे का हकदार नहीं होगा ।

29. सद्भावपूर्वक किए गए कार्य का संरक्षण – समुचित सरकार या न्यासी समिति या न्यासी समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य या सचिव या राज्य विधिज्ञ परिषद् या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी बात के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

30. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन – किसी सिविल न्यायालयों को ऐसे किसी प्रश्न को तय करने, विनिश्चित करने या निपटाने अथवा किसी मामले का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन न्यासी समिति या राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा तय किया जाना, विनिश्चित किया जाना अथवा निपटाया जाना अपेक्षित है ।

31. साक्षियों को समन करने और साक्ष्य लेने की शक्ति – न्यासी समिति और राज्य विधिज्ञ परिषद् को, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी

वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर करवाना या उसकी शपथ पर परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

32. अनुसूची 1 और 2 का संशोधन करने की शक्ति – (1) समुचित सरकार, न्यासी समिति की सिफारिश पर और निधि में रकम की उपलभ्यता पर सम्यक् विचार करते हुए, अधिसूचना द्‌वारा, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दरों में संशोधन कर सकती है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, जब कभी आवश्यक समझे, अधिसूचना द्‌वारा अनुसूची 2 में संशोधन कर सकती है ।

33. समुचित सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति – (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यासी समिति, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करते समय, वृत्तिक और प्रशासनिक विषयों से भिन्न नीति के प्रश्नों पर, ऐसे निदेशों से आबद्ध होगी जो समुचित सरकार, समय-समय पर, उसे लिखित रूप में दे :

परन्तु न्यासी समिति को, जहां तक व्यवहार्य हो, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) समुचित सरकार का विनिश्चय, चाहे वह प्रश्न नीति का हो या नहीं, अंतिम होगा ।

34. समुचित सरकार की न्यासी समिति को अधिक्रांत करने की शक्ति – (1) यदि किसी समय समुचित सरकार की यह राय हो कि –

(क) न्यासी समिति के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण, वह इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ है ; या

(ख) न्यासी समिति ने, समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का अनुपालन करने में बार-बार व्यतिक्रम किया है ; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनसे लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है,

तो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से, न्यासी समिति को छह मास से अनधिक उतनी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगी और अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को न्यासी समिति के नियंत्रक के रूप में नियुक्त करेगी :

परन्तु समुचित सरकार, ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, न्यासी समिति को प्रस्थापित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन देने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगी और न्यासी समिति के अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यासी समिति का अधिक्रमण करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर –

(क) न्यासी समिति के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव अधिक्रमण की तारीख से ही उस रूप में अपने पदों को रिक्त कर देंगे ;

(ख) वे सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, जो न्यासी समिति द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन प्रयोग या निर्वहन किए जा रहे हों, उपधारा (3) के

अधीन न्यासी समिति का पुनर्गठन होने तक, न्यासी समिति के नियंत्रक द्वारा प्रयोग की जाएगी और निर्वहन किए जाएंगे ; और

(ग) न्यासी समिति के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन सभी संपत्तियां और निधि, उपधारा (3) के अधीन न्यासी समिति के पुनर्गठित होने तक, समुचित सरकार में निहित होंगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि के समाप्त होने पर या उससे पूर्व, समुचित सरकार, ऐसी समिति के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की नई नियुक्ति द्वारा न्यासी समिति का पुनर्गठन करेगी और ऐसी दशा में, ऐसा व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया था, पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा ।

(4) समुचित सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की पूर्ण रिपोर्ट और वे परिस्थितियां जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन, जहां उसके दो सदन हों, या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन हो वहां उस सदन के समक्ष शीघ्रतम रखवाएगी ।

35. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, जहां समुचित सरकार है, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 11 के खंड (च) के अधीन भेजी जाने वाली नियतकालिक और वार्षिक रिपोर्टें ;

(ख) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ;

(ग) धारा 14 के खंड (छ) के अधीन रखे जाने वाले प्ररूप,

रजिस्टर और अन्य अभिलेख ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें अधिवक्ताओं का कोई संगम, धारा 16 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् को मान्यता के लिए आवेदन कर सकेगा ;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ;

(च) वह प्ररूप जिसमें कोई अधिवक्ता, धारा 18 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन देगा ;

(छ) वे सिद्धांत जिनके अनुसार निधि के किसी सदस्य को संदेय रकम में से धारा 18 की उपधारा (12) के अधीन कटौती की जाएगी ;

(ज) धारा 24 के खंड (ख) के अधीन निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सीय और शैक्षिक सुविधाएं देने की रीति ;

(झ) धारा 24 के खंड (च) के अधीन दिए जाने वाले अन्य फायदे ;

(ञ) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन अपील का प्ररूप ;

(ट) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन मुद्रित और वितरित किए जाने वाले स्टाम्पों का मूल्य और डिजाइन ;

(ठ) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन स्टाम्पों के लेखे रखे जाएंगे ;

(ड) पच्चीस रुपए से अनधिक स्टाम्पों का मूल्य, जो धारा 27 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के अधीन विहित किया जाए ;

(ढ) धारा 27 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन प्रत्येक वकालतनामे पर लगाए जाने वाले स्टाम्पों का मूल्य ;

(ण) धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन स्टाम्पों के रद्दकरण की रीति ;

(त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाए ।

36. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) राज्य सरकार, जहां समुचित सरकार हो, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए ऐसे नियम बना सकेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, यदि कोई हों, से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 11 के खंड (च) के अधीन भेजी जाने वाली नियतकालिक और वार्षिक रिपोर्टें ;

(ख) वह प्ररूप और रीति जिसमें वार्षिक लेखा विवरण और वार्षिक रिपोर्ट धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किए जाएंगे ;

(ग) धारा 14 के खंड (छ) के अधीन रखे जाने वाले प्ररूप, रजिस्टर और अन्य अभिलेख ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें अधिवक्ताओं का कोई संगम, धारा 16 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् को मान्यता के लिए आवेदन कर सकेगा ;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ;

(च) वह प्ररूप जिसमें कोई अधिवक्ता, धारा 18 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करेगा ;

(छ) वे सिद्धांत जिनके अनुसार निधि के किसी सदस्य को संदेय रकम में से धारा 18 की उपधारा (12) के अधीन कटौती की जाएगी ;

(ज) धारा 24 के खंड (ख) के अधीन निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सीय और शैक्षिक सुविधाएं देने की रीति ;

(झ) धारा 24 के खंड (च) के अधीन दिए जाने वाले अन्य फायदे ;

(ञ) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन अपील का प्ररूप ;

(ट) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन मुद्रित और वितरित किए जाने वाले स्टाम्पों का मूल्य और डिजाइन ;

(ठ) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन स्टाम्पों के लेखे रखे जाएंगे ;

(ड) पच्चीस रुपए से अनधिक स्टाम्पों का मूल्य, जो धारा 27 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के अधीन विहित किया जाए ;

(ढ) धारा 27 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन प्रत्येक वकालतनामे पर लगाए जाने वाले स्टाम्पों का मूल्य ;

(ण) धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन स्टाम्पों के रद्दकरण की रीति ;

(त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाए ।

37. नियमों और अधिसूचनाओं का संसद् और राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना – (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 32 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी

होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 32 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के, जहां इसके दो सदन हों, प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे राज्य विधान-मंडल में एक सदन हो, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी ।

38. व्यावृत्ति – इस अधिनियम के उपबंध, उन राज्यों को लागू नहीं होंगे जिनमें अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां लागू हैं ।

अनुसूची 1

[धारा 21(1) और धारा 32(1) देखिए]

निधि के सदस्य के रूप में वर्षों की संख्या	संदेय रकम की दर
(1)	(2)
30	30,000 रुपए
29	29,000 रुपए
28	28,000 रुपए
27	27,000 रुपए
26	26,000 रुपए
25	25,000 रुपए
24	24,000 रुपए
23	23,000 रुपए
22	22,000 रुपए
21	21,000 रुपए
20	20,000 रुपए
19	19,000 रुपए
18	18,000 रुपए
17	17,000 रुपए
16	16,000 रुपए
15	15,000 रुपए
14	14,000 रुपए
13	13,000 रुपए
12	12,000 रुपए
11	11,000 रुपए
10	10,000 रुपए
9	9,000 रुपए
8	8,000 रुपए
7	7,000 रुपए
6	6,000 रुपए
5	5,000 रुपए
4	4,000 रुपए
3	3,000 रुपए
2	2,000 रुपए
1	1,000 रुपए

अनुसूची 2

[धारा 32 (2) और धारा 38 देखिए]

1.	उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (1974 का 6) ।
2.	बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (1983 का 16) ।
3.	मध्य प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 9) ।
4.	दि आंध्र प्रदेश एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1987 (1987 का 33) ।
5.	दि उड़ीसा एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1987 (1987 का 18) ।
6.	राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 (1987 का 15) ।
7.	दि तमिलनाडु एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1987 (1987 का 49) ।
8.	दि गुजरात एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1991 (1991 का 14) ।
9.	दि गोवा एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1995 (1997 का 2) ।
10.	दि असम एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1998 (1999 का 18) ।
11.	दि महाराष्ट्र एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1981 (1981 का 61) ।
12.	हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का 14) ।
13.	दि केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1980 (1980 का 21) ।
14.	दि कर्नाटक एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1983 (1985 का 2) ।
15.	दि वेस्ट बंगाल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1991 (1991 का 13) ।
16.	दि जम्मू एण्ड कश्मीर एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1997 (1997 का 26) ।

Annex III

विधि साहित्य प्रकाशन द्‌वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्‌य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

Cover.iv

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 17552/69

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in